लोक-सभा

वाद-विवाद

Chamber Fumigated 18/X/23

द्वितीय माला

खण्ड ५९, १९६१/१८८३ (शक)

[२० से ३० नवम्बर, १९६१/२९ कार्तिक से १० अग्रहायण १८८३ (शक)]

2nd Lok Sabha

पन्द्रहवां सत्र, १९६१/१८८३ (शक)

(खण्ड ५९ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

विषय सूची

[द्वितीय माला, खण्ड ५६—अंक १ से १०—२० नवम्बर से १ दिसम्बर, १९६१/२९ कार्तिक से १० अग्रहायण, १८८३ (शक)]

अंक १—सोमवार, २० नवम्बर, १९६१/२९ कार्तिक, १८८३ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न* संख्या १ से ४, ६ से ११, २१, १२ और १३	१–२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५, १४ से २० और २२ से ५७ . .	२६–५१
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ७४, ७६ और ७७ . .	५१–८६
दिनांक १३-३-१९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५१६ के उत्तर में शुद्धि .	८६
निधन सम्बन्धी उल्लेख	
स्थगन प्रस्ताव—	
(१) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मामले और उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे	८७–९०
(२) राजनैतिक दलों को मान्यता देने के बारे में चुनाव आयोग का निर्णय	९०–९२
(३) पाकिस्तान के सैनिक न्यायाधिकरण के द्वारा कर्नल भट्टाचार्य ी दोषसिद्धि	९२–९५
(४) लद्दाख क्षेत्र में चीनियों के घुस आने की घटनायें	९५–९६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	९७–१००
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	१०१
तारांकित प्रश्न संख्या १३३५ के उत्तर में शुद्धि . . .	१०१–०२
रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य	१०२–०८
पैट्रोलियम उत्पादों के आयात के बारे में वक्तव्य . . .	१०८–०९
प्रत्र्पण विधेयक	१०९
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापित करने के समय का बढ़ाया जाना .	१०९
चीनी (उत्पादन का विनियमन) विधेयक पुरस्थापित . .	१०९
चीनी (उत्पादन का विनियमन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य . .	११०
प्रसूति लाभ विधेयक	११०–२४
विचार करने का प्रस्ताव	११०–२४
खंड २ से ३० तथा १	११४–२२
पारित करने का प्रस्ताव	१२२–२४
शिशिक्षु विधेयक	१२५–२८
विचार करने का प्रस्ताव	१२५–२८
दैनिक संक्षेपिका	१२९–३८

विषय	पृष्ठ
अंक २--मंगलवार, २१ नवम्बर, १९६१/३० कार्तिक, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ५९, ९३, ६०, ६२, ६४, ६६ से ६९, ७१, ७२, ७६, ७८, ८०, ८१, ८२, ८५, ८७, ९१ तथा ८९ . .	१३९–६५
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या* ५८, ६१, ६३, ६५, ७०, ७३ से ७५, ७७, ७९, ८३, ८४, ८६, ८८, ९०, ९२, ९४ से ११५ .	१६५–८४
अतारांकित प्रश्न संख्या ७८ से २०१ . . .	१८४–२३९
सदस्य की गिरफ्तारी और रिहाई	२४०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२४०–४४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति-- . .	
नव्वेवां प्रतिवेदन	२४४
तारांकित प्रश्न संख्या १२४६ के उत्तर में शुद्धि .	२४४–४५
समिति के लिये निर्वाचन	
पशु कल्याण बोर्ड . .	२४५
प्रौद्योगिकीय संस्थायें विधेयक--पुरस्थापित . .	२४५–४६
शिशिक्षु विधेयक	२४६–६६
विचार करने का प्रस्ताव . . .	२४६–६२
खंड २ से ३८ और १	२६३–६४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव .	२६४–६६
वेतन से स्वेच्छा से कटौती (कर से विमुक्ति) विधेयक १९६१ .	२६६–६८
पारित करने का प्रस्ताव	२६६–६७
खंड २ से ५ और १	२६७
पारित करने का प्रस्ताव	२६७–६८
उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक . . .	२६८–६९
पारित करने का प्रस्ताव	२६९
खंड २ और १	२६९
पारित करने का प्रस्ताव	२६९
उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक . .	२६९–७३
पारित करने का प्रस्ताव	२६९–७२
खंड २ से ४ और १	२७३
पारित करने का प्रस्ताव	२७३
कॉफी (संशोधन) विधेयक	२७३–७६
खंड २ से १४ और १	२७५–७६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	२७६
दैनिक संक्षेपिका	२७७–८९

अंक ३—गुरुवार, २३ नवम्बर, १९६१/२ अग्रहायण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ११६, ११८ से १२४, १३१, २०१, १२५, १६७ और १३० . . . . . २९२-३१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७, १२६ से १२९, १३२ से १६६, १६८ से २०० और २०२ से २०७ . . . . . ३१६—५३

अतारांकित प्रश्न संख्या २०२ से २२२, २२४ से ३३५ और ३३७ से ३६२ ३५४—४२४

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ४२४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ४२४—२८

विधेयक पर समिति के बारे में . . . . . ४२८—२९

आगामी सामान्य निर्वाचन के कार्य क्रम के बारे में वक्तव्य . . . ४२९—३१

असम नगरपालिका (मनीपुर संशोधन) विधेयक . . . ४३१—३४

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ४३१—३३

खंड २ से ७ तथा १ . . . . ४३४

पारित करने का प्रस्ताव ४३४

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) संशोधन विधेयक . . ४३४—३९

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ४३४—३८

खंड १ से ७ . . . . . ४३९

पारित करने का प्रस्ताव ४३९

विदेशी पंचाट (मान्यता देना और लागू करना) विधेयक . ४३९—४०

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ४३९—४०

खंड १ से ११ . . . . . ४४०

पारित करने का प्रस्ताव ४४०

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ४४०—४८

दैनिक संक्षेपिक . . . . . ४४९—६३

अंक ४—शुक्रवार, २४ नवम्बर, १९६१/३ अग्रहायण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०९ से २१६ . . . ४६५—८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०८ और २१७ से २४७ ४८७—५०३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ से ४६० ५०३—४४

स्थगन प्रस्ताव—

पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा एक यात्री स्टीमर पर कथित गोलीबारी ५४४-४५

विवरण में शुद्धि . . ५४५-४६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ५४६-४७

विषय	पृष्ठ
सभा का कार्य	५४८
राज्य उपक्रमों सम्बन्धी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव . .	५४८–५९
प्राद्योगिकीय संस्थायें विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . . .	५६०–६१
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
नव्वेवां प्रतिवेदन	५६१
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस तथा राश बिहारी बसु की अस्थियों के बारे में संकल्प	५६१—७१
गोआ, दमन और दीव से पुर्तगालियों को हटने के बारे में संकल्प . .	४७१—८३
दैनिक संक्षेपिका	५८४—९१
अंक ५—शनिवार, २५ नवम्बर, १९६१/४ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २४८ से २५१, २५३ से २६०, २६२ से २६४, २६८, २६९ और २७० . . .	५९३—६१८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २५२, २६१, २६५ से २६७ और २७१ से ३०३ .	६१८—३६
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६१ से ५९७	६३६—७००
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	७००
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —	
कच्चे पटसन के मूल्य . . .	७०१
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	७०१–०२
सभा का कार्य . . .	७०२–०३
समिति के लिये निर्वाचन—	
भारतीय केन्द्रीय गरम मसाले और काजू समिति	७०३–०४
प्रौद्योगिकीय संस्थायें विधेयक .	७०४—११
विचार करने का प्रस्ताव . .	७०४—०९
खंड २ से ३९ और १	७०९—११
पारित करने का प्रस्ताव .	७११
श्री हुमायूं कबिर .	७११
पंचायत राज के कार्य के बारे में प्रस्ताव	७११—३१
दैनिक संक्षेपिका	७३२—४०
अंक ६—सोमवार, २७ नवम्बर, १९६१/६ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३०४ से ३०७ और ३०९ से ३१६ . .	७४१—६३

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३०८ और ३१७ से ३६५ . . .	७६३–८६
अतारांकित प्रश्न संख्या ५६८ से ७०२ और ७०४ से ७०६ . .	७८६–८३५
स्थगन प्रस्ताव—	
(१) पुर्तगालियों द्वारा मछली पकड़ने वाली भारतीय नावों पर गोली चलाना	८३५–३६
(२) गाड़ियों का देर से चलना	८३६–३७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	८३७–३८
विधेयक पर रायें	८३८
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१–६२ के बारे में विवरण .	८३८
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६१–६२ के बारे में विवरण .	८३८
तारांकित प्रश्न संख्या १२७९ के उत्तर में शुद्धि	८३९
तारांकित प्रश्न संख्या ११६७ के उत्तर में शुद्धि . .	८३९–४२
वित्त मंत्री की विदेश यात्रा के बारे में वक्तव्य	८३९–४२
पंचायत राज के कार्य के बारे में प्रस्ताव . . .	८४२–६१
चीनी (उत्पादन का विनियमन) संविहित अध्यादेश के बारे में संकल्प तथा चीनी (उत्पादन का विनियमन) विधेयक .	८६२–७९
विचार करने का प्रस्ताव	८६२–७९
सभा का कार्य	८७९–८०
दैनिक संक्षेपिका	८८१–९०
अंक ७—मंगलवार, २८ नवम्बर, १९६१/७ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३६६ से ३७५, ३७७ और ३७८ . .	८९१–९१४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३७६ और ३७९ से ३९७ . .	९१४–२५
अतारांकित प्रश्न संख्या ७१० से ७७९ और ७८१ से ७८८ .	९२५–६४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
कोयला खनन उद्योग में मजूरी का पुनरीक्षण . . .	९६४–६५
भारत और चीन के सम्बन्धों के बारे में श्वेत पत्र संख्या ५ के सम्बन्ध में वक्तव्य	९६५–६८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	९६९
तारांकित प्रश्न संख्या १११७ के उत्तर में शुद्धि . . .	९६९–७०
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) भारतीय रेलवे (दूसरा संशोधन) विधेयक . .	९७०

विषय	पृष्ठ
(२) लोह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर विधेयक .	९७०
(३) टेलीग्राफ की तारें (अवैध रूप से रखना) संशोधन विधेयक	९७०–७१
चीनी (उत्पादन का अधिनियमन) अध्यादेश के बारे में संकल्प तथा चीनी (उत्पादन का विनियमन) विधेयक .	९७१–९१
विचार करने का प्रस्ताव . . .	९७१–८९
खंड १ से ८	९८९–९०
पारित करने का प्रस्ताव	९९०–९१
इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में संकल्प .	९९१–१०००
दैनिक संक्षेपिका	१००१–०६
अंक ८—बुधवार, २९ नवम्बर, १९६१/८ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३९८, ३९९, ४०२, ४०५ से ४०८, ४११, ४१४ से ४१९	१००७–२८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४००, ४०१, ४०४, ४०९, ४१०, ४१२, ४१३, ४२० से ४२६, ४२८ से ४३१	१०२९–३६
अतारांकित प्रश्न संख्या ७८९ से ९०६ . . .	१०३६–८९
स्थगन प्रस्ताव—	
पाकिस्तानी सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा भारतीय अधिकारियों को परेशान किया जाना	१०८९–९२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१०९२–९३
राज्य सभा से संदेश	१०९३
तारांकित प्रश्न संख्या ११२८ के उत्तर में शुद्धि . . .	१०९४–९५
कर्नल भट्टाचार्य की दोषसिद्धि और कारावास के बारे में चर्चा . .	१०९५–११०८
संघ लोक सेवा आयोग के दसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	११०८–१८
दैनिक संक्षेपिका	१११९–२६
अंक ९—गुरुवार, ३० नवम्बर, १९६१/९ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३२ से ४३४, ४३६ से ४४० . .	११२७–४९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३५ और ४४१ से ४९० . . .	११४९–७१
अतारांकित प्रश्न संख्या ९०७ से ९१८, ९२० से ९४६ और ९४८ से १०००	११७१–१२११

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव—	
(१) कांगो की परिस्थिति और संयुक्त राष्ट्र संघ की कमान में रहने वाली भारतीय सेना के लिए असुरक्षा .	१२११–१४
(२) गोआ सीमा पर पुर्तगाली सेना का कथित जमाव . .	१२१४–१५
(३) पुर्तगालियों की यातना से गोआ के देश भक्त की हवालात में कथित मृत्यु	१२१५–१६
(४) उड़ीसा में भारत के गलत नक्शों का प्रकाशन, जिनमें काश्मीर को पाकिस्तान का भाग दिखाया गया . . .	१२१६–१७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
फरक्का बांध को बनाने में कथित विलम्ब . . .	१२१७
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	१२१७–१९
सदस्य की दोष सिद्धि	१२२०
प्रत्यर्पण विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	१२२०
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) संविधान (ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, १९६१ .	१२२०
(२) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, १९६१ .	१२२०–२१
संघ लोक सेवा आयोग के दसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	११२१–३२
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६१–६२ . . .	१२३२–४२
डाक्टरों की कमी के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . . .	१२४३–४५
दैनिक संक्षेपिका	१२४६–५५
अंक १०—शुक्रवार, १ दिसम्बर, १९६१/१० अग्रहायण, १८८३ (शक)	
निधन सम्बन्धी उल्लेख	१२५७
सभा की कार्यवाही	१२५७
दैनिक संक्षेपिका	१२५८

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

GMGIPND—LS-III—1627LS—4-1-62—125

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंजनप्पा, श्री ब० (नेल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अगाड़ी, श्री स० अ० (कोप्पल)

अग्रवाल, श्री मानकभाई (मन्दसौर)

अचमम्बा, डा० कों० (विजयवाड़ा)

अचल सिंह, सेठ (आगरा)

अजित राम, लाला (पटियाला)

अजित सिंह, श्री (भटिण्डा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अणे, डा० माधव श्री हरि (नागपुर)

अनिरुद्ध सिंह, श्री (मधुबनी)

अब्दुर्रहमान, मौलवी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल रशीद, बख्शी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल लतीफ, श्री (बिजनौर)

अब्दुल सलाम, श्री (तिरुचिरापल्ली)

अमजद अली, श्री (धुबरी)

अम्बलम्, श्री सुब्बया (रामनाथपुरम)

अय्यंगार, श्री म० अनन्तशयनम् (चित्तूर)

अय्यर, श्री ईश्वर (त्रिवेन्द्रम)

अय्याकण्णु, श्री (नागपट्टिनम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अरुमुगम, श्री रा० सी० (श्री बिल्लीपुतुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अरुमुगम श्री स० र० (नामक्कल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अवस्थी, श्री जगदीश (बिल्हौर)

अशण्णा, श्री (आदिलाबाद)

अष्ठाना, श्री लीलाधर (उन्नाव)

क

आ

आचार, श्री क० र० (मंगलौर)

आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

आसर, श्री प्रेमजी र० (रत्नागिरी)

इ

इकबाल सिंह, सरदार (फीरोजपुर)

इलयापेरुमाल, श्री ल० (चिदाम्बरम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

इलियास, श्री मुहम्मद (हावड़ा)

ई

ईयाचरण, श्री व० (पालघाट)

उ

उइके, श्री मं० गा० (मंडला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

उपाध्याय, पंडित मुनिश्वर दत्त (प्रतापगढ़)

उपाध्याय, श्री शिवदत्त (रीवा)

उमराव सिंह, श्री (घोसी)

ए

एन्थनी, श्री फ्रेंक (नाम निर्देशित—आंग्ल भारतीय)

एरिंग, श्री डा० (उत्तर पूर्व सीमांत प्रदेश)

ओ

ओंकार लाल, श्री (कोटा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

ओझा, श्री घनश्याम लाल (झालावाड़)

क

कटकी, श्री लीलाधर (नौगांव)

कट्टी, श्री द० अ० (चिकोड़ी)

कनकसबै, श्री (चिदाम्बरम्)

कमल सिंह, श्री (बक्सर)

कयाल, श्री परेश नाथ (बसिरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

करमरकर, श्री द० प० (धारवाड़—उत्तर)

कर्णी सिंह जी, श्री (बीकानेर)

कानूनगो, श्री नित्यानन्द (कटक)

कामले, डा० देवराज नामदेवराव (नांदेड़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कामले, श्री बा० चं० (कोपरगांव)

कार, श्री प्रभात (हुगली)

कालिका सिंह, श्री (आजमगढ़)

क—(क्रमशः)

काशीराम, श्री व० (नलगोंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कासलीवाल, श्री नेमीचन्द्र (कोटा)

किलेदार, श्री रघुनाथ सिंह (होशंगाबाद)

किस्तैया, श्री सुरती (बस्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कुन्हन, श्री (पालघाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कुमारन, श्री मेलकुलन्जरा कन्नन (चिरयिन्कील)

कुम्भार, श्री बनमाली (सम्बलपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कृपालानी, आचार्य (सीतामढ़ी)

कृष्ण, श्री मं० रं० (करीमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कृष्ण चन्द्र, श्री (जलेसर)

कृष्णप्पा, श्री मो० वें० (तमकुर)

कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (मद्रास दक्षिण)

कृष्णराव, श्री मं० वें० (मसुलीपट्टनम्)

कृष्णस्वामी, डा० (चिंगलपट)

कृष्णप्पा, श्री दू० बलराम (गुडिवाडा)

केदरिया, श्री छगनलाल म० (मांडवी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

केशव, श्री न० (बंगलौर नगर)

केसकर, डा० बा० वि० (मुसाफिरखाना)

केसर कुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कोडियान, श्री (क्विलोम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कोरटकर, श्री विनायकराव (हैदराबाद)

कोट्टु कप्पल्ली, श्री जार्ज़ थामस (मवात्तु पुजा)

ख

खां, श्री उस्मान, अली (कुरनूल)

खां, श्री शाहनवाज़ (मेरठ)

खां, श्री सादत अली (वारंगल)

खाडिलकर, श्री र० के० (अहमदनगर)

खादीवाला, श्री कन्हैयालाल (इन्दौर)

खीमजी, श्री भवनजी अ० (कच्छ)

ख्वाजा, श्री जमाल (अलीगढ़)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (उन्नाव—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गणपति, श्री (तिरुचिन्दूर)

गणपति राम, श्री (जौनपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गणपति सहाय, श्री (सुल्तानपुर)

गांधी, श्री माणिकलाल मगनलाल (पंच महल)

गायकवाड़, श्री भाऊराव कृष्णराव (नासिक)

गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव प्रताप सिंह राव (बड़ौदा)

गुप्त, श्री इन्द्रजीत (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम)

गुप्त, श्री छेदा लाल (हरदोई)

गुप्त, श्री राम कृष्ण (महेन्द्रगढ़)

गुप्त, श्री साधन (कलकत्ता—पूर्व)

गुह, श्री अरुण चन्द्र (बारसाट)

गोडसोरा, श्री शम्भू चरण (सिंहभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड़)

गोरे, श्री नारायण गणेश (पूना)

गोविन्द दास, डा० (जबलपुर)

गोहोकर, डा० देवराव यशवन्त राव (यवतमाल)

गौंडर, श्री षनमुध (तिंडीवनम्)

गौंडर, श्री दुरायस्वामी (तिरुपत्तर)

गौंडर, श्री क० पेरियास्वामी (करूर)

गौतम, श्री (बालाघाट)

घ

घोडासर, श्री फतहसिंहजी (करा)

घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)

घोष, श्री नलिनी रंजन (कूच बिहार)

घोष, श्री महेन्द्रकुमार (जमशेदपुर)

घोष, श्री सुबिमन (बर्दवान)

घोषाल, श्री अरविन्द (उलुबेरिया)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसिरहाट)

चतुर्वेदी, श्री रोहनलाल (एटा)

चन्दा, श्री अनिल कु० (वीरभूम)

च—(क्रमशः)

चन्द्रशंकर, श्री (भड़ौच)

चन्द्रामणि, कालो, श्री (सुन्दरगढ़—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातिया)

चावल, श्री दा० रा० (कराड़)

चांडक, श्री बी० ल० (चिन्दवाड़ा),

चावदा, श्री अकबर भाई (बनस्कंठा)

चुनीलाल, श्री (अम्बाला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

चेट्टियार, श्री रामनाथन् (पुदुकोटै)

चौधरी, श्री चन्द्रामणि लाल (हाजीपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (बरहामपुर)

चौधरी, श्री सुं० चं० (दुमका)

ज

जगजीवन राम, श्री (सहसराम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जमीर, श्री चुबातोशी (नागा पहाड़ियां—तुएनसांग प्रदेश)

जयपाल सिंह, श्री (रांची—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर)

जाधव, श्री यादव नारायण (मालेगांव)

जीनचन्द्रन्, श्री (टेल्लीचेरी)

जेधे, श्री गुलाब राव केशव राव (बारामती)

जेना, श्री कान्हुचरण (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जैन, श्री अजित प्रसाद (सहारनपुर)

जैन, श्री मूल चन्द (कैथल)

जोगेन्द्रसिंह, सरदार (बहराइच)

जोगेन्द्र सेन, श्री (मंडी)

जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (शाहडोल)

जोशी, श्री लीलाधर (शाजापुर)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (अम्बाला)

ज्योतिषी, पंडित ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर)

झूलन सिंह, श्री (सीवन)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ठ

ठाकुर, श्री मोतीसिंह बहादुर सिंह (पाटन)

ड

डांगे, श्रीपाद अमृत (बम्बई नगर--मध्य)

डामर, श्री अमर सिंह (झाबुआ---रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

डिन्डोड, श्री जाल्जीभाई कोयाभाई (दोहद---रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

त

तंगामणि, श्री (मदुरै)

तारिक, श्री अली मोहम्मद (जम्मू तथा काश्मीर)

ताहिर, श्री मुहम्मद (किसनगंज)

तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

तिवारी, पंडित द्वारिका नाथ (केसरिया)

तिवारी, पंडित बाबूलाल (निमाड़---खंडवा)

तिवारी, श्री द्वारिका नाथ (कचार)

तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)

तुलाराम, श्री (इटावा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

तेवर, श्री उ० मथुरमलिंग (श्री विल्लीपुत्तूर)

त्यागी, श्री महाबीर (देहरादून)

थ

थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम)

द

दलजीत सिंह, श्री (कांगड़ा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

दातार, श्री ब० ना० (बेलगाम)

दामानी, श्री सू० र० (जालोर)

दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

दास, श्री नयन तारा (मुंगेर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

दास, डा० मन मोहन (आसनसोल---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

दासगुप्त, श्री विभूति भूषण (पुरुलिया)

दासप्पा, श्री (बंगलौर)

दिगे, श्री शंकरराव खंडेराव (कोल्हापुर---रक्षित---अनुसूचित ---जातियां)

दिनेश सिंह, श्री (बांदा)

दुबे, श्री मूलचन्द (फर्रुखाबाद)

दुबलिश, श्री विष्णुशरण (सरधना)

द—(क्रमशः)

देब, श्री दशरथ (त्रिपुरा)

देब, श्री नरसिंह मल्ल (मिदनापुर)

देब ,श्री प्र० गं० देब (अंगुल)

देव, श्री प्रताप केसरी (कालाहांडी)

देशमुख, डा० पंजाबराव शा० (अमरावती)

देशमुख, श्री कृ० गु० (रामटेक)

देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)

दोरा, श्री दि० स० (पार्वतीपुरम्)

द्रोहड़, श्री शिवदीन (हरदोई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दौलता, श्री प्रताप सिंह (झज्जर)

द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)

द्विवेदी, श्री सुरेन्द्र नाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धनगर, श्री बन्शी दास (मैनपुरी)

धर्मलिंगम्, श्री (थिरुवन्नामलाई)

न

नंजप्प, श्री (नीलगिरी)

नथवानी, श्री नरेन्द्रभाई (सोरठ)

नन्दा, श्री गुलजारी लाल (सबरकांठा)

नरसिंहन्, श्री च० र० (कृष्णगिरी)

नरेन्द्र कुमार, श्री (नागौर)

नलदुर्गकर, श्री वैंकटराव श्रीनिवास राव (उस्मानावाद)

नल्लाकोया, श्री कोविलाट (नामनिर्देशित—लक्कादीव, मिनिकाय और अमीन दीवो द्वीप)

नाथपाई, श्री (राजापुर)

नादर, श्री थानुलिंगम्, (नागरकोईल)

नायक, श्री मोहन (गंजम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

नायडू, श्री गोविन्द राजुलू (तिरुवल्लूर)

नायडू, श्री मुत्तुकुमारसामी (कड्डलूर)

नायर, डा० सुशीला (झांसी)

नायर, श्री कुट्टिकृष्णन् (कोजीकोड)

नायर, श्री च० कृष्णन् (बाह्य दिल्ली)

न—(क्रमशः)

नायर, श्री वें० प० (क्विलोन)

नायर, श्री बासुदेवन् (तिरुवल्ला)

नारायणदीन, श्री (शाहजहांपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

नारायणस्वामी, श्री (परियाकुलम्)

नास्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमण्ड हार्बर)

नेगी, श्री नेकराम (महासू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

नेसवी, श्री ति० रु० (धारवाड़—दक्षिण)

नेहरू, श्री जवाहरलाल (फूलपुर)

नेहरू, श्रीमती उमा (सीतापुर)

प

पटेल, श्री नानूभाई निच्छाभाई (बलसार—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

पटेल, श्री पुरुषोत्तम दास र० (मेहसाना)

पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)

पटेल, सुश्री मणिबेन बल्लभभाई (आनन्द)

पट्टाभिरामन्, श्री चे० रा० (कुम्बकोणम्)

पद्मदेव, श्री (चम्बा)

पन्नालाल, श्री (फैजाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

परमार, श्री करसन दास उ० (अहमदाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

परमार, श्री दीनबन्धु (उदयपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

पल्लकर, श्री शामराव विष्णु (थाना)

पलनियाण्डी, श्री (पैरम्बलूर)

पहाड़िया, श्री जगन्नाथ प्रसाद (सवाई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

पांगरकर, श्री नागराव क० (परभणी)

पांडे, श्री काशीनाथ (हाता)

पांडे, श्री च० द० (नैनीताल)

पाटिल, श्री उत्तमराव ल० (धूलिया)

पाटिल, श्री तु० शं० (अकोला)

पाटिल, श्री नाना (सतारा)

पाटिल, श्री बाला साहेब (मिराज)

पाटिल, श्री र० ढो० (मीरं)

पाटिल, श्री स० का० (बम्बई नगर-दक्षिण)

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (पुरी)

प—(क्रमशः)

पांडेय, श्री सरजू (रसरा)
पार्वती कृष्णन्, श्रीमती (कोयम्बटूर)
पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)
पिल्ले, श्री एन्थनी (मद्रास–उत्तर)
पिल्ले, श्री पे० ति० थानु (तिरुनेलवेली)
पुन्नूस, श्री (अम्बल पुजा)
पोकर साहेब, श्री (मंजेरी)
प्रधान, श्री विजय चन्द्रसिंह (कालाहांडी—रक्षित—अनुसूचित आदिम जाति)
प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जतियां)

ब

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)
बदन सिंह, चौ० (बिसौली)
बनर्जी, डा रामगोति (बांकुरा)
बनर्जी, श्री पुनिल बिहारी (लखनऊ)
बनर्जी, श्री प्रमथ नाथ (कण्टाई)
बनर्जी, श्री सत्येन्द्र मोहन (कानपुर)
बरुआ, श्री प्रफुल चन्द्र (शिवसागर)
बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)
बर्मन, श्री उपेन्द्र नाथ (कूच बिहार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बसुम्तारी, श्री धरनीधर (ग्वालपाड़ा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
बहादुर सिंह, श्री (लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बांगशी ठाकुर, श्री (त्रिपुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बाकलीवाल, श्री मोहनलाल (दुर्ग)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (बीकानेर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बालकृष्णन्, श्री स० चि० (डिंडीगल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बाल्मीकि, श्री कन्हैयालाल (बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बासप्पा, श्री चि० र० (तिपतुर)
बिडरी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर—दक्षिण)
बिष्ट, श्री जंग बहादुर सिंह (अल्मोड़ा)
बीरबलसिंह, श्री (जौनपुर)
बेक, श्री इगनेस (लोहरदगा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

ब—(क्रमशः)

बेरो, श्री (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय)

ब्रजराज सिंह, श्री (फिरोजाबाद)

'ब्रजेश', पंडित ब्रज नारायण (शिवपुरी)

ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)

ब्रह्म प्रकाश, चौ० (दिल्ली सदर)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मी नारायण (क्योंझर)

भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)

भगत, श्री ब० रा० (शाहबाद)

भगवती, श्री बि० (दरांग)

भटकर, श्री लक्ष्मण रावजी श्रवन जी (अकोला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

भट्टाचार्य, श्री चपलकांत (पश्चिम दीनाजपुर)

भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा)

भरूचा, श्री नौशीर (पूर्व खानदेश)

भवानी प्रसाद, श्री (सीतापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

भार्गव, पंडित ठाकुर दास (हिसार)

भार्गव, पंडित मुकट बिहारी लाल (अजमेर)

भोगजी भाई, श्री (बांसवाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

म

मंजुला देवी, श्रीमती (ग्वालपाड़ा)

मंडल, डा० पशुपति (बांकुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मंडल, श्री जियालाल (खगरिया)

मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)

मणियंगाडन, श्री मैत्यु (कोट्टयम्)

मतीन, काजी (गिरिडीह)

मतेरा, श्री लक्ष्मण महादु (थाना—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

मधोक, श्री बलराज (नई दिल्ली)

मनाग्रन, श्री (दार्जिलिंग)

मफीदा अहमद, श्रीमती (जोरहाट)

मलिक, श्री धीरेन्द्र चन्द्र (धनबाद)

मलिक, श्री वैष्णव चरण (केन्द्रपाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

म—(क्रमशः)

मल्लय्या, श्री उ० श्रीनिवास (उदीपी)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत लाल (जम्मू तथा काश्मीर)
मसानी, श्री मी० रु० (रांची—पूर्व)
मसुरिया दीन, श्री (अफूलपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (ढेंकानाल)
महागांवकर, श्री भाऊसाहेब रावसाहेब (कोल्हापुर)
महादेव प्रसाद, श्री (गोरखपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
महेन्द्र प्रताप, राजा (मथुरा)
माईति, श्री नि० वि० (घाटल)
माझी, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (पाली)
माने, श्री गो० का० (बम्बई नगर-मध्य—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, श्री कन्हैयालाल भेरूलाल (शाजापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, श्री केशव देव (बस्ती)
मालवीय, श्री मोतीलाल (खजुराहो—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिनिमाता अगमदास गुरु, श्रीमती (बलोदा बाजार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिश्र, श्री भगवानदीन (केसरगंज)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगु सराय)
मिश्र, श्री रघुवर दयाल (बुलन्दशहर)
मिश्र, श्री राजा राम (फैजाबाद)
मिश्र, श्री ललित नारायण (सहरसा)
मिश्र, श्री विभूति (बगहा)
मिश्र, श्री श्याम नन्दन (जयनगर)
मुकर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता—मध्य)
मुत्तूकृष्णन्, श्री म० (बल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मुनिस्वामी, श्री न० रा० (वेल्लोर)
मुरमू, श्री पाइका (राजमहल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (झूंझनू)
मुसाफिर, ज्ञानी गुरमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद अकबर, शेख (जम्मू तथा काश्मीर)
मुहम्मद इमाम, श्री (चितलदुर्ग)
मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)

म—(क्रमशः)

मूर्ति, श्री ब० सू० (काकिनादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मूर्ति, श्री मि० सू० (गोलुगोंडा)
मेनन, डा० क० ब० (बडागरा)
मेनन, श्री वें० कृ० कृष्णन् (बम्बई नगर-उत्तर)
मेनन, श्री नारायणन् कुट्टि (मुकुन्दपुरम्)
मेलकोटे, डा० (रायचूर)
मेहता, श्री अशोक (मुजफ्फरपुर)
मेहता, श्रीमती कृष्णा (जम्मू तथा काश्मीर)
मेहता, श्री जसवन्त राज (जोधपुर)
मेहता, श्री बलवन्तराय गोपालजी (गोहिलवाड़)
मेहदी, श्री सैं० अहमद (रामपुर)
मोरे, श्री ज० घ० (शोलापुर)
मोहनस्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहीदीन, श्री गुलाम (डिंडीगल)

य

याज्ञिक, श्री इन्दुलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)

र

रंगा, श्री (तेनाली)
रंगारेड्डि, श्री (करीम नगर)
रघुनाथ सिंह जी, श्री (बाड़मेर)
रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
रघुबीर सहाय, श्री (बदायूं)
रघुरामैया, श्री कोता (गुण्टर)
रणवीर सिंह, चौ० (रोहतक)
रहमान श्री मु० हिफजुर (अमरोहा)
राउत, श्री भोला (चम्पारन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राउत, श्री राजा राम बाल कृष्ण (कोलाबा)
राजबहादुर, श्री (भरतपुर)
राजू, श्री द० स० (राजामुंद्री)
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री (राय बरेली)

र—(क्रमश:)

राजेन्द्र सिंह, श्री (छपरा)

राज्य लक्ष्मी, श्रीमती ललिता (हजारीबाग)

राधा मोहन सिंह, श्री (बलिया)

राधा रमण, श्री (चांदनी चौक)

राने, श्री शिवराम रंगो (बुलडाना)

रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (पोल्लाची)

रामगरीब, श्री (बस्ती—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रामधनीदास, श्री (नवादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलबर्गा)

रामम्, श्री उद्दाराजू (नरसापुर)

राम सुभग सिंह, डा० (सहसराम)

रामस्वामी, श्री क० स० (गोबी चट्टिपलयम्)

रामस्वामी, श्री पु० (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रामस्वामी, श्री सें० वें० (सैलम)

रामशंकर लाल, श्री (डुलरियागंज)

राम शरण, श्री (मुरादाबाद)

रामानन्द तीर्थ, स्वामी (औरंगाबाद)

रामौल, श्री शिवानन्द (महासू)

राय, श्री खुशवक्त (खेरी)

राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)

राव, श्री विश्वनाथ (सलेमपुर)

राव, श्रीमती सहोदराबाई (सागर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

राव, श्री इ० मधुसूदन (महबूबाबाद)

राव, श्री त० ब० विट्ठल (खम्मम)

राव, श्री तिरुमल (काकिनाडा)

राव, श्री देवुलपल्ली वेंकटेश्वर (नलगोंडा)

राव, श्री रा० जगन्नाथ (कोरापट)

राव, श्री बी० राजगोपाल (श्रीकाकुलम्)

राव, श्री रामेश्वर (महबूबनगर)

राव, श्री हनुमन्त (मेदक)

रंगसुंग सुइसा, श्री (बाह्य मनीपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

र---(क्रमशः)

रूप नारायण, श्री (मिर्जापुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
रेड्डी, श्री क० च० (कोलार)
रेड्डी, श्री रो० नरपा (ओंगोल)
रेड्डी, श्री नागी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री बाली (मरकापुर)
रेड्डी, श्री राम कृष्ण (हिन्दूपुर)
रेड्डी, श्री रामी (कड़पा)
रेड्डी, श्री रे० लक्ष्मी नरसा (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री विश्वनाथ (राजमहेट)

ल

लक्ष्मणसिंह, श्री (नामनिर्देशित---अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
लक्ष्मीबाई, श्रीमती (विकाराबाद)
लच्छीराम, श्री (हमीरपुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
लाहिरी, श्री जितेन्द्र नाथ (श्री रामपुर)
लोनीकर, श्री रा० ना० यादव (जालना)

व

वर्मा, श्री बि० बि० (चम्पारन)
वर्मा, श्री माणिक्यलाल (उदयपुर)
वर्मा, श्रीरामजी (देवरिया)
वर्मा, श्री राम सिंह भाई (निमाड़)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (बलरामपुर)
वाडीवा, श्री ना० (छिन्दवाड़ा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
वारियर, श्री कृ० कि० (त्रिचूर)
बाल्वी, श्री लक्ष्मण वेदू (पश्चिमी खानदेश---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
वासनिक, श्री बालकृष्ण (भंडारा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
विजय आनन्द, महाराजकुमार (विशाखापटनम्)
विजय राजे, कुंवरानी (छतरा)
विल्सन, श्री जान० न० (मिर्जापुर)

व—(क्रमशः)

विश्वनाथ प्रसाद, श्री (आजमगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

विश्वास, श्री भोलानाथ (कटिहार)

वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी, श्री (रायपुर)

वकटा सुब्बैया, श्री पेन्देकांति (अडोनी)

वेद कुमारी, मोते (एलूरू)

वैरावन, श्री अ० (तंजौर)

वोडयार, श्री क० गु० (शिमोगा)

व्यास, श्री रमेश चन्द्र (भीलवाड़ा)

व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकर देव, श्री (गुलबर्गा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शंकर पांडियन, श्री (टंकासी)

शंकरय्या, श्री (मैसूर)

शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)

शर्मा, श्री अ० त्रि० (छतरपुर)

शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (हापुड़)

शर्मा, श्री दीवान चन्द्र (गुरदासपुर)

शर्मा, श्री राधा चरण (ग्वालियर)

शर्मा, श्री हरिश्चन्द्र (जयपुर)

शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (गुड़गांव)

शास्त्री, श्री लाल बहादुर (इलाहाबाद)

शास्त्री, पंडित ही० (सवाई माधोपुर)

शास्त्री, स्वामी रामानन्द (बाराबंकी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शाह, श्री मनुभाई (मध्य सौराष्ट्र)

शाह, श्री मानवेन्द्र (टेहरी गढ़वाल)

शाह, श्रीमती जयाबेन वजूभाई (गिरनार)

शिव, डा० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शिवनंजप्पा, श्री (मंडया)

शिवराज, श्री (चिंगलपट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शुक्ल, श्री विद्याचरण (बलोदा बाजार)

शोभाराम, श्री (अलवर)

श्रीनारायण दास, श्री (दरभंगा)

स

सवंदम्, श्री (नागपट्टिनम)

सक्सेना, श्री शिब्बनलाल (महाराजगंज—उत्तर प्रदेश)

सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)

सत्य नारायण, श्री बिट्टिका (पार्वतीपुरम्—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सत्यभामा देवी, श्रीमती (नवादा)

सम्पत, श्री (नामक्कल)

सरहदी, श्री अजित सिंह (लुधियाना)

सहगल, सरदार अमरसिंह (जंजगीर)

साधूराम, श्री (जालन्धर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)

सामन्तसिंहार, डा० न० चं० (भुवनेश्वर)

साहू, श्री भगवत (बालासोर)

साहू, श्री रामेश्वर (दरभंगा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सिंह, श्री क० ना० (शाहडोल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सिंह, श्री चण्डिकेश्वर शरण (सरगूजा)

सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (पपरी)

सिंह, श्री दिनेश प्रताप (गोंडा)

सिंह, श्री प्रभु नारायण (चन्दौली)

सिंह, श्री बनारसी प्रसाद, (मुंगेर)

सिंह, श्री महेन्द्र नाथ (महाराजगंज—बिहार)

सिंह, श्री रमेश प्रसाद (औरंगाबाद—बिहार)

सिंह, श्री लैसराम अचौ (आंतरिक मनीपुर)

सिंह, श्री सत्यनारायण (समस्तीपुर)

सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद—बिहार)

सिंह, श्री हर प्रसाद (गाजीपुर)

सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)

सिद्दय्या, श्री (मैसूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)

सिन्धिया, श्रीमती विजय राजे (गुना)

सिन्हा, श्री कैलाशपति (नालन्दा)

सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ)

स---(क्रमशः)

सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)

सिन्हा, श्री सारंगधर (पटना)

सुगन्धि, श्री मु० सु० (बीजापुर---उत्तर)

सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

सुब्बरायन, डा० प० (तिरूवेंगोड)

सुब्रह्मण्यम्, श्री टेकुर (बेल्लारी)

सुमत प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)

सुल्तान, श्रीमती मैमूना (भोपाल)

सूपकार, श्री श्रद्धाकर (सम्बलपुर)

सूर्य प्रसाद, श्री (ग्वालियर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

सेठ, श्री बिशन चन्द (शाहजहांपुर)

सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता---उत्तर-पश्चिम)

सेन, श्री फणि गोपाल (पूर्निया)

सैलकू, श्री मारदी (पश्चिमी दीनाजपुर---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)

सैयद महमूद, उ० (गोपाल गंज)

सोनावने, श्री तयप्पा (शोलापुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

सोनुल, श्री हरिहर राव (नांदेड़)

सोमानी, श्री ग० ध० (दौसा)

सोरेन, श्री देवी (दुमका---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

स्नातक, श्री नरदेव (अलीगढ़---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

स्वर्ण सिंह, सरदार (जालन्धर)

स्वामी, श्री (चान्दा)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

हजरनवीस, श्री रा० म० (भंडारा)

हजारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)

हरवानी, श्री अन्सार (फतेहपुर)

हाथी, श्री जयसुखलाल लालशंकर (हालर)

हाल्दर, श्री अन्सारी (डायमन्ड हार्बर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

हिनिटा, श्री हुवर (स्वायत जिले---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)

हुक्म सिंह, सरदार (भटिंडा)

हेडा, श्री ह० च० (निजामाबाद)

हेमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार

उपाध्यक्ष

सरदार हुक्म सिंह

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव

डा० सुशीला नायर

श्री मूलचन्द दुबे

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री जगन्नाथ राव

श्री ह० चं० हेडा

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

कार्य-मंत्रणा समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**

सरदार हुक्म सिंह

पंडित ाकुर दास भार्गव

श्री प्र० क० देव

श्री म० ला० द्विवेदी

श्री यादव नारायण जाधव

श्री जयपाल सिंह

श्री हरिश्चन्द्र माथुर

श्री राजेश्वर पटेल

श्री शिवराम रंगो राने

श्री सिद्धनंजप्पा

श्री लैस राम अचौ सिंह

श्री सत्य नारायण सिंह

श्री मिसुला सूर्यनारायण मूर्ति

श्री तंगामणि

विशेषाधिकार समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**

श्री हेम बरुआ

श्री च० द० गौतम

श्री फतहसिंहजी घोडासार

श्री मी० रु० मसानी

श्री हरिश्चन्द्र माथुर

श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी

श्री च० द० पांडे

श्री शिव राम रंगो राने

श्री अशोक कु० सेन

श्रीमती जयाबेन वजूभाई शाह

श्री सारंगधर सिन्हा

श्री सत्यनारायण सिंह

डा० प० सुब्बारायन

श्री श्रद्धाकर सूपकार

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी सामान्य

श्री मूलचन्द दुबे—**सभापति**

श्री मानकभाई अग्रवाल

श्री अय्याकणु

श्री इगनेस बेक

श्री बी० ला० चांडक

श्री भाउराव कृष्णराव गायकवाड़

श्री नं० रं० घोष

श्री राम कृष्ण गुप्त

श्री गुलाबराव केशवराव जेधे

श्री बै० च० मलिक

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही

श्री राजेश्वर पटेल

श्री हरिश्चन्द्र शर्मा

श्री शिवनंजप्पा

श्री रुंगसंग सुइसी

प्राक्कलन समिति

श्री दासप्पा—**सभापति**

श्री प्रेमथनाथ बनर्जी

श्री चन्द्र शंकर

श्री वें० ईयाचरण

श्री अन्सार हरवानो

श्री हेडा

श्री मं० रं० कृष्ण

रानी मंजुला देवी

श्री विभूति मिश्र

श्री गोरे

श्री गु० सिं० मुसाफिर

श्री पद्म देव

श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही

श्री पन्ना लाल

श्री करसन दास परमार

श्री थानु पिल्ले

श्री पुन्नूस

श्री राजेन्द्र सिंह

श्री रामस्वामो

श्री सतीश चन्द्र सामन्त

श्री विद्या चरण शुक्ल

श्री कैलाशपति सिन्हा

श्री सुगन्धि

श्री मोतीसिंह बहादुर सिंह ठाकुर

श्री महावीर त्यागी

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय

श्री रामसिंह भाई वर्मा

श्री बालकृष्ण वासनिक

श्री वोडयार

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव—**सभापति**

श्री अय्याकणु

श्री बासप्पा

श्री भोलानाथ विश्वास

श्री दलजीत सिंह

श्री विभूति भूषण दास गुप्त

श्री गणपति राम

श्री मूलचन्द जैन

श्री कमल सिंह

श्री कोडियान

श्री बलराज मधोक

श्री मोती लाल मालवीय

डा० पशुपति मंडल

श्री विश्वनाथ राय

श्री रामजी वर्मा

याचिका समिति

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन—**सभापति**

श्री अब्दुल सलाम

श्री अंजनप्पा

श्री जगदीश अवस्थी

श्री फतहसिंह घोड़ासर

पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी

श्री रामचन्द्र माझी

श्रीमती कृष्णा मेहता

श्री मथुरा प्रसाद मिश्र

श्री मुहम्मद इमाम

श्री वासुदेवन नायर

श्रीमती उमा नेहरू

श्री नानूभाई निच्छाभाई पटेल

श्री शिवनंजप्पा

श्री शिवराज

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

सरदार हुक्म सिंह--सभापति

श्री स० अ० अगाड़ी

श्री अकबर भाई चावदा

श्री देवी सोरेन

श्री रामकृष्ण गुप्त

श्री यादव नारायण जाधव

श्री भानुसाहेब रावसाहेब महागांवकर

श्री सुरेन्द्र महन्ती

श्री नि० बि० माईति

श्री थानुलिंगम् नादर

श्री त० ब० विट्ठल राव

श्री रूप नारायण

श्री अमर सिंह सहगल

श्री झूलन सिंह

श्री सुन्दर लाल

लोक लेखा समिति

लोक-सभा

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन--सभापति

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी

श्री अरविन्द घोषाल

श्री हेमराज

श्री र० सि० किलेदार

श्री माने

डा० पशुपति मंडल

श्री मतीन

डा० मेलकोटे

श्री पु० र० पटेल

डा० सामन्त सिंहार

पंडित द्वा० ना० तिवारी

कुमारी मोत्ते वेदकुमारी

श्री रामजी वर्मा

श्री वारियर

राज्य-सभा

डा० श्रीमती सीता परमानन्द

श्री लालजी पेंडसे

श्री बी० सी० केशव राव

श्री मुल्क गोविन्द रेड्डी

श्रीमती सावित्री देवी निगम

श्री राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह

श्री जयनारायण व्यास

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

सरदार हुक्म सिंह—सभापति

श्री बहादुर सिंह

श्री अरविन्द घोषाल

श्री न० रे० घोष

पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी

डा० कृष्णस्वामी

श्री नारायणन् कुट्टि मेनन

श्री मोहम्मद इमाम

श्री पु० र० पटेल

श्री करसनदास परमार

श्री रघुबीर सहाय

श्री क० स० रामस्वामी

श्री अजित सिंह सरहदी

श्री सिद्धनंजप्पा

श्री झूलन सिंह

सामान्य प्रयोजन समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगर—सभापति

सरदार हुक्म सिंह

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री ब्रजराज सिंह

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री० श्री० अ० डांगे

श्री दासप्पा

श्री प्र० के० देव

श्री मूल चंद दूबे

श्री ह० चं० हेडा

श्री रंगा

श्री जयपाल सिंह

डा० कृष्णस्वामी

श्री उ० श्री० मल्लय्या

श्री अशोक मेहता

डा० सुशीला नायर

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन

श्री सत्य नारायण सिंह

श्री शिव राज

श्री याज्ञिक

श्री जगन्नाथ राव

आवास समिति

श्री उ० श्री० मल्लय्या—सभापति

श्री बैरो

श्री माणिकलाल मगन लाल गांधी

श्री अरविन्द घोषाल

श्री रामकृष्ण गुप्त

श्री खुशवक्त राय

श्रीमती पार्वती कृष्णन

श्रीमती मफीदा अहमद

श्री राजेश्वर पटेल

श्री जगन्नाथ राव

श्री स० चं० सामन्त

श्री सिंहासन सिंह

लाभपद संबंधी संयुक्त समिति

लोक–सभा

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन––सभापति

डा० मा० श्री० अणे

श्री आसार

श्री क० ब० मेनन

श्री मुरारका

श्री ही० ना० मुकर्जी

श्रीमती उमा नेहरू

श्री रामेश्वर साहू

श्री राधा चरण शर्मा

श्री सिद्धनंजप्पा

राज्य–सभा

दीवान चमन लाल

श्री टी० एस० अविनाशलिंगम् चेट्टियार

श्री एम० गोविन्द रेड्डी

डा० राज बहादुर गौड़

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह

संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते संबंधी संयुक्त समिति

लोक–सभा

श्री सत्य नारयण सिंह ––सभापति

श्री बैरो

श्री चपला कान्त भट्टाचार्य

श्री रेशम लाल जांगड़े

श्री प्रभात कार

श्री मोहन स्व

श्री च० रा० नरसिंह

श्री अजित सिंह सरहदी

श्री सिंहासन सिंह

श्री टेकुर सुब्रह्मण्यम

राज्य-सभा

श्री जगन्नाथ कौशल

श्री अवधेश्वर प्रताप सिंह

श्री रोहित एम० दव

श्रीमती यशोदा रेड्डी

डा० डब्ल्यू ० एस० बालिगें

नियम समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगर—**सभापति**

सरदार हुक्म सिंह

श्री अमजद अली

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री नौशीर भरूचा

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री मु० सु० सुगन्धी

श्री भाउराव कृष्णराव गायकवाड़

श्री मोती लाल मालवीय

श्री घनश्याम लाल ओझा

श्री पु० र० पटेल

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्

श्री शंकरय्या

श्री राधा मोहन सिंह

श्री सत्य नारायण सिंह

भारत सरकार

मंत्रि-मंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति विभाग के भार-साधक मंत्री—श्री जवाहरलाल नेहरू

गृह-कार्य मंत्री —लाल बहादुर शास्त्री

रेलवे मन्त्री—श्री जगजीवन राम

वित्त मंत्री —श्री मोरारजी देसाई

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री—श्री गुलजारी लाल नन्दा

परिवहन तथा संचार मंत्री—डा० प० सुब्बरायन

विधि मंत्री—श्री अ० कु० सेन

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री —सरदार स्वर्ण सिंह

सिंचाई और विद्युत् मंत्री —हाफिज मुहम्मद इब्राहीम

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री —श्री क० च० रेड्डी

खाद्य तथा कृषि मंत्री —श्री स० का० पाटिल

प्रतिरक्षा मंत्री—श्री वे० कृ० कृष्ण मेनन

निर्माण , आवास और संभरण मंत्री—डा० बे० गोपाल रेड्डी

राज्य-मंत्री

संसद्-कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिंह

सूचना और प्रसारण मंत्री—डा० बा० वि० केसकर

स्वास्थ्य मंत्री —श्री द० प० करमरकर

कृषि मंत्री —डा० पंजाबराव शा० देशमुख

खान और तेल मंत्री—श्री केशव देव मालवीय

पुनर्वास मंत्री—श्री मेहरचन्द खन्ना

वाणिज्य मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री—श्री राज बहादुर

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री ब० ना० दातार

उद्योग मंत्री—श्री मनुभाई शाह

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री —श्री सुरेन्द्र कुमार डे

शिक्षा मंत्री —डा० का० ला० श्रीमाली

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री—श्री हुमायून् कबिर

उपमंत्री

प्रतिरक्षा उपमंत्री—सरदार सुरजीत सिंह मजीटिया

श्रम उपमंत्री—श्री आबिद अली

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री—श्री अनिल कु० चन्दा

कृषि उपमंत्री—श्री मो० वें० कृष्णप्पा

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री—श्री जयसुख लाल लालशंकर हाथी

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री—श्री सतीश चन्द्र

योजना उपमंत्री—श्री श्याम नन्दन मिश्र

वित्त उपमंत्री—श्री ब० रा० भगत

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री—डा० मनमोहन दास

रेलवे उपमंत्री—श्री शाहनवाज़ खां

रेलवे उपमंत्री—श्री सें० वें० रामस्वामी

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री—श्रीमती लक्ष्मी मेनन

गृह-कार्य उपमंत्री—श्रीमती वायलेट आल्वा

प्रतिरक्षा उपमंत्री—श्री कोत्ता रघुरमैय्या

असैनिक उड्डयन उपमंत्री— श्री मुहीउद्दीन

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री—श्री अ० म० थामस

पुनर्वास उपमंत्री—श्री पु० शे० नास्कर

विधि उपमंत्री—श्री हजरनवीस

वित्त उपमंत्री —श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री—श्री ब० सू० मूर्ति

श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री—श्री ललित नारायण मिश्र

सभा-सचिव

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव—श्री सादत अली खां

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव —श्री जो० ना० हजारिका

प्रतिरक्षा मंत्री के सभा सचिव—श्री फतहसिंहराव प्रतापसिंहराव गायकवाड़

सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव—श्री आ० चं० जोशी

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव —श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री के सभा-सचिव—श्री श्याम धर मिश्र

लोक-सभा

गुरुवार, ३० नवम्बर १९६१

९ अग्रहायण, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बज समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ताबां तथा सोने के निक्षेप

+

†*४३२. { श्री कोडियान :
श्रीमती इलापाल चौधरी :
श्री अगाड़ी : }

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर में हसन जिले में कल्याणी में तांबे का पता लगा है और धारवाड़ जिले में कपगुड्डा में, टुमकर जिले में अजन्नहाली में और शिमोगा जिले में कुद्रेकोंडा में सोने का पता लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका पूरा ब्यौरा क्या है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) और (ख). भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण ने इन स्थानों में तांबे और सोने की कोई नई खानें नहीं की हैं। परन्तु उनके वहां होने की जानकारी बहुत समय से है।

हाल में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा कलयादी तांबा क्षेत्र का विस्तृत मायांकन किया गया था। इस कार्य के परिणामस्वरूप राज्य के खान तथा भूतत्व विज्ञान विभाग के साथ सहयोग से छिद्रण कार्य किया जा रहा है। वह खनिज पदार्थ किस प्रकार का है इस बात का पता तब लगेगा जब कि नमूनों का विश्लेषण कर लिया जाएगा।

हाल में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा धारवाड़ जिले में कप्पागुड्डा में टुमकर जिले में अंजन्नाहल्ली में और शिमोगा जिले में कुद्रेकोंडा में सोने के पाए जाने के संबंध में कोई जांच नहीं की गई है।

†मूल अंग्रेजी में

1628 (Ai) LSD—1.

राज्य सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है कि वे इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या धारवाड़ जिले की कपतगुद्दा पहाड़ियों के मैसूर खान खण्ड में सोने के लिए किए गए पुराने प्रयत्नों के संबंध में विस्तृत जांच की जानी चाहिए ।

†**श्री कोडियान :** कलयादी क्षेत्र में उपलब्ध तांबे की मात्रा और किस्म का निर्धारण करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** मामले की जांच की जा रही है । तांबे के निक्षेप पुराने थे और वे बहुत पहले ही खत्म हो चुके थे । अब यह निश्चित करना होगा कि क्या उसका व्यापारिक दृष्टि से खनन करना ठीक होगा ।

†**श्री प्र० गं० देव :** इन खनिजों का खनन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा अथवा भारत सरकार द्वारा ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** मैं बता चुका हूं कि भारत का भूतत्वीय सर्वेक्षण राज्य सरकार की सहायता से खोज कर रहा है ।

†**श्री कोडियान :** क्या मैसूर राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी भूतत्वीय सर्वेक्षण किया जा रहा है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** भूतत्वीय सर्वेक्षण राज्य के विभिन्न भागों में किया जा रहा है । यदि माननीय सदस्य किसी विशेष स्थान के संबंध में सूचना चाहते हैं तो मैं पूर्व सूचना चाहूंगा ।

विदेशी बैंक में जमा रकम

\+

†*४३३. { **श्री सूपकार :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री प्र० के० देव :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री अरविंद घोषाल :
श्री नाथ पाई :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल में कलकत्ता में एक सार्थ के यहां तलाशी लेकर कुछ कागजात पकड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इन कागजात से किसी विदेशी बैंक में उड़ीसा के एक प्रमुख व्यक्ति के जमा धन के बारे में पता चला है ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस बारे में उस व्यक्ति और किसी विदेशी मिशन के बीच पत्र-व्यवहार चल रहा है ;

(घ) यदि हां, तो मामले का स्वरूप और ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) उस व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) हां, श्रीमान् ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) नहीं, श्रीमान् । उनसे किसी व्यक्ति द्वारा किसी विदेशी बैंक में किसी धन के जमा किए जाने का पता नहीं लगता है । जांच के दौरान बरामद कुछ कागजातों से मालूम होता है कि एक सौदे में कुछ सामान के लिए भुगतान के लिए स्वीकृत मूल्य कागजातों में निर्दिष्ट पहले की बातचीत में उल्लिखित मूल्य से अधिक था । वह सौदा उड़ीसा में चल रही एक फर्म से संबंधित था ।

(ग) नहीं, श्रीमान । जब्त कागजात में इस प्रकार की कोई चीज नहीं है ।

(घ) उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) मामले की जांच की जा रही है ।

†**श्री सूपकार** : क्या कलकत्ते की वह फ़र्म, जिसमें ये कागजात पाए गए थे, मेसर्स स्ताहलु-नियन है और मूल्य में अन्तर उड़ीसा के कलिंग टयूब्स द्वारा संभरण किये गये इस्पात के संबंध में था ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : जब तक जाँच चल रही है तब तक इस मामले में कुछ भी कहना असंभव है ।

†**श्री नाथ पाई** : अध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मामला है । पिछले दिन मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता था परन्तु आपके निर्णय का पालन करते हुए मैंने वैसा नहीं किया ।

वित्त मंत्री ने कहा कि मामले के सम्बन्ध में जांच चल रही है। मेरा निवेदन है कि हमने यह मामला प्रधान मंत्री के सामने रखा था और उन्होंने बताया है कि जांच हो चुकी है और मामला खत्म हो गया है । दोनों में से कौन सी बात सही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने उस पत्र पर आदेश जारी कर दिये हैं जो श्री नाथ पाई ने मुझे लिखा था तथा जिसमें उन्होंने मेरा ध्यान प्रधान मंत्री द्वारा श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी को लिखे गये पत्र की ओर आकर्षित किया है जिसमें एक भुगतान की पूर्ति का निर्देश है । सम्भवतः श्री नाथ पाई यह समझते हैं कि प्रधान मंत्री ने यह लिखा है कि जांच करके भुगतान कर दिया गया है जब कि वित्त मंत्री कहते हैं कि जांच अभी चल रही है । श्री नाथ पाई दोनों मंत्रियों के वक्तव्यों में पारस्परिक विरोध समझते हैं । प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा था वह केवल एक भुगतान से सम्बन्धित है जब कि ये प्रश्न उड़ीसा के मुख्य मंत्री के विदेशी बैंकों के हिसाब से सम्बन्धित है । इस लिये मैं समझता हूं कि दोनों के वक्तव्यों में कोई विरोध नहीं है ।

†**श्री नाथ पाई** : दुर्भाग्यवश इस समय वह पत्र आप के पास है मेरे पास नहीं .....

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपको दे दूंगा ।

†**श्री नाथ पाई** : उसमें यह कहा गया है कि कुछ सौदे हुये हैं, उनके बारे में जांच की गई है और मामला खत्म कर दिया गया है । जांच में समस्त लेन-देन सम्मिलित है ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : प्रधान मंत्री ने एक सौदे के बारे में जो कुछ कहा है उसका इससे कोई संबंध नहीं है । वह सर्वथा भिन्न मामला था और वह निपट चुका है ।

†**एक माननीय सदस्य** : क्या अनेक सौदे हुये थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं अभी यह नहीं बता सकता कि एक सौदा हुआ था अथवा अनेक। जब तक जांच चल रही है तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता हूं।

†**श्री नाथ पाई** : दो पहले अवसरों पर इन्हीं वित्त मंत्री ने जांच के दौरान---श्री शांतिप्रसाद जैन और श्री डांगे के मामलों में बहुत सी बातें बता दी थीं। फिर इस मामले में कुछ बताने से हिचक क्यों की जा रही है ? मैं कार्यवाही के विवरण से प्रमाण पेश कर सकता हूं कि सीमित प्रकृति की सूचना दी गई थी। परन्तु अब यहां नाम भी नहीं बताया जा रहा है। नाम के सम्बन्ध में इतनी गोपनीयता क्यों रखी जा रही है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : माननीय सदस्यों ने नाम का उल्लेख किया है जिसका प्रतिवाद मैंने नहीं किया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। मैं समस्त संगत प्रश्न पूछे जाने की अनुमति दूंगा। वास्तव में जैसे ही मामला उठाया गया था मैंने ही यह कह दिया था कि "इस प्रश्न के सम्बंध में व्यक्तियों से संबंधित ब्यौरा देना आवश्यक नहीं है ; सामान्यतः प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है।" परन्तु माननीय वित्त मंत्री व्यक्ति का नाम बताने को तैयार थे। उन्होंने नाम बताया था और कहा था कि उनके विरुद्ध जांच चल रही है।

†**श्री नाथ पाई** : यह कब की बात है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह मेरे कहने के विपरीत भी नाम के बारे में सूचना देने के लिये तैयार थे। उसमें हमें नहीं पड़ना चाहिये। नाम सर्वथा स्पष्ट है। प्रश्न यह है कि क्या जांच के दौरान अग्रेतर ब्यौरा दिये जाने की अनुमति दी जानी चाहिये ? पता नहीं यह जांच कब तक पूर्ण होगी, क्या इसके बारे में कोई सूचना है ?

†**श्री ब्रजराज सिंह**: माननीय मंत्री को जो तथ्य ज्ञात होंगे वे बताये जाने चाहियें।

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह जांच इंग्लैंड से सम्बन्धित है। इसलिये मैं यह बताने में असमर्थ हूं कि मुझे उत्तर कब तक मिलेंगे।

†**श्री नाथ पाई** : क्या यह सच है कि विशेष पुलिस संस्थापन का एक अधिकारी इंग्लैंड भेजा गया था ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : पत्र-व्यवहार हो रहा है, इस लिये इसमें कुछ समय लगेगा। परन्तु मैं समझता हूं कि इस में किसी भी हालत में एक महीने से अधिक नहीं लगेगा।

†**श्री नाथ पाई**: क्या यह सच है कि विशेष पुलिस संस्थापन का एक अधिकारी---अभी मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता परन्तु बाद में आपकी अनुमति से वैसा करूंगा---वहां भेजा गया था; और यदि हां, तो उसने माननीय मंत्री को क्या सूचना दी है ?

†**अध्यक्ष महोदय**: क्या वह माननीय मंत्री को प्रतिवेदन भेज चुके हैं ?

†**श्री मोरारजी देसाई**: मैंने किसी को नहीं भेजा है।

श्री ब्रजराज सिंह: उसे गृह मंत्रालय ने भेजा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : विशेष पुलिस संस्थापन द्वारा डी० सोजा नामक एक पुलिस अधिकारी को जांच के लिये यूरोप भेजा गया था और उसे गृह-मंत्रालय द्वारा वापस बुला लिया गया था; यह हमें मालूम हुआ है। क्या इसके सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डाला जा सकता है (**अंतर्बाधा**)।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। ऐसी गड़बड़ नहीं होनी चाहिये। श्री हेम बरुआ कहते हैं कि गृह-मंत्रालय द्वारा एक पुलिस अधिकारी भेजा गया था। माननीय मंत्री कहते हैं कि उन्होंने किसी को नहीं भेजा। दोनों की बात ठीक है।

†**श्री मोरारजी देसाई** : जहां तक मैं जानता हूं, इसका गृह-मंत्रालय से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि माननीय सदस्य मुझ से अधिक जानकारी रखते हैं।

†**श्री नाथ पाई** : मेरा अंतिम प्रश्न श्री भगत के उत्तर पर आधारित है कि वाउचर में दिखाई गई राशि देय राशि से कुछ अधिक थी। यह फर्म अथवा भारत की अनेक फर्में ऐसा सामान्यतः करती हैं और वाउचरों में अधिक राशि दिखाई जाती है? दिखाई गई राशि और भुगतान की गई राशि के अन्तर का क्या होता है? इस प्रकार गलत चित्र उपस्थित करके वे जो अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं उसका क्या होता है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह समस्त प्रश्न धारणा पर आधारित हैं। मैं ये सब बात नहीं जानता हूं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : यह सूचना उप-मंत्री द्वारा दी गई थी।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं अन्य व्यक्ति द्वारा कही गयी बात की जिम्मेदारी नहीं लेता।

†**श्री नाथ पाई** : अपने उपमंत्री की बात की भी नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति।

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह सब प्रश्न वह सूचना प्राप्त करने के लिये घुमा फिरा कर किये जा रहे हैं जो मैं देने में असमर्थ हूं (**अन्तर्बाधाय**)।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। किसी भी पक्ष को इस मामले में इतनी भावुकता नहीं दिखानी चाहिये। माननीय उपमंत्री ने कहा कि वास्तविक राशि से अधिक की रसीदें पास की जाती हैं। इस प्रकार की सामान्य प्रकृति के प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? यदि कोई व्यक्ति यहां से एक लाख रुपये के मूल्य का सामान निर्यात करता है और पचास हजार रुपये का बिल भेजा जाता है तो शेष पचास हजार रुपये विदेशी बैंक में होंगे। उसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री से पूछने से क्या लाभ है। मैं यह सूचना दे सकता हूं।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मेरा निवेदन है कि हम जो उत्तर देते हैं उसमें अधिकाधिक सूचना प्रदान की जाती है। ये सब आरोपों के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं। इसके विपरीत कहा जाता है कि कागजात में इस प्रकार की कोई चीज नहीं है। पता नहीं वे ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं। मुझे अभी तक कोई सामग्री नहीं मिली है।

†**श्री नाथ पाई** : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में माननीय उपमंत्री ने जो कुछ कहा था उस पर मैंने यह पूछा था कि "क्या यह गैर कानूनी सौदा नहीं है? इस प्रकार गलत हिसाब पेश करके प्राप्त की गई विदेशी मुद्रा का क्या होता है?" यह सामान्य प्रश्न कैसे हैं? यह तो एक निर्दिष्ट प्रश्न है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० रा० भगत :** मैंने ऐसा कब कहा ?

†**श्री नाथ पाई :** क्या माननीय मंत्री प्रश्न के भाग (क) का उत्तर पढ़ने का कष्ट करेंगे ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** उत्तर बहुत स्पष्ट है ।

†**श्री ब० रा० भगत :** मैंने यह उत्तर दिया था :

(क) हां, श्रीमान् ।

(ख) नहीं, श्रीमान् । उनसे किसी व्यक्ति द्वारा किसी विदेशी बैंक में किसी धन के जमा किये जाने का पता नहीं लगता है । जांच के दौरान बरामद कुछ कागजातों से मालूम होता है कि एक सौदे में कुछ सामान के लिये कुछ भुगतान के लिये स्वीकृत मल्य कागजातों में निर्दिष्ट पहले की बातचीत में उल्लिखित मूल्य से अधिक था । वह सौदा उड़ीसा में चल रही एक फर्म से सम्बन्धित था ।"

†**श्री नाथ पाई :** यह एक निर्दिष्ट दृष्टांत है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या यही एक मामला है जो पता चला है अथवा ऐसे अनेक मामले हैं ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** मेरा निवेदन है कि ऐसा कहना जल्दबाजी करना है । यहां यह कहा गया है कि जांच के दौरान ज़ब्त किये गये कुछ कागजात से मालूम हुआ है कि एक मामले में कुछ सामान के भुगतान के लिये स्वीकृत मूल्य कागजात में निर्दिष्ट पहले की बात चीत में उल्लिखित मूल्य से अधिक था । इसका एक विशेष कारण है । जब किस्म बदलती है तो बाद में मूल्य भी बदल जाता है । मैं समझता हूं कि यह सर्वथा स्पष्ट है और यह प्रक्रिया जारी है ।

†**श्री गोरे :** यहां और समाचार पत्रों में अनेक प्रकार की बातें कही जा रही हैं । अतः क्या यह उचित नहीं है कि वित मंत्री सारी चीज का स्पष्टीकरण कर दें ताकि उनके सहयोगी उड़ीसा के मुख्य मंत्री इस दोषारोपण से मुक्त हो सकें ? अन्यथा यह चीज जारी रहेगी ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** मैं समझता हूं कि यह इस देश में जब तब संभव नहीं है जब तक इस प्रकार का रवैया कायम रहता है ।

†**श्री नाथ पाई :** माननीय मंत्री उपदेश दे रहे हैं या सूचना ? वह यहां वित्त मंत्री हैं, धर्मोपदेशक नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति ।

†**श्री हेम बरुआ :** हमारी सूचना यह है कि श्री पटनायक द्वारा प्रधान मंत्री के समक्ष पेश किये गये कुछ पत्र जाली थे । हमें मालूम हुआ है कि वे पत्र बाहर के छपे हुये हैं जब कि वे लिखे यहीं से गये थे ।

†**अध्यक्ष महोदय :** बहुत अच्छा, उसके बारे में भी जांच चल रही है । अगला प्रश्न ।

†**श्री नाथ पाई :** हम अपने अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सके ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस मामले के सम्बन्ध में आग्रह करना व्यर्थ है । जब किसी मामले के सम्बन्ध में जांच चल रही है तो उसके पूर्ण होने से पूर्व कोई सूचना कैसे दी जा सकती है ? माननीय सदस्यों के पास जो सूचना है उसे वे माननीय वित्त मंत्री के पास भेज दें तथा मंत्री जी उसको जांच अधिकारी के पास भेज देंगे

---

†मूल अंग्रेजी में

ताकि जांच अधिकारी को समस्त तथ्य मालूम हों सकें। माननीय मंत्री से प्रश्न करना व्यर्थ है, वह स्वयं जांच नहीं कर रहे हैं। जांच करना किसी अन्य का कार्य है।

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह समस्त कार्य कानून के अन्तर्गत प्रख्यापन निदेशक करता है और आदेश जारी करता है। वह सरकार को निर्दिष्ट नहीं किया जाता है। मैं उन्हीं से समस्त सूचनायें प्राप्त करता हूं।

†**श्री तंगामणि** : यह संकेत किया गया था कि एक सौदे में स्वीकृत मूल्य और अंकित मूल्य में काफी अन्तर था।

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा मालूम पड़ता था।

†**श्री तंगामणि** : उनमें कितना अन्तर है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं इसके बारे में कोई उत्तर नहीं दूंगा क्योंकि अभी जांच चल रही है।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं एक औचित्य प्रश्न .....

†**श्री अ० कु० सेन** : मेरा निवेदन है कि वित्त मंत्री की बात सर्वथा ठीक है क्योंकि यदि वे कोई सूचना दे देंगे तो कानून की गिरफ्त में आ जायेंगे।

†**कुछ माननीय सदस्य** : कौन से कानून की ?

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं यह औचित्य प्रश्न इसलिए उठा रहा हूं कि यह प्रश्न अक्सर उत्पन्न होता है। हम इस मामले पर भली प्रकार विचार कर चुके हैं। जब तक जांच समाप्त नहीं हो जाती है उस से सम्बन्धित समस्त कागजात आयकर अधिनियम की धारा ५४ और इस अधिनियम की धारा १९(४) के अन्तर्गत पूर्णतः गुप्त रखे जाते हैं। आयकर अधिनियम की धारा ५४, जो सर्वथा स्पष्ट है, निम्न प्रकार है :

> "इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत दिये गये किसी वक्तव्य अथवा प्रस्तुत विवरणी अथवा पेश किये गये हिसाब अथवा कागजातों अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी कार्यवाही--इस अध्याय के अन्तर्गत कार्यवाहियों से भिन्न--के दौरान दिये गये किसी भी साक्ष्य अथवा शपथपत्र अथवा बयान अथवा किसी निर्धारण की कार्यवाही अथवा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तैयार की गई किसी मांग की वसूली से सम्बन्धित किसी भी कार्यवाही के रिकार्ड में सन्निहित ब्यौरा गुप्त समझा जायेगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किसी भी बात के रहते हुए कोई भी न्यायालय इस अधिनियम में उपबन्धित तरीके से अन्यथा किसी सरकारी कर्मचारी से ऐसी कोई विवरणी, लेखे, कागजात अथवा रिकार्ड अथवा ऐसे रिकार्ड का कोई भाग पेश करने के लिए नहीं कह सकेगा।"

जब वह निषिद्ध है तो हम मौखिक साक्ष्य कैसे दे सकते हैं ?

†**श्री ब्रजराज सिंह** : क्या निषिद्ध है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। यह क्या है ? क्या माननीय सदस्य सभा में शिष्टता नियमों का पालन नहीं करना चाहते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुनाथ सिंह :** जी हां, यही तो प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** जब माननीय सदस्य खड़े होते हैं और मैं उन्हें देख लेता हूं तो मैं उन्हें प्रश्न पूछने का मौका देता हूं । मेरे अनुमति देने के पूर्व चिल्लाने लगने का क्या मतलब है ? मुझे इस व्यवहार पर आश्चर्य हो रहा है । ऐसा कई बार हो चुका है । कोई भी मंत्री और विशेषकर विधि मंत्री मुझ से यह कह सकते हैं कि मुझे इस मामले में अधिक प्रश्नों को अनुमति नहीं देनी चाहिए । मैं इसके सम्बन्ध में विचार कर रहा हूं । यह एक औचित्य प्रश्न उठाया गया है ।

क्या माननीय विधि मंत्री कुछ और कहना चाहते हैं ?

†**श्री अ० कु० सेन :** मुझे दुख है कि श्री ब्रजराज सिंह तर्कसंगत बात नहीं कहते हैं ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** क्या मुझे भी उत्तर देने का मौका दिया जा सकता है ?

†**श्री अ० कु० सेन :** मैं तर्कों का उत्तर दे सकता हूं, बिना तर्क की बात का नहीं ।

†**श्री ब्रज राज सिंह :** मैं तर्क पेश करने के लिए तैयार हूं ।

श्री अ० कु० सेन : सर्वप्रथम, अधिनियम ऐसे अधिकारी के समक्ष साक्ष्य के सम्बन्ध में पेश किये गये किन्हीं भी कागजात के पेश किये जाने को निषिद्ध करता है । आप जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति वैसा करेगा तो उस पर अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है ।

इसके अतिरिक्त यदि हम स्वयं अधिनियम को देखें तो ज्ञात होगा कि जांच और न्यायनिर्णयन का सारा कार्य संसद् द्वारा प्रख्यापन निदेशक नामक अधिकारी को दिया गया है जो साक्ष्य पर विचार कर के न्यायिक ढंग से का करता है । हम ने सरकार को उपलब्ध उच्चतम कानूनी सलाह से यह मालूम किया है कि सरकार भी ऐसे मामलों में अपने विचार प्रख्यापन निदेशक को बताने की हकदार नहीं है । अन्यथा वह परिनियम द्वारा एक अधिकारी को दिये गये न्यायिक विवेक में हस्तक्षेप करना होगा ।

इसलिए ऐसे समस्त मामलों में वित्त मंत्रालय को विधि मंत्रालय की सलाह यह रही है कि सरकार को इन मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । यदि हस्तक्षेप किया जाता है तो उसके सम्बन्ध में अपीलीय प्रक्रिया निर्धारित है ।

†**श्री नाथ पाई० :** मैं एक औचित्य प्रश्न . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति । श्री ब्रजराज सिंह । श्री नाथपाई को बार बार खड़े हो कर प्रश्न नहीं पूछना चाहिए ।

†**श्री नाथपाई :** म एक औचित्य प्रश्न उठाने के लिए खड़ा हो रहा हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं श्री ब्रजराज सिंह का नाम पुकार रहा हूं ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** माननीय विधि मंत्री ने कहा कि मैं तर्कसंगत बात नहीं कहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य को अपना तर्क पेश करना चाहिए ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** विधि मंत्री ने साक्ष्य की बात कही । जहां तक स्वयं वित्त मंत्री के कथन का सम्बन्ध है, इस मामले में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है । केवल कुछ आरोप हैं । साक्ष्य के बाद वे आरोप सही भी सिद्ध हो सकते हैं और गलत भी । सभा केवल यह जानना चाहती

---

†मूल अंग्रेजी में

है कि आरोप क्या हैं। हम साक्ष्य के सम्बन्ध में नहीं पूछ रहे हैं, इसलिए माननीय विधि मंत्री द्वारा उठाया गया औचित्य प्रश्न नियमित नहीं है। केवल इतना प्रश्न पूछा गया है कि तय किये गये और बाद में भुगतान किये गये मूल्य में कितना अन्तर है। इस में साक्ष्य की कोई बात नहीं है।

†**श्री नाथपाई** : मुझे खेद है कि मैं आवश्यकता से अधिक खड़ा होता हूं परन्तु वह केवल कर्त्तव्यपालन के लिए।

†**अध्यक्ष महोदय** : किसी भी माननीय सदस्य को तब तक खड़े होकर प्रश्न नहीं पूछना चाहिए जब तक कि उसका नाम न पुकारा जाये।

†**श्री नाथपाई** : बहुत, बहुत धन्यवाद। आप जानते हैं कि मैं आप के विनिर्णय का सदा पालन करता हूं।

मेरा निवेदन है कि माननीय विधि मंत्री द्वारा उठाया गया औचित्य प्रश्न सर्वथा असंगत है। यहां हम आयकर अधिनियम की बात नहीं कर रहे हैं; मुझे नहीं मालूम कि सम्बन्धित पक्ष के विरुद्ध आयकर अधिनियम के अन्तर्गत भी कोई मामला है। जिन उपबन्धों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है वे विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के हैं जो विदेशी मुद्रा के लेन-देनों के विनियमन से सम्बन्धित हैं। इसलिए मैं उनकी बात को संगत नहीं समझता हूं। यह विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत है और आयकर अधिनियम से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। वह अधिक अच्छी तरह जानते हैं। संभवतः यह भी इससे सम्बन्धित है। में नहीं जानता। हम ने अपना मामला रिजर्व बैंक विनियमों के उपबन्धों पर आधारित किया है। हमारा प्रश्न यह था कि क्या उन विनियमों का कोई उल्लंघन हुआ है? माननीय मंत्री ने इस का उत्तर नहीं दिया। अभी जो प्रश्न उत्पन्न हुआ था वह अन्तर्ग्रस्त राशि से सम्बन्धित था। वह राशि बता कर अन्तर क्यों नहीं बता दिया जाता है? मैं नहीं समझता कि इस में कौन सी गोपनीय बात है जो प्रकट नहीं की जा सकती है।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं ने जो औचित्य प्रश्न उठाया था वह श्री तंगामणि द्वारा उपमंत्री द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पूछे गये प्रश्न पर था। उपमंत्री ने कहा कि स्वीकृत मूल्य और बाद में अंकित मूल्य में कुछ अन्तर था। दिये गये उत्तर के आधार पर मैं समझता हूं कि यह प्रश्न सर्वथा उचित है। परन्तु माननीय मंत्री कहते हैं कि वह श्री तंगामणि के प्रश्न का उत्तर देने से इन्कार करते हैं।

मेरा औचित्य प्रश्न यह है कि वित्त मंत्री ऐसे प्रश्न का उत्तर देने से इन्कार कैसे कर सकते हैं जो माननीय उपमंत्री के उत्तर के आधार पर पूछा गया था?

†**श्री नौशेर भरूचा** : माननीय विधि मंत्री द्वारा उठाया गया औचित्य प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में वह इस सभा में पूछे जा सकने वाले बहुत से प्रश्नों पर गोपनीयता का पर्दा डालना चाहते हैं। आयकर अधिनियम की धारा ५४, जिसे उन्होंने उद्धृत किया, का इस से कोई सम्बन्ध नहीं है जब तक कि माननीय वित्त मंत्री यह न कहें कि यह आयकर अधिकारी के समक्ष निर्धारण चांज का अंग है।

दूसरे, उन्हें यह भी कहना चाहिए कि वह सूचना उस संलेख में सन्निहित है। जो आयकर अधिकारी के समक्ष पेश किया गया है। कोई भी और प्रत्येक चीज बन्द नहीं की जा सकती है। इसलिए धारा ५४ यहां लागू नहीं हो सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक विधि मंत्री के गोपनीयता सम्बन्धी अन्य विचारों का सम्बन्ध है, उनके तर्क का केवल एक भाग सही है अर्थात् कि सरकार उस अधिकारी के विवेक में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है जिसे विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत मामले की जांच करनी होती है। यह ठीक है। परन्तु यहां भी गोपनीय क्या है ? यदि जांच की जाती है तो मंत्री जी सभा को यह कह सकते हैं कि सभा द्वारा चाही गई सूचना जांच से सम्बन्धि है। यह एक चीज़ है। दूसरे, उन्हें यह कहना चाहिए कि वह न्यायालय में पेश किये गये कागज़ात में सन्निहित है। कोई जांच हो रही है केवल इस कारण उस से सम्बन्धित कोई भी अथवा प्रत्येक चीज़ गुप्त नहीं रखी जा सकती है।

मेरा निवेदन है कि आप जो विनिर्णय देंगे वह अनेक मामलों पर लागू होगा और उन में उद्धृत किया जायेगा। इसलिए इतना कहना पर्याप्त नहीं है कि जांच चल रही है। जांच में कौन कौन से प्रश्न उठाये गये हैं ? कौन से कागज़ात पेश किये गये हैं ? यदि चाही गई सूचना जांच के समक्ष उठाये गये प्रश्नों से सम्बन्धित नहीं है और यदि वह पेश किये जा चुके कागज़ातों में सन्निहित नहीं है तो सभा को, कानून के अन्य उपबन्धों के अधीनस्थ, उस के मांगने का अधिकार है। **(अन्तर्बाधा)**

एक बात और भी है। न्यायाधीन वस्तु और पुलिस अधिकारी के समक्ष जांच में अन्तर होता है। किसी पुलिस अधिकारी अथवा किसी ऐसे प्राधिकारी के समक्ष जांच से कोई मामला न्यायाधीन नहीं हो जाता है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि स में कोई औचित्य प्रश्न नहीं है जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री नाथपाई ने कहा, हमें ऐसी सूचना मांगने का हक है जो पेश किये गये कागज़ातों में सन्निहित न हो।

†**श्री मोरारजी देसाई** : माननीय सस्दय बिना विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों को देखे ही तर्क करने लगते हैं।

†**श्री नाथ पाई** : उन्हों ने उस का उल्लेख ही नहीं किया।

†**श्री मोरारजी देसाई** : उन्हों ने वसा किया था।

†**वित उप मंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : जी हां, उत्तर के उत्तरार्ध में।

†**श्री मोरारजी देसाई** : उस अधिनियम की धारा १९(४) में यह विनिहित है कि :

"भारतीय आयकर अधिनियम, १९२२ की धारा ५४ की उपधारा (१), (२) और ३ के उपबन्ध इस धारा की उपधारा (२) के अन्तर्गत प्राप्त की गई सूचना के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगें जैसा कि वे उस धारा में निर्दिष्ट विशिष्ट बातों पर लागू होते हैं और ऐसे लागू होने के प्रयोजनों के लिये—

"(क) कथित उपधारा (३) का यह अर्थ समझा जायेगा मानो कि उस के खण्ड (क) में इस अधिनियम की धारा २३ के अन्तर्गत किसी अपराध के लिये प्राभियोजन का निर्देश सम्मिलित था; और

"(ख) इस धारा के उपधारा '(२)' के अन्तर्गत जारी किये गये किसी आदेश के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों से सूचना देने के लिये कहा जायेगा वे उस धारा के अर्थ के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी समझे जायेंगे।"

---

†मूल अंग्रेजी में

अर्थात्, इन चीजों पर धारा ५४ लागू की गई है। इसीलिये इसे उद्धृत किया गया है। मेरे माननीय मित्र एक बड़ा वकील होने का दावा करते हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश उन के समस्त औचित्य प्रश्न सदा अनिर्धारित होते हैं। (**अन्तर्बाधा**) मैं ने अभी धारा १९(४) पढ़ कर सुनाई। मेरे पास समस्त अधिनियम नहीं हैं, वरन् केवल कुछ अंश हैं। मैं नहीं जानता था कि समस्त अधिनियम की आवश्यकता पड़ जायेगी।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं समझता हूं कि किसी भी विधि मंत्री और स्वयं माननीय मंत्री के लिये यह बात स्पष्ट होगी जो अपराधों से संबंधित विभाग के प्रभारी रह चुके हैं। अब चार्जशीट पेश की जा रही है। इसलिये जब वह न्यायालय में है तो कोई चर्चा नहीं की जा सकती है। परन्तु क्या अब यह नहीं बताया जा सकता है कि वास्तविक आरोप क्या है। इस मामले में माननीय सदस्य गलत व्यक्ति के पकड़े जाने से नाराज हैं। उन के विरुद्ध क्या आरोप हैं ? क्या वे आरोप भी हमें नहीं बताये जाते हैं ? क्या नियमों के अन्तर्गत ऐसा है ?

यदि यह कहा जाता है कि "हमें यही पता चला, कोई व्यक्ति पकड़ा गया, ये आरोप हैं, उन के संबंध में हम जांच करा रहे हैं" तो मैं और प्रश्नों को अनुमति नहीं दूंगा। कौन से कागजात पेश किये गये हैं, कागजात की विषय वस्तु क्या है --इस सब का निर्णय वहीं किया जायेगा। परन्तु आरोप नहीं बताया गया है।

एक व्यक्ति पकड़ा गया। क्या उसे पकड़ना ठीक है ? उस के विरुद्ध आरोप क्या है ? प्रथम दृष्टि में आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे कि यह आरोप है और आप ने उसे अग्रेतर जांच के लिये भेजा है। अब इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचे हैं तथा अन्य ऐसे प्रश्नों की अनुमति मैं नहीं दूंगा। परन्तु क्या उन का यह पूछना ठीक नहीं है कि उन्हें यह जानना चाहिये कि आप को क्या मालूम हुआ है और आरोप क्या है ? यदि नियमों द्वारा यह भी निषिद्ध है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि वास्तविक स्थिति क्या है।

†**श्री मोराजी देसाई** : कोई आरोप नहीं तैयार किया गया है। यदि आरोप तैयार किया जाता है तो मैं उसे बता दूंगा क्योंकि वह गोपनीय नहीं हो सकता है। परन्तु अभी आरोप तैयार नहीं किया गया है। जांच की जा रही है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या निदेशक को बिना सरकार की अनुमति के स्वयं वैसी कार्यवाही करने का अधिकार है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : जी हां, उनको वैसा अधिकार है। सरकार उन के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। उनको ये शक्तियां दी गई हैं जो सर्वथा स्वतन्त्र हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं उनकी बात से सहमत हूं परन्तु क्या वह स्वप्रेरणा से कार्य करता है बिना सरकार के कहे ही ? इस व्यक्ति को किसने पकड़ा था ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : सरकार उस को लिखे, यह संभव है।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने किन परिस्थितियों में लिखा था ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : इस मामले का पता स्वयं उसने लगाया है जिस के संबंध में यह जांच कर रहा है। जब यह बात मेरी जानकारी में आई तो मैं ने तथ्य जानने का प्रयत्न किया। मुझे उस का

---

†मूल अंग्रेजी में

पता इस अवस्था में लगा। सरकार उन की जांच के संबंध में सहायता करेगी। यदि वह इंग्लैंड में की जानी है तो वह सरकार के माध्यम से ही हो सकती है।

अब यहां यह पूछा गया है कि पहले क्या मूल्य भुगतान किया गया था, कितना मूल्य वसूल किया गया, इस सब का राशि क्या है? ये सब चीजें जांच से बहुत अधिक संबंधित हैं। उत्तर में स्पष्ट कहा गया है

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं समझता हूं कि यह सब कठिनाई इस उत्तर से ही उत्पन्न हुई है।

†**श्री मोरारजी देसाई :** मैं भविष्य में अधिक सावधान रहने का प्रयत्न करूंगा और प्रत्येक बात सभा को बताने का उत्साह नहीं दिखाऊंगा। मैं अन्तर्ग्रस्तताओं को पहले समझ लिया करूंगा। मैं इससे शिक्षा ग्रहण करूंगा ताकि माननीय सदस्यों को बाद में शिकायत करने का मौका न मिले।

†**श्री हेम बरुआ :** मैं एक औचित्य प्रश्न बताना चाहता हूं। माननीय मंत्री आप की शक्तियों को चुनौती दे रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं समझता हूं कि मुझे माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं देनी चाहिये। इस में कोई औचित्य प्रश्न नहीं है।

†**श्री नाथ पाई :** आप बिना पूरी बात सुने यह कैसे कह सकते हैं कि इस में कोई औचित्य प्रश्न नहीं है?

†**अध्यक्ष महोदय :** इस प्रकार बार बार अन्तर्बाधा नहीं उपस्थित की जानी चाहिये। मुझे आश्चर्य है कि माननीय सदस्य सूचना दिये जाने के पर्व ही औचित्य प्रश्न उठा रहे हैं। हमें सभा में कुछ अधिक शिष्टता बरतनी चाहिये।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** दो प्रश्नों में आधा घण्टा लग गया है।

†**श्री मोरारजी देसाई :** इसमें यह कहा गया है कि :

> "जांच के दौरान बरामद कुछ कागजातों से मालूम होता है कि एक सौदे में सामान के लिये भुगतान के लिये स्वीकृत मूल्य कागजातों में निर्दिष्ट पहले की बातचीत में उल्लिखित मूल्य से अधिक था।"

जब यह कहा जाता है तो मुझे आंकड़े बताने से पूर्व समस्त कागजात बताने होंगे। परन्तु वैसा मैं भारतीय आयकर अधिनियम की धारा ५४ के अन्तर्गत कर नहीं सकता हूं। यह मेरे लिये संभव नहीं है। यदि मैं वैसा करूंगा तो वह कानून का उल्लंघन होगा जो कि मैं किसी भी परिस्थिति में करने के लिये तैयार नहीं हूं।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** तो आप कानून नहीं जानते हैं।

†**श्री मोरारजी देसाई :** मैं माननीय मित्रों से अधिक कानून की जानकारी रखता हूं।

†**श्री नौशीर भरुचा :** प्रश्न।

†**श्री मोरारजी देसाई :** जो लोग औचित्य प्रश्न उठा रहे हैं वे कानून बिल्कुल भी नहीं जानते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : वह किसी अन्य व्यक्ति की बात का उत्तर दे रहे हैं, श्री भरूचा की बात का नहीं ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं तो उन की बात को चुनौती दे रहा हूं ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : पिछले दस वर्षों में वह अनेक बार चुनौती दे चुके हैं परन्तु हमेशा असफल रहे हैं ।

†**श्री नाथ पाई** : क्या आप इन बातों को संगत समझते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कभी कभी दलीय नेता भी अपना विवेक खो बैठते हैं । किसी ने मंत्री जी से कहा कि वह कानून नहीं जानते हैं अतः वह उस का उत्तर दे रहे हैं । फिर श्री भरूचा बीच में क्यों पड़ते हैं ?

†**श्री नाथ पाई** : हमारा इस से क्या संबंध है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री नाथ पाई ही सभा के समस्त सदस्य नहीं हैं । यदि कोई सदस्य बीच में प्रश्न करता है तो माननीय मंत्री का यह कहना स्वाभाविक है कि यह गलत है । श्री नाथ पाई प्रत्येक बात अपने ऊपर क्यों लेते हैं ?

मैं इस मामले के सम्बन्ध में काफी सुन चुका हूं । जहां तक औचित्य प्रश्न का संबंध है, मैं इस बात से सर्वथा सहमत हूं कि कानून की उपेक्षा करना ठीक नहीं है । जहां तक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा १९ का संबंध है, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा ५४ की उपधारायें १ से ४ उस में सम्मिलित कर दी गयी हैं और धारा ५४ के अन्तर्गत ये समस्त विनियम लागू होंगे, अब एकमात्र प्रश्न यह है, जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, कि वे लागू किये जा सकते हैं या नहीं । खेद है कि उत्तर अनिश्चित रहा है । उत्तर में यह कहा जाना चाहिये था कि इस सबके संबंध में जांच हो रही है । उन्होंने जो अन्तर बताया उससे समस्त कठिनाई उत्पन्न हो गई है । मैं इस बात से सहमत हूं कि लोकहित में ये धारायें लागू होनी चाहियें । माननीय सदस्य यह नहीं पूछ सकते हैं कि उन्होंने मामला किन आधारों पर न्यायालय को निर्दिष्ट किया है । जब तक वह जांच पूरी नहीं हो जाती और प्रतिवेदन पेश नहीं कर दिया जाता तब तक इस के संबंध में किन्हीं प्रश्नों की अनुमति देना वांछनीय नहीं है ।

आगे से माननीय मंत्री उत्तर देने में अधिक सतर्कता बरतेंगे ।

†**श्री प्र० के० देव** : एक अनुपूरक, श्रीमान् ।

†**श्री तंगामणि** : पहले श्री डांगे और श्री शांतिप्रसाद जैन के मामलों में विभिन्न सौदों से संबंधित वह ब्यौरा बता दिया गया था ।

†**श्री ० त० ब० विट्ठल राव** : वे विरोधी पक्ष के हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे अब याद नहीं है ।

†**श्री तंगामणि** : मैं यही तो जानना चाहता था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संभवतः वह बात गलत रही हो ।

---

†नूल अंग्रेजी में

पाकिस्तानी विमानों द्वारा भारतीय वायु सीमा का अतिक्रमण

†४३४. { **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** :
श्री हेम बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन मासों में कितनी बार पाकिस्तानी विमानों ने भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया; और

(ख) यह उल्लंघन विशेष रूप से किन भागों में हुआ ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, चार बार।

(ख) तीन जम्मू काश्मीर में थे, और एक पूर्वी पंजाब में।

†**श्री हेम बरुआ** : ये पाकिस्तानी विमान कितनी दूरी तक आये और कितनी ऊंचाई पर थे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : ऊंचाई और लम्बाई दोनों। वे कितनी दूरी तक आये ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : चार से पांच मील तक।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे कितनी ऊंचाई तक गये ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : ऊंचाई के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तानी विमानों द्वारा हमारी वायु-क्षेत्र के अतिक्रमण का यह पहला ही मौका नहीं है, क्या मैं जान सकता हूं कि उनको जबरदस्ती नीचे उतारने के लिये सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : इनमें से तीन अतिक्रमण युद्ध-विराम रेखा के पार हुए हैं और युद्ध-विराम करार के अधीन हमें आयोग को रिपोर्ट करना पड़ता है, जो कर दिया गया है। दूसरे ने पूर्वी पंजाब के क्षेत्र में पांच मील तक प्रवेश किया। जहां तक मुझे पता है, किसी तेज उड़ रहे विमान को अपने देश में प्रवेश किये बगैर उस ही फासले पर नीचे उतरने पर मजबूर करना संभव नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ** : एक पूर्व अवसर पर पाकिस्तानी वायु बल द्वारा हमारा एक सुपरसानिक विमान जबरदस्ती उतार लिया गया था। यदि वे ऐसा कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा। संभवतः यह अधिक दूर तक गया होगा। यदि वह यह बात जानना चाहते हैं तो उन्हें यह पूछना चाहिये कि पहला सुपरसोनिक विमान जो उतारा गया था, क्या वह पांच मील से अधिक अन्दर तक चला गया था अथवा उन्होंने उतनी ही दूरी पर उसको गोली मारी।

उनका कहना है कि कैनबरा को उन्होंने गोली मारी थी। यह भी उतनी ही दूर से था ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : यह एक अन्य प्रश्न है। प्रथम तो कैनबरा सुपरसोनिक विमान नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय**: जो भी हो, जब वे हमारे विमान को गोली मार सकते हैं तो हम भी उनके विमान को गोली क्यों नहीं मारते ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कृष्ण मेनन :** जब तक सभी कूटनीतिक संभावनायें समाप्त नहीं हो जातीं, विमानों को गोली मारने की प्रक्रिया नहीं है। हम समझते हैं कि इस मामले में पाकिस्तानियों ने बुरा बर्ताव किया। उस समय उनको विमान को गोली नहीं मारनी चाहिये थी चाहे वह उनके क्षेत्र में चला ही गया हो। जब एक देश, बिना कूटनीतिक सम्बन्ध समाप्त हुए, विमानों को मार गिराना शुरू कर देता है तो उससे कठिनाइयां पैदा होंगी। इस मामले में एक जहाज पूर्वी पंजाब क्षेत्र में काश्मीर की युद्ध-विराम रेखा के पार हमारे देश में ५ मील तक आ गया। यदि हमने इसका पीछा किया होता तो उनके क्षेत्र में हमारे जहाज को मार गिराने का मौका था।

†**श्री नाथ पाई :** क्या हमने उस विमान को चेतावनी दी थी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

रूरकेला इस्तपात कारखाना

†*४३६. +
श्री प्र० गं० देव :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री साधन गुप्त :
श्री सूपकार :
श्री प्र० चं० बरुआ :
पं० द्वा० ना० तिवारी :
श्री न० रा० मुनि स्वामी :
श्री कालिका सिंह :
श्री न० म० देव :
श्री वारियर :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला में स्लैबिंग और ब्लूमिंग मिल की दुर्घटना की जांच का क्या परिणाम निकला ;

(ख) खराबी के कारण हुई हानि के बारे में करार की क्या शर्तें हैं और उनको कौन वहन करेगा ; और

(ग) क्या जांच के निर्देश पदों में उत्पादन में हानि समेत कुल हानि का पता लगाना भी शामिल है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) :** (क) जांच समिति की रिपोर्ट अभी मिली है और उस पर सरकार विचार कर रही है।

(ख) ब्लूमिंग और स्लैबिंग मिल के लिये बिजली का सामान देने वाली फर्म के साथ ठेके के अनुसार ठेकेदारों को, उपकरणों के चालू होने से १२ महीनों के भीतर किसी उपकरण के खराब होने अथवा उसके ठीक काम न करने पर, अपनी लागत पर उसको बदलना पड़ता है या उसकी मरम्मत करनी पड़ती है।

(ग) जी, नहीं।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० गं० देव :** मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या समिति के अध्यक्ष ने कोई अन्तरिम प्रतिवेदन दिया ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** प्रतिवेदन दे दिया गया है। यह परीक्षणाधीन है और परीक्षण पूरा होने के बाद इस समिति की मुख्य सिफारिशों को संसद् को बताया जायेगा ।

†**श्री सूपकार :** यह स्लैबिंग मिल कुल कितने समय तक बन्द रही ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** लगभग ४७ दिन । ब्लूमिंग और स्लैबिंग मिल इतने समय तक काम नहीं कर सकी ।

†**श्री प्र० गं० देव :** राउरकेला में पश्चिम जर्मनी से लाये गये जर्मन प्रविधिज्ञों का खर्च किसने सहा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** अभी तक उनको ठेकेदारों ने भुगतान किया है ।

†**पंडित० द्वा० ना० तिवारी :** ४७ दिनों में जब तक मिल खराब रही, कुल कितनी हानि हुई ?

†**सरदार स्वार्ण सिंह :** उसका अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** सरकार को प्रतिवेदन कब दिया गया था और इस प्रतिवेदन को परीक्षण में कितना समय लगेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यह कुछ ही दिन पूर्व प्राप्त हुआ---एक सप्ताह भी नहीं हुआ और इसके परीक्षण पर लगभग एक महीना लगेगा ।

जीवन बीमा निगम के फील्ड आफिसर्स की मांगें

+

†*४३७. { **श्री तंगामणि :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री यादव नारायण जाधव :
श्री गोरे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने जीवन बीमा निगम के फील्ड आफिसर्स की विभिन्न मांगों की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस असामान्य विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सिफारिशें सर्वसम्मत हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) से (घ). जीवन बीमा निगम के फील्ड आफिसर्स की विभिन्न मांगों की जांच करने के लिये नियुक्त की गयी संयुक्त समिति की सिफारिशें अभी निगम के विचाराधीन हैं ।

†श्री तंगामणि : ७ सितम्बर, १९६१ को तारांकित प्रश्न संख्या १३१३ के उत्तर में भी यही बात कही गयी थी । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कम से कम कुछ सिफारिशों, जैसे बोनस और स्थानान्तरण, पर शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा ।

†श्री ब० रा० भगत : इस समिति की २१ सिफारिशों में से ७ निगम ने मंजूर कर ली हैं और बाकी पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी, एक सप्ताह में या पन्द्रह दिन में वे अपना निर्णय घोषित कर देंगे ।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या सभी सिफारिशें सर्वसम्मत थीं । यदि हां, तो इस मामले को पुनः निगम को अथवा सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजने की क्या आवश्यकता थी ?

†श्री ब० रा० भगत : यह निगम के अधिकार का मामला है और दैनिक प्रशासन से सम्बन्धित है । निगम इस पर विचार कर रहा है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते ।

†श्री गोरे : इस बात को देखते हुए कि इसमें हजारों फील्ड आफिसर्स अन्तर्ग्रस्त हैं और समिति का प्रतिवेदन सर्वसम्मत था, क्या सरकार शीघ्र कार्यवाही करेगी और यह देखेगी कि स्थानान्तरित व्यक्तियों को अपने वास्तविक स्थानों पर फिर रखा जाता है ।

†श्री ब० रा० भगत : सरकार निगम के दैनिक काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती । समिति नियुक्त की गयी है और उन्होंने सिफारिशें की हैं । उनमें से सात मंजूर कर ली गयी हैं और जहां तक मुझे पता है, वे अन्य सिफारिशों के बारे में शीघ्र ही अपने निर्णय घोषित करेंगे । मैं नहीं जानता कि सरकार इसमें क्या कर सकती है ।

†अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय ने बताया कि स्थानान्तरण दैनिक काम है और इसलिये उस बारे में यहां प्रश्न नहीं पूछा जा सकता ।

†श्री गोरे : मैं एक बात बताता हूं कि केवल वे व्यक्ति स्थानान्तरित किये गये थे जो संघ के मुखिया थे, कार्मिक संघ के पदाधिकारी थे और अन्य नहीं । अतः सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और देखे कि अन्याय न हो ।

†श्री नाथ पाई : प्रति दिन हमें तार मिलते हैं । इसीलिये वित्त मंत्री महोदय से पूछा जाता है .....

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य वित्त मंत्री से व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं । यदि कोई कठिनाई है तो वित्त मंत्री से कहा जा सकता है । वह निश्चय ही उसे निबटायेंगे । यहां से वहां को स्थानान्तरण दिन प्रति दिन होता रहता है और हमें इन मामलों पर बहस के लिये यहां इतना समय नहीं है । प्रत्यक व्यक्ति के मामले की, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किया गया है, जांच करनी पड़ेगी (अन्तर्बाधा) ।

†श्री गोरे : इस बारे में कुछ गलतफहमी है । हम प्रत्येक स्थानान्तरण की बात नहीं कर रहे हैं । हम केवल उन फील्ड आफिसर्स के स्थानान्तरण की बात कर रहे हैं जो कार्मिक संघ के कार्यकर्ता

---

†मूल अंग्रेजी में

थे और जिन्हें इन्टरव्यू के लिये बुलाया गया था और उसके तत्काल बाद ही उन्हें अपने घरों से बहुत दूर स्थानान्तरित कर दिया गया। हम केवल उन्हीं स्थानान्तरण के बारे में पूछ रहे हैं जो इस दौरान किये गये।

†**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे। जो कुछ कहा गया है उससे यह लगता है कि इन लोगों को दण्डस्वरूप स्थानान्तरित किया गया। यदि ऐसा है तो इसको दूर किया जाएगा।

†**श्री ब० रा० भगत :** जहां तक मुझे पता है, कोई दण्ड नहीं दिया गया। यदि माननीय सदस्य के पास कोई विशेष मामला है तो वह मुझे बता दें।

†**श्री ब्रज० राज० सिंह :** क्या यह स्थानान्तरण, जीवन बीमा निगम का व्यवसाय अस्त-व्यस्त करके, बड़े पैमाने पर किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार समें हस्तक्षेप करेगी और देखेगी कि ऐसा न हो ?

†**श्री ब० रा० भगत :** मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे हैं कि दण्डस्वरूप बड़े पैमाने पर स्थानान्तरण किया जा रहा है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सभी सिफारिशें, विशेषत: बोनस के सम्बन्ध में, भूतलक्षी प्रभाव से लागू की जायेंगी जैसा कि कार्यालय कर्मचारियों के बारे में किया गया था।

†**श्री ब० रा० भगत :** उस मामले पर निगम ने निर्णय करना है। माननीय सदस्य कुछ दिनों तक प्रतीक्षा करें जब वे किसी निर्णय पर पहुंच जायेंगे।

श्री विभूति मिश्र : सारा समय तो वे ही ले लेते हैं। हमको भी सवाल पूछने का समय दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : कभी कभी ऐसा हो जाता है। आपको भी मिलेगा।

अंकलेश्वर तेल क्षेत्र

+

†*४३८. { **श्री वी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० गं० देव :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंकलेश्वर तेल क्षेत्र में उपरवाडा गांव के समीप परीक्षण कूप संख्या ३४ में तेल का पता लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो यदि इसका कोई गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण किया गया है, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) :** (क) जी हां।

(ख) कुएं के अस्तित्व का निर्धारण करने के लिये अभी उत्पादन परीक्षण नहीं किये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री दी० चं० शर्मा : उठे--

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** श्रीमन्, आपने एक प्रश्न को तो आध घंटा दे दिया और जब मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता था तो आपने अगला प्रश्न पुकार दिया ।

†**अध्यक्ष महोदय :** बाज दफ़ा माननीय सदस्य दिखाई नहीं देते और बाज दफा उनकी बात सुनाई नहीं देती ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** मेरी कठिनाई यह है कि मुझे आपसे स्प ा करनी पड़ती है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं माननीय सदस्य का बहुत आदर करता हूं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** अब मैं दिखाई दे रहा हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उन की बात मुझे सुनाई नहीं दे रही है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** उत्पादन-परीक्षण कब किये जायेंगे ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** उत्पादन परीक्षण पूरा करने में बहुत समय लगेगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** इस समय कितने कुओं पर कार्य हो रहा है और भविष्य में कितने कुओं पर कार्य किया जायेगा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** अंकलेश्वर के समूचे क्षेत्र में, लगभग सत्रह कुओं का छिद्रण किया जा रहा है, परीक्षण किया जा रहा है अथवा उन्हें पूरा किया जा रहा है। उन में कुछ का गहन रूप से परीक्षण किया जा रहा है । मेरे पास ोक आंकड़े नहीं हैं ।

†**श्री प्र० गं० देव :** अंकलेश्वर तेल क्षेत्र में अब तक पाये गये तेल की कुल मात्रा कितनी है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** अभी प्रत्येक कुएं से तेल का ोक अनुमान लगाया जाना है । जैसे ही कुओं का छिद्रण किया जाता है, उन्हें परीक्षण के लिये उत्पादन दल को सौंप दिया जाता है और परीक्षण दो प्रक्रमों में, प्राथमिक और गहन रूप से, किये जाते हैं । अधिकांश कुओं के प्राथमिक परीक्षण पूरे किये गये हैं और जब सभी कुओं का परीक्षण पूरा हो जायेगा, तब अनुमान लगाया जा सकेगा ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** प्रत्येक बार हम इस क्षेत्र में तेल की मात्रा के बारे में प्रश्न पूछते हैं और हमें बताया जाता है कि परीक्षण किये जा रहे हैं । वास्तव में हम इस का अनुमान कब बता सकेंगे ? पिछले पांच वर्षों से हम यहां हैं और हम यही वक्तव्य सुनते आ रहे हैं ।

†**श्री के० दे० मालवीय :** इस बारे में मैं केवल यही कह सकता हूं । आसाम तेल क्षेत्रों का लगभग १५ वर्ष पूर्व पता लगाया गया था । उन क्षेत्रों से निकाले जाने वाले तेल की ठीक मात्रा के बारे में, जो कुछ बताया जा चुका है, उस के अतिरिक्त अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा गया है । तेल क्षेत्र में छिद्रित किये जाने वाले सभी कुओं के उत्पादन-परीक्षण विस्तार से किये जाने हैं और तभी निश्चित रूप से कुछ कहा जा सकता है । मैं तेल की मात्रा के बारे में कुछ बता चुका हूं । वह हमारा पहला अनुमान है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : सरकार बाहर से तेल मंगाती है, लेकिन यहां जो तेल निकलता है उस की तुलना उससे कर के क्या सरकार ने पता लगाया है कि हमारे तेल की क्वालिटी कैसी होगी ?

श्री के० दे० मालवीय : अंकलेश्वर के तेल की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। मेकदार का भी कुछ न कुछ अन्दाज तो मैं ने दे ही दिया है।

†**श्री वी० चं० शर्मा :** गुजरात में तेल-शोधक कारखाने की स्थापना के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** मैं समझता हूं कि यह अनुपूरक प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री सुगन्धि :** क्या अशोधित तेल में नमक के तत्व होने के कारण अंकलेश्वर के तेल को साफ करने का काम रोक दिया गया है और यदि हां, तो इस अशोधित तेल में नमक के तत्वों की अन्य स्थानों के तेल से क्या तुलना है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** इस तेल में नमक की मात्रा अन्य स्थानों के तेल में नमक की मात्रा से कम है।

†**श्री सुगन्धि :** मेरे प्रश्न के प्रथम भाग का कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

†**श्री के० दे० मालवीय :** एक बार एक कुएं के तेल में नमक की मात्रा अधिक पाई गई थी और सम्भवत: यह आशंका की गई थी कि उस कुएं के तेल में नमक की मात्रा अधिक हो सकती है। उस को साफ कर दिया गया है और स तेल में नमक की मात्रा अन्य स्थानों के तेल में नमक की मात्रा से कम है।

†**श्री सुगन्धि :** इस तेल-शोधक कारखाने का कुल उत्पादन कितना है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** प्रत्येक कुएं में उत्पादन की मात्रा स्थान स्थान पर भिन्न है।

†**श्री सुगन्धि :** मैं तेल शोधक कारखाने के बारे में पूछ रहा हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य का प्रश्न स्पष्ट नहीं है। अगला प्रश्न।

रूरकेला में क्षेत्रीय इंजीनियरी कालिज

+

†*४३९. { **श्री सूपकार :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **वैज्ञानिक, अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला में स्थापित होने वाले प्रस्तावित क्षेत्रीय इंजीनियरी कालिज में अब काम शुरू हो गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस में कब से काम शुरू हुआ था ;

(ग) इस वर्ष इस में कितने विद्यार्थियों को प्रवेश मिला है ; और

(घ) इस क्षेत्रीय इंजीनियरी कालिज की स्थापना पर अब तक भारत सरकार ने कितना धन व्यय किया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). राज्य सरकार ने अगस्त, १९६१ से राउरकेला में एक इंजीनियरिंग कालेज चालू किया है।

(ग) १२०।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने अभी तक कोई धन मंजूर नहीं किया है।

†**श्री सूपकार** : भारत सरकार द्वारा इस कालिज के लिये कोई धन मंजूर न किये जाने के क्या कारण हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : क्योंकि अभी कालिज के स्वरूप का निर्धारण नहीं किया गया है। हम ने मूलतः उड़ीसा के लिये एक प्रादेशिक कालिज स्थापित करने का आश्वासन दिया था परन्तु यह वर्ष १९६३--६४ में चालू किया जाना था। इतने समय में, भारत सरकार की मर्जी की प्रतीक्षा किये बिना ही कालिज आरम्भ कर दिया गया और स्पष्टतः वह ज़ोनल कालिज नहीं हो सकता।

†**श्री सूपकार** : देश में इंजीनियरों की बहुत कमी है और क्योंकि उड़ीसा सरकार ने उसी स्थान पर, जहां उड़ीसा राज्य के लिये एक प्रादेशिक इंजीयिरिंब कालिज स्थापित किया जाना था, एक कालिज स्थापित कर दिया है, भारत सरकार राज्य कालिज को दी जाने वाली वित्तीय सहायता और अन्य सहायता के मामले में राज्य सरकार के साथ सहयोग नहीं कर रही है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तर्क है। मंत्री महोदय ने उत्तर दिया कि उन्होंने वर्ष १९६३-६४ निर्धारित किया था परन्तु इस को बढ़ा कर उन्होंने १९६१ कर दिया है।

†**श्री हुमायून् कबिर**: हम ने इसको अस्वीकार नहीं किया है। यह खुली नीति के अनुसार अथवा राज्य कालिज के रूप में चल सकता है और इसको इसमें से किसी भी योजना के अधीन सहायता मिलेगी। स्पष्टतः केन्द्रीय सरकार की जानकारी के बिना एक केन्द्रीय संस्था नहीं चलाई जा सकती . . . . (**अन्तर्बाधा**)।

†**अध्यक्ष महोदय**: उत्तर स्पष्ट है। केन्द्रीय सरकार इसको पहले स्थापित करना नहीं चाहती। राज्य सरकार ने ऐसा किया।

†**श्री सूपकार**: यह सच है। परन्तु इसको प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालिज के रूप में भारत सरकार से सहायता क्यों नहीं मिल सकती ?

श्री हुमायून् कबिर : मैं ने अभी उन्हें बताया कि इसको राज्य कालिज अथवा खुले कालिज के रूप में सहायता मिल सकती है। स्पष्टतः उनको केन्द्रीय सरकार के कालिज के रूप में सहायता नहीं मिल सकती जबकि यह केन्द्र का कालिज नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय एकीकरण सम्मेलन

†*४४०. श्री भक्त दर्शन :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री प्र० गं० देव :
श्री हेम राज :
श्री सूपकार :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री बाल्मीकी :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ७ सितम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३१६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राष्ट्रीय एकीकरण के संबंध में प्रस्तावित वृहत्तर सम्मेलन का आयोजन इस बीच किया गया ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस में सम्मिलित महानुभावों की सूची, विचाराधीन विषय तथा उस की सिफारिशों पर प्रकाश डालने वाला एक विस्तृत विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) उस सम्मेलन की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): (क) और (ख). जी हां । नई दिल्ली में २८ सितम्बर से पहली अक्तूबर, १९६१ तक एक राष्ट्रीय एकीकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था । सम्मेलन द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति और निमंत्रित महानुभावों की सूची की एक प्रति पहले ही सभा-पटल पर रख दी गई है ।

(ग) सम्मेलन के फैसलों को अमल में लाने के लिये केन्द्र तथा राज्यों के विभिन्न अधिकारियों और राजनैतिक दलों एवं अन्य गैर-सरकारी संगठनों को कार्यवाही करनी होगी । राष्ट्रीय एकीकरण सम्मेलन की सिफारिशों के मुताबिक ३७ सदस्यों की एक राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् का निर्माण किया गया है जो राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में सभी मामलों की समीक्षा कर के उन पर सिफारिशें देगी ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, चूंकि इस सम्मेलन के फलस्वरूप देश के प्रत्येक वर्ग में और भाग में राष्ट्रीय एकता की भावना परिपुष्ट हुई है, तो क्या इस तरह का कोई और सम्मेलन केन्द्र में या देश के विभिन्न भागों में भी करने का विचार किया जा रहा है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : अभी तो एक सम्मेलन हुआ ही है, इसलिये केन्द्र में कोई दूसरा सम्मेलन करने का इस समय कोई विचार नहीं है । और प्रदेशों में अगर स्टेट गवर्नमेंटस करना चाहें

तो कर ही सकती हैं। अभी जम्मू काश्मीर गवर्नमेंट ने अपने यहां स्टेट आधार पर इस तरह की इंटेग्रेशन कांफरेंस की थी।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि राष्ट्रीय एकीकरण सम्मेलन में कोई इस प्रकार की भी चर्चा हुई कि भारत की विभिन्न भाषाओं को एक दूसरे के समीप लाने के लिये देवनागरी को सामान्य लिपि के रूप में स्वीकार कर लिया जाये ? यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या प्रयत्न कर रही है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जहां तक नेशनल इंटीग्रेशन कानफरेंस की बात है, उस में इस की चर्चा ही बस हुई थी लेकिन कोई राय नहीं जाहिर की गई, एक तरफ या दूसरी तरफ। लेकिन चीफ मिनिस्टर्स की कानफरेंस हुई थी उस से पहले, उस में इस की चर्चा आई थी और उस सम्मेलन में कहा गया था कि देवनागरी लिपि को प्रोत्साहित करने और उस को बढ़ाने के लिये प्रयास करना अच्छा होगा और लाभदायक होगा।

राजा महेन्द्र प्रताप : मुझे इस विषय में एक महत्वपूर्ण प्रश्न करना है, वह यह है कि एक तरफ तो आप ऐसी सभा बुलाते हैं कि देश की सब जातियां एक हो जायें और दूसरी तरफ आप दल बनाते हैं और एक दल को दूसरे दल से लड़ाते हैं। भला इस तरह एकता कैसे हो सकती है ? मेरा यह प्रश्न है कि अगर आप दर असल में सब को एक करना चाहते हैं तो दलों को बन्द करिए, सब को सब के लाभ में लगा कर सब को सुखी बनाइए, क्या यह अच्छा तरीका नहीं होगा ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह तरीका तो अच्छा है . . . . .

श्री रघुनाथ सिंह : यह कोई प्रश्न नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारतीय प्रशासन सेवा के पदाधिकारी

†*४३५. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ६ वर्ष से कम के अनुभव प्राप्त भारतीय प्रशासन सेवा के कितने पदाधिकारी कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट अथवा उन के समान पदों पर आरूढ़ हैं और इसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ख) ऐसे पदों पर नियुक्ति के क्या नियम हैं और इन पदों के लिये कम से कम कितने अनुभव की आवश्यकता है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** (क) ऐसे पदाधिकारियों की संख्या ६२ है।

राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सभी अपना कर्तव्य संतोषजनक रूप से कर रहे हैं।

(ख) भारतीय प्रशासन सेवा की पदाली का इस प्रकार निर्धारण किया जाता है कि सामान्यतः इस सेवा में नये व्यक्ति को सेवा के छठे वर्ष कलेक्टर अथवा इसके बराबर के पद पर नियुक्त किया जा सके। पदाली पदों पर वास्तविक नियुक्तियां राज्य सरकारों द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (पदाली) नियमों, १९५४ के नियम ७ के अनुसार की जाती हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेकोंग नदी परियोजना

†*४४१. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री ९ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने 'टोनले सैप' बांध का डिजाइन तथा प्राक्कलन तैयार करना शुरू कर दिया है ;

(ख) भारत सरकार द्वारा इस काम पर कितना धन व्यय किये जाने की आशा है ; और

(ग) मेकोंग नदी परियोजना की अन्य किन मदों पर भारत ने अपनी इच्छा से कितना धन व्यय किया है ?

†वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). मेकोंग परियोजना के टोनले सैप सैक्टर में बांध के लिये डिजाइन तैयार करने समेत, एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने पर भारत सरकार द्वारा कुल व्यय का अनुमान साढ़े बारह लाख रुपये है। यह भारतीय प्रविधिक व्यक्तियों के वेतन और यात्रा, भारत में कम्बोदियाई व्यक्तियों के प्रशिक्षण, भारतीय उपकरणों के संभरण और नई दिल्ली और पूना में प्रारूप अध्ययन करने पर व्यय किया जायेगा ।

एवरो–७४८

†*४४२. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर में एवरो–७४८ विमान के निर्माण में और आगे क्या प्रगति हुई है ;

(ख) पहला विमान कब उड़ाया गया था ; और

(ग) इसका उत्पादन व्यय कितना है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन): (क) और (ख). भारत में निर्मित प्रथम एवरो–७४८ विमान की १ नवम्बर, १९६१ को सफल उड़ान की गयी थी। दूसरा और तीसरा विमान बन रहा है।

(ग) इस प्रक्रम पर एवरो–७४८ की उत्पादन-लागत के बारे में बताना संभव नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत तथा पाकिस्तान के बीच अनिर्णीत वित्तीय समस्यायें

†*४४३. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभाजन के कारण उत्पन्न अनिर्णीत वित्तीय मामलों को तय करने के लिये पाकिस्तान और भारत की सरकारों के प्रतिनिधियों की और कोई बैठक करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव का स्वरूप क्या है ; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

दुगड़ा कोयला धोने का कारखाना

†*४४४. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रा० चं० माझी :
श्री बर्मन :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री विद्या चरण शुक्ल :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुगड़ा कोयला धोने का कारखाना—१८ का निर्माण पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब पूरा हो गया था ; और

(ग) क्या इसमें कोयला धोने का काम होने लगा है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). दुगड़ा कोयला धोने के कारखाने का निर्माण पूरा हो गया है । इस कोयला धोने के कारखाने में दिसम्बर १९६१ में काम होने लगेगा ।

गुजरात में तेल शोधक कारखाना

†*४४५. **श्री मो० ब० ठाकुर** :क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के बारे में और प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो गुजरात सरकार से अन्तिम समझौता होने में कितना समय लगेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खान और तेल मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) तेल शोधक कारखाने की स्थापना में निम्नलिखित और प्रगति की गयी है :

(१) कोयाली के निकट तेल शोधक कारखाने का स्थान निश्चित कर लिया गया है और १३७४ एकड़ भूमि ली जा रही है।

(२) तेल शोधक कारखाने के असैनिक और यंत्रीकृत कार्य के लिये आवश्यक स्थानीय आंकड़े और अन्य जानकारी एकत्र की गयी है और उसको रूसी अधिकारियों के पास भेज दिया गया है।

(३) भारतीय पेट्रोलियम संस्था के अभिकरण के जरिये तेल शोधक कारखाने के उत्पादन के वितरण के लिये योजना का अध्ययन किया जा रहा है।

(४) तेल शोधक कारखाने के डिजाइन के लिय विश्लेषण करने के लिये कच्चे तेल के नमूने रूस भेजे गये हैं।

(५) परियोजना के लिये समय निर्धारित करने, नमूना और सामान, उत्तरदायित्व, उत्पादन के तरीकों आदि के बारें में ब्यौरों को अन्तिम रूप देने के लिये एक शिष्ट-मण्डल मास्को जा रहा है।

(ग) गुजरात के तेल शोधक कारखाने की अंश पूंजी में हिस्सा लेन के लिये गुजरात सरकार का प्रस्ताव तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के विचाराधीन है।

पंडित पन्त पोलिटेक्नीक, नई दिल्ली

†*४४६. **बलराज मधोक :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के पंडित गो० ब० पन्त पोलिटेक्नीक में मैट्रिकुलेटों, इन्टरमीजियेट और ग्रैजुयेटों की श्रेणी में से भर्ती किये गये अनुसूचित जातियों और गैर-अनुसूचित जातियों के प्रार्थियों से अपेक्षित अंकों की न्यूनतम प्रतिशतता अलग अलग कितनी रखी गई थी ;

(ख) क्या कोई इस प्रकार की शिकायतें आई हैं कि कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को अच्छे अंकों वाले विद्यार्थियों के अधिकारों की अवहेलना करते हुये भर्ती कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस प्रकार की शिकायतों के सन्तोष के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)**: (क) अनसूचित जातियों और गैर-अनुसूचित जातियों के प्रार्थियों के लिये अंकों की कोई न्यूनतम प्रतिशतता निर्धारित नहीं की गयी है। तथापि, अनसूचित जातियों के जिन अभ्यर्थियों ने प्रवेश के लिये आवेदन-पत्र दिये थे और जो अन्य प्रकार से पात्र थे उन सभी को प्रवेश दिया गया।

(ख) और (ग). जी हां। परन्तु जब जांच की गयी, तो यह पता लगा कि शिकायत गलतफहमी के कारण है।

---

†मूल अंग्रेजी में

व्यवहारिक जनशक्ति अनुसन्धान संस्था

†*४४७. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक व्यावहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्था स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कहां और कितनी लागत पर ; और

(ग) इस संस्था का मुख्य कार्य क्या होगा ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी, हां ।

(ख) नई दिल्ली में । प्रतिवर्ष लगभग ३,५०,००० रुपये अनावर्ती और ५,००,००० रुपये आवर्ती लागत का अनुमान है ।

(ग) प्रकृति के बारे में और जानकारी देने के लिये भारत में जनशक्ति की विशेषतायें और उसका उपयोग करना; और विशेषत: आर्थिक विकास के लिये प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकता के लिये व्यापक रूप से व्यवस्था करना और कार्य-दल के प्रशिक्षण और विकास के लिये सुधरे हुए तरीकों का विकास करना ।

भारतीय भाषाओं के लिये सामान्य लिपि

*४४८. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में हुये मुख्य मंत्री सम्मेलन में समस्त भारतीय भाषाओं के लिये देवनागरी को सामान्य लिपि स्वीकार करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इस प्रश्न पर राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय किये गये थे ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन का विचार था कि एक सामान्य लिपि का होना विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच एक मजबूत कड़ी होगी और मौजूदा हालत में देवनागरी ही इस प्रकार की सामान्य लिपि हो सकती है । सम्मेलन ने यह निर्णय किया कि यद्यपि निकट भविष्य में एक सामान्य लिपि के अपनाने में कठिनाइयां हों सकती हैं इस उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिये और इसके लिये प्रयत्न होना चाहिये ।

(ख) देवनागरी के प्रयोग को बढ़ाने के लिये साहित्य अकादमी विभिन्न भारतीय भाषाओं की चुनी हुई किताबों को देवनागरी लिपि में छपवाने की व्यवस्था कर रही है । शिक्षा मंत्रालय ने भी कुछ कदम उठाये हैं जैसे कि द्विभाषी पुस्तकों का प्रकाशन ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में भी इस पर वार्ता हुई थी लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ ।

गौहाटी और बरौनी के तेलशोधक कारखाने

†*४४९. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दामानी :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेम बरुआ :
श्री कोडियान :
श्री बारियर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० गं० देव :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गौहाटी और बरौनी के तेलशोधक कारखानों के संबंध में क्या प्रगति हुई है;]

(ख) क्या कार्य योजना के अनुसार चल रहा है; और

(ग) इन दो तेलशोधक कारखानों की अनुमानित लागत क्या है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १५]

लाभों के प्रत्यावर्तन के बारे में ब्रिटेन का निर्णय

†४५०. श्री दामानी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन ने इस बात के लिये प्रयत्न करने का निर्णय किया है कि विदेशों में चलने वाली विदेशी फर्मों द्वारा अधिक लाभों का प्रत्यावर्तन किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय से देश की विदेशी मुद्रा स्थिति पर क्या असर पड़ेगा ?

†वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) जी, हां ।

(ख) यह समझा जाता है कि ब्रिटिश सरकार की चिन्ता गैर-स्टर्लिंग वारे क्षेत्रों के बारे में है । अतः भारत पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

होशियारपुर में तेल के लिये खुदाई

†*४५१. { श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री हेम राज :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होशियारपुर क्षेत्र में तेल के लिये खुदाई की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस क्षेत्र में तेल की वाणिज्यिक दृष्टि से उपलब्धि के बारे में वर्तमान संकेत क्या हैं ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) होशियारपुर जिले में जनौरी में एक गहरे कुए के छिद्रण का कार्य पूरा हो गया है ।

(ख) अभी जनौरी के गहरे कुए का अभी परीक्षण किया । जाना है ।

तृतीय श्रेणी की स्नातकोत्तर डिग्रियां

†*४५२. { श्री हेम राज ।
श्री अगाड़ी :
श्री सुगन्धि :

क्या शिक्षा मंत्री २२ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८४७ के उत्तर के सबध में यह बताने कीं कृपा करेंगे कि उन लोगों को, जिन्होंने तीसरी श्रेणी में एम० ए० और एम० एस० सी० की परीक्षायें पास कर रखी हैं, अपनी श्रेणी को सुधारने के लिये परीक्षाओं में पुन: बैठने की अनुमति देने सम्बन्ध में निर्णय करने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने क्या प्रगति की है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अभी उन उन्नीस विश्वविद्यालयों, जिन को स्मरण कराया गया है, से प्रक्रियायें प्रतीक्षित हैं । उन विश्वविद्यालयों से उत्तर प्राप्त होने पर आयोग द्वारा मामले पर विचार किया जायेगा ।

लंका में इस्पात संयंत्र

†*४५३. श्री अजित सिंह सरहदी : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लंका में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने के संबंध में लंका की योजना में सहायता करने के लिये लंका से की गयी भारत की पेशकश कहां तक पूरी हुई है; और

(ख) योजना में कितनी और कैसी सहायता देने का विचार है ?

†इस्पात, खा न और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) और (ख). श्रीलंका सरकार लोहा तथा इस्पात संयंत्र स्थापित करने के बारे में उस सरकार द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन की जांच के लिये भारत की सहायता मांगी थी और इन कार्य के लिये श्रीलंका को दो विशेषज्ञ भेजे गये । भारत में इस्पात कारखानों में श्रीलंका के प्रविधियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने पर विचार किया जा रहा है । श्रीलंका सरकार ने अभी तक कोई और सहायता नहीं मांगी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भिलाई इस्पात संयंत्र का विस्तार

†*४५४. श्री कोडियान :
श्री वारियर :
श्री विद्या चरण शुक्ल :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस से प्राप्त भिलाई इस्पात संयंत्र के विस्तार कार्यक्रम संबंधी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की सरकार द्वारा छानबीन कर ली गई है और उस का अनुमोदन कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य रूप-रेखा क्या है; और

(ग) विस्तार कार्यक्रम का काम कब तक आरम्भ होने की आशा है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

भिलाई इस्पात संयंत्र के विस्तार के लिये रूस से प्राप्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को कुछ संशोधनों समेत हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और सरकार ने स्वीकार कर लिया है ।

परियोजना प्रतिवेदन में संयंत्र को तृतीय पंचवर्षीय योजना में वर्तमान १० लाख टन की क्षमता से बढ़ा कर २५ लाख टन की क्षमता करना है । कारखाने के विस्तार के दौरान, अतिरिक्त यूनिट जैसे, नयी कोक ओवन बैटरियां, धवन भट्टियां, खुली भट्टियां और नयी तार और रोड मिल स्थापित की जायेंगी ।

विस्तार कार्य आरम्भ किया जा चुका है ।

कलकत्ता का विकास

†*४५५. डा० राम सुभग सिंह :
श्री प्र० चं० देव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार कलकत्ता के विकास के बारे में अमरीकी सरकार के साथ बातचीत कर रही है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गई है ?

†वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) और (ख). कलकत्ता के भावी विकास के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा विश्व स्वास्थ्य संघ और फोर्ड प्रतिष्ठान की सहायता से कुछ पग उठाये गये हैं । प्रत्येक मामले में सहायता की प्रार्थना केन्द्रीय सरकार ने की थी । राज्य सरकार और किसी अमरीकी सरकार के अधिकारियों के बीच कोई बातचीत नहीं चल रही है । ये सब बातचीत केन्द्रीय सरकार के जरिये होती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चिकनाई वाले[1] तेलों का आयात

†*४५६. { श्री अगाड़ी :
श्री सुगन्धि :

क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री चिकनाई वाले तेलों के आयात के बारे में २२ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूगोस्लाविया से चिकनाई वाले तेलों का आयात करने का प्रस्ताव अन्तिम रूप से तैयार हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है ।

अवैध सोने की बरामद

†*४५७. श्रीमती मैमूना सुल्तान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस साल अगस्त के आखिर में सीमाशुल्क अधिकारियों ने हुगली नदी के तल से लाखों रुपये का अवैध सोना बरामद किया था;

(ख) यदि हां, तो कितना सोना पाया गया ;

(ग) क्या अपराधियों को पकड़ लिया गया था ; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). इस वर्ष अगस्त में कलकत्ता के चुंगी पदाधिकारियों द्वारा कुछ ग्रामीणों के पास से स्थानीय पुलिस की सहायता से लगभग २,३३,००० रुपये के मूल्य का लगभग १९,२४५ ग्राम सोना पकड़ा गया । जांच पड़ताल करने पर पता लगा कि ग्रामीणों ने यह हुगली नदी के तल में से निकाला था ।

(ग) और (घ). ८ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे और उन को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया जिस ने उन को जमानत पर छोड़ दिया । आगे जांच पड़ताल जारी है ।

दिल्ली पुलिस

†*४५८ श्री प्र० ग० देव : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भ्रष्ट पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध दिल्ली में आन्दोलन शुरू किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या वह प्रयोग सफल सिद्ध हो रहा है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) जी नहीं । दिल्ली की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा भ्रष्टाचार के उन मामलों के बारे में कार्यवाही करती है जिन की उस को सूचना मिलती है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Lubricating oils.

सूर्य की शक्ति से बिजली

†*४५९. **श्री हो० ना० मुकर्जी :** क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल में फ्रांस द्वारा किये गये एक ऐसे उपकरण के आविष्कार की ओर दिलाया गया है जिस से सूर्य की शक्ति से रोशनी के लिये बिजली प्राप्त की जा सकती है ;

(ख) क्या हमारी प्रयोगशालाओं में बिजली पैदा करने के लिये देश में धूप के उपयोग के बारे में छानबीन की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबीर) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). जी हां। प्रारम्भिक जांच के कारण सादा गर्म हवा का इंजन बनाया गया परन्तु उस के द्वारा कम गर्मी ही प्राप्त हुई।

सैनिक सचिव शाखा की जांच

†*४६०. **श्री गोरे :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना मुख्यालय स्थित सैनिक सचिव की शाखा के काम काज की जांच करने का विचार है;

(ख) किस प्रकार की शिकायतों के कारण सरकार यह जांच करने के लिये बाध्य हुई है; और

(ग) जो अन्याय प्रकाश में लाया गया है, उसे दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) जी, नहीं।

(ख) जांच न्यायालय इस बात की जांच करने को बनाया गया था कि एक वरिष्ठ सेना अधिकारी का वार्षिक गुप्त प्रतिवेदन, जो मूल से नहीं मिलता था, सैनिक सचिव ने उसको भेज दिया था। आरोप यह लगाया गया था कि अधिकारी को भेजी गयी प्रति में जानबूझ कर उलटफेर किया गया था।

(ग) क्योंकि मूल प्रतिवेदन में कोई उलट फेर नहीं था इसलिये संबंधित अधिकारी के साथ कोई अनुचित कार्यवाही नहीं हुई।

महाराष्ट्र में आम चुनाव

†*४६१. **श्री नौवीर भल्ला :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य में आम चुनाव की समय-सारिणी निश्चित की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य तारीखें कौन कौन सी हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में कुछ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में मतों की गिनती और अथवा परिणामों की घोषणा में मतदान की तारीखों के बाद लगभग एक महीने का समय लगेगा;

(घ) यदि हां, तो इतनी देर लगने के क्या कारण हैं; और

(ङ) निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही कर रहा है कि मतदान की तारीखों और परिणाम घोषित करने के बीच के समय में मतदान पेटियों के साथ तोड़फोड़ नहीं की जायेगी ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) चुनाव आयोग ने भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के परामर्श से आगामी आम चुनावों के लिए एक कार्यक्रम बनाया है।

(ख) इस कार्यक्रमानुसार महाराष्ट्र राज्य की तिथियां निम्न हैं :—

चुनाव की घोषणा के लिए अधिसूचना	१३ जनवरी, १९६२
नाम भेजने की आखिरी तारीख	२० जनवरी, १९६२
नाम भेजने की जांच की तारीख	२२ जनवरी, १९६२
उम्मीदवारी से वापस लेने की आखिरी तारीख	२५ जनवरी, १९६२
मतदान की तारीख	फरवरी १९ से २५, १९६२ के बीच
विधान सभा के चुनावों के पूरे होने की तारीख	२ मार्च, १९६२
नई विधान सभा के गठन के लिए धारा ७३ के अधीन अधिसूचना	३ मार्च, १९६२
संसदीय चुनावों के पूरे होने की तारीख	३१ मार्च, १९६२
नई लोक सभा के गठन के लिए धारा ७३ के अधीन अधिसूचना	२ अप्रैल, १९६२

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) मतदान के तुरन्त बाद मतदान पेटिकायें सुरक्षित स्थानों पर ले जाई जायेंगी और पुलिस की देख-रेख में रहेंगी।

साम्प्रदायिक दलों पर रोक

†*४६२. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रमेश प्रसाद सिंह :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ९ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में साम्प्रदायिक दलों पर रोक लगाने के सवाल के बारे में इस बीच फैसला कर लिया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). सरकार ने कुछ समय के लिए मामले पर निर्णय आस्थगित कर दिया है। परन्तु भारतीय दंड संहिता का संशोधन किया जा रहा है जिसके द्वारा विभिन्न धार्मिक, जातीय, अथवा भाषा वर्ग अथवा साम्प्रदायिकता के बारे में शत्रुता अथवा नफरत की भावनायें फैलाने को विशिष्ट अपराध घोषित कर दिया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति इन वर्गों अथवा जातियों अथवा सम्प्रदायों में शत्रुता पैदा कराने का कोई काम करेगा तो उस को भी अपराधी माना जायेगा।

बरौनी से दिल्ली तक पाइप लाइन

†*४६३. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री १४ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी से दिल्ली तक पेट्रोलियम तेल उत्पादकों को ले जाने वाली ७०० मील लम्बी पाईप लाइन डालने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ख). इटली के ई०एन०आई० से ऋण समझौते पर बरौनी से दिल्ली तथा बरौनी से कलकत्ता के लिए दो पाइपलाइन बिछाने की परियोजनायें शामिल की गई हैं। इसलिए एस० एन० ए० एम० प्रोजैक्ट ने ब्यौरेवार परियोजना प्रतिवेदन बनाने और दस्तावेज़ देने को कहा है। सरकार ने उन की इस बात को स्वीकार कर लिया है। परियोजना प्रतिवेदन मिल जाने पर और आगे निर्णय किया जायेगा।

कच्छ में तेल तथा गैस की खोज

†*४६४. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री १८ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कच्छ में तेल तथा गैस के अनुसंधान का कार्य अब किस अवस्था में है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : अभी और आगे कोई प्रगति नहीं हुई है।

गुरुकुल कांगड़ी और जामिया मिलिया इस्लामिया

*४६५. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुरुकुल कांगड़ी, जामिया मिलिया और अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन का भारतीय स्कूल को राष्ट्रीय महत्व की संस्थायें घोषित करने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई निर्णय ले लिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कब से यह निर्णय कार्यान्वित होगा; और

(ग) उक्त दोनों संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्व की संस्थायें घोषित करते समय क्या सरकार ने कोई शर्त भी रखी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) से (ग) तक । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६, की धारा ३ में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा आयोग की सलाह पर केन्द्रीय सरकार ने ४ सितम्बर, १९६१ को एक अधिसूचना जारी कर यह घोषणा की कि अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन के भारतीय स्कूल को उपर्युक्त अधिनियम के कार्यों के लिए विश्वविद्यालय समझा जाये । इसी प्रकार की अधिसूचना अन्य दो संस्थाओं के बारे में जारी करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

त्रिपुरा में भारत-विरोधी प्रचार

†*४६६. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिपुरा में किसी एक दल द्वारा भारत-विरोधी प्रचार किये जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ख) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अवाडी में टैंक-कारखाना

†*४६७. **श्री तंगामणि** :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में अवाडी में टैंकों का एक कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में और क्या प्रगति की गई है; और

(ख) उसके लिये कितनी राशि मंजूर की गई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) अवाडी में प्रवीण शिल्पियों के प्रशिक्षण के लिए एक शिल्पी प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किया गया है । इस महीने की २७ तारीख से इस में प्रशिक्षार्थियों के पहले वर्ग का प्रशिक्षण आरम्भ हो गया है । सहयोगियों के परामर्श से मुख्य कारखाने

†मूल अंग्रेजी में

का नक़शा बना लिया गया है और कारखाने का निर्माण शीघ्र ही आरम्भ हो जायेगा। संयंत्र तथा उपकरण के आर्डर दिये जा रहे हैं।

(ख) यह जानकारी बताना लोक हित में नहीं है।

सरकारी कर्मचारियों के साथ संयुक्त परामर्श की प्रणाली

*४६८. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री कोडियान :
श्री झूलन सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १४ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के साथ संयुक्त परामर्श की मशीनरी आदि के जिस सुझाव पर विचार किया जा रहा था, क्या इस बीच उसके बारे में अन्तिम निश्चय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस निश्चय की रूप-रेखा सभा-पटल पर रखी जायेगी;

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में इतनी देरी होने का क्या कारण है; और

(घ) इस बारे में अन्तिम निश्चय हो जाने की कब तक आशा की जाती है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): (क से (घ). जी नहीं। यह विषय सरकार के अब भी विचाराधीन है। सम्बन्धित मिनिस्ट्रियों से राय की जा रही है और उन का आपस में परामर्श भी हुआ है। ये मामले काफ़ी जटिल हैं और विभिन्न विषयों पर विचार करना है; इसलिए अभी तक इस योजना के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका है।

इस्पात कारखानों के लिय समितियां

†*४६९. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १८ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब रूरकेला और दुर्गापुर इस्पात कारखानों में कर्म समितियां और भिलाई कारखाने में संयुक्त समिति बन चुकी है;

(ख) क्या एक ही प्रकार की कष्ट निवारण प्रक्रिया लागू की जा चुकी है;

(ग) क्या उक्त प्रक्रिया त्रिदलीय श्रम सम्मेलन की आदर्श कष्ट निवारण प्रक्रिया के अनुरूप है या उससे भिन्न है; और

(घ) क्या इन कारखानों में औद्योगिक सम्बन्धों को सरकार के अधीन लेने के प्रस्ताव पर आगे कोई विचार किया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन अपेक्षित निर्माण कार्य समिति अभी नहीं बनी है क्योंकि संघ को मान्यता देने के बारे में

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य सरकारों के श्रम आयुक्तों को लिख रखा है। भिलाई में संयुक्त निर्माण कार्य समिति बना ली गई है और काम कर रही है।

(ख) और (ग). जी हां। तीन क्रमों की शिकायती प्रक्रिया लागू कर दी गई है। परन्तु नमूना शिकायती प्रक्रिया से इस में थोड़ा अन्तर है क्योंकि संघों को अभी मान्यता नहीं दी गई है।

(घ) जी, नहीं।

कांगो के लिये भारतीय विमान

†*४७०. **श्री मो० ब० ठाकुर :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री प्र० गं० देव :
श्री विभूति मिश्र :
श्री हेम बरुआ :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार से कांगो में प्रयोग के लिये लड़ाकू विमानों की व्यवस्था करने की प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ग) इन विमानों का किस विशिष्ट प्रयोजन के लिये प्रयोग किया जायेगा ; और

(घ) यदि कोई करार हुआ है तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने चालकों, यंत्रों तथा पुर्जों समेत छः विमान भेजे हैं।

(ग) कांगों में संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाओं की वैमानिक सहायता करने के लिए।

(घ) संयुक्त राष्ट्र ने कांगो को भेजे गये कर्मचारियों, यंत्रों, विमानों तथा पुर्जों की अतिरिक्त लागत भारत सरकार को देना स्वीकार कर लिया है।

नेपाली को दार्जिलिंग की प्रादेशिक भाषा बनाने की घोषणा

†*४७१. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पश्चिमी बंगाल सरकार से नेपाली को दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षत्रों की प्रादेशिक भाषा बनाने की घोषणा करने के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो यह क्या है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश कब जारी किये जायेंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर)**: (क) और (ख) पिछली मई में राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि अनुच्छेद ३४७ के अधीन निदेश देने के लिए राष्ट्रपति को लिखे जिससे दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय उप-खण्डों में नेपाली भाषा को मान्यता दी जा सके।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकारी भाषा अधिनियम, १९६१ जो हाल ही में पारित हुआ है उसमें दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय सबडिवीजनों में नेपाली भाषा को सरकारी कार्यों में प्रयुक्त करने की व्यवस्था है। इसलिये राष्ट्रपति के निदेश देने का प्रश्न नहीं उठता है।

जीवन बीमा निगम की बोनस योजना

†*४७२. { **श्री दामानी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री अनिरुद्ध सिंह :
श्री प्र० गं० देव :

क्या **वित्त** मंत्री २५ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जीवन बीमा निगम द्वारा प्रस्तुत की गयी बोनस योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो बोनस कार्ड कब तक दिये जायेंगे ; और

(ग) ये कार्ड कितने समय के लिये जारी किये जायेंगे ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी हां।

(ख) क्योंकि पालिसी होल्डर्स की संख्या बहुत अधिक है इस लिये बोनस कार्ड जारी करने में कुछ समय लगेगा। परन्तु आशा है कि समस्त कार्य १९६२ के अन्त तक पूरा हो जायेगा।

(ग) बोनस कार्ड, पहले बीमाकर्त्ताओं के द्वारा जारी की गयी पालिसियों के सम्बन्ध में ३१ दिसम्बर, १९५९ तक तथा निगम द्वारा जारी की गयी पालिसी के बारे में १ सितम्बर, १९५६ से ३१ दिसम्बर, १९५९ तक की अवधि के लिए होंगे।

सेना अधिकारी द्वारा आत्महत्या का प्रयत्न

†*४७३. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री एक सेना अधिकारी द्वारा आत्महत्या के प्रयत्न क बारे में १८ अगस्त, १९६१ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १४८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जांच अदालत की कार्यवाही में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या इस अदालत की उपपत्तियां सभा-पटल पर रखी जायेंगी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जांच न्यायालय का प्रतिवेदन तथा सेना मुख्य कार्यालय की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी नहीं। परन्तु यह बताया जा सकता है कि अधिकारी स्वयं घायल हुआ था और उस समय उसका मस्तिष्क ठीक नहीं था।

नूनमाटी का तेल-शोधक कारखाना

†*४७४. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में सरकारी क्षेत्र में स्थापित ननमती के तेल शोधक कारखाने के उत्पादों के आसाम आयल कम्पनी की और आयल इंडिया लिमिटेड के बीच वितरण के बारे में बातचीत हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** (क) और (ख). आसाम आयल कम्पनी तथा सरकारी क्षेत्र की वितरण कम्पनी, इंडिया आयल कम्पनी लिमिटेड के बीच हुई चर्चा के परिणामस्वरूप ननमती के सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखाने तथा डिग्बोई के गैर-सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखाने के उत्पादों के वितरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय किये गये :

आसाम में संभरण के अलग अलग क्षेत्र

१. **गोहाटी (नूनमती) तेल शोधक कारखाना :** कामरूप जिला तथा खासी और जैन्तिया पहाड़ी जिले (शिलांग समेत) की सभी आवश्यकतायें गोहाटी तेल शोधक कारखाने से पूरी होंगी।

२. नौगांव, शिवसागर, लखीमपुर (लखीमपुर जिला का नार्थ बैंक समेत) तथा कछार जिले, आसाम तथा मनीपुर, त्रिपुरा, नागा तथा लुशाई पहाड़ियों की समस्त आवश्यकतायें डिग्बोई तेल शोधक कारखाने से पूरी होंगी।

दोनों तेल शोधक कारखानों से मिले जुले क्षेत्र

उपरोक्त क्षेत्रों को तेल का संभरण किये जाने के बाद जो तेल बचेगा उसको आगे लदान के लिये गोहाटी में इकट्ठा किया जायेगा। इस इकट्ठा किये गये तेल से आसाम के गावो, ग्वालपाड़ा तथा दरांग के जिलों को संभरण होगा। इस तेल को गोहाटी से अन्य स्थानों पर भेजने पर बाद में निर्णय होगा।

लंका का तेल प्रतिनिधिमंडल

†*४७५. **श्री बी० चं० शर्मा :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंका पेट्रोलियम निगम का प्रतिनिधिमंडल अपने तेल की खोज सम्बन्धी कार्यक्रम में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिये अभी हाल भारत आया था ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई समझौता हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) से (ग). सीलोन पैट्रोलियम कारपोरेशन के प्रतिनिधियों ने १२ से २३ सितम्बर, १९६१ तक भारत भ्रमण किया था तथा १८ से २० सितम्बर, १९६१ तक खान और तेल विभाग से बातचीत की थी। प्रतिनिधिमंडल का दौरा अध्ययन के लिये था और उन से तेल की खोज के कार्यक्रम में सहयोग के बारे मे कोई बातचीत नहीं हुई थी। उन्होंने अंकलेश्वर के तेल क्षेत्र में काम को भी देखा था।

अखिल भारतीय वैज्ञानिक सेवा

†*४७६. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री १४ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच वैगनिक कर्मचारी समिति ने देश में अखिल भारतीय वैज्ञानिक सेवा के गठन के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से निश्चय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं तथा सांमति इस सम्बन्ध में अन्तिम रूप से कब तक निर्णय कर लेगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी नहीं।

(ख). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) समिति के सदस्य तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाने में लगे रहे इसलिए विलम्ब हो गया था। अग्रेतर, समिति का काम बहुत दिनों का है तथा उसकी जांच होनी है।

मैसूर-महाराष्ट्र सीमा-विवाद

†*४७७. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर महाराष्ट्र सीमा विवाद पर विचार करने के लिये नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति के मुख्य निर्णय और सिफारिशें क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कोझीकोड में भूकम्प

†*४७८. **श्री कोडियान** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह राज्य के कोझीकोड क्षेत्र में अभी हाल के भूकम्पों की जांच करे ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई जांच की गई है ; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां।

(ख) से (ग). भारत के भूतत्वीय परिमाप ने क्षेत्रीय जांच कर ली है। एकत्रित आंकड़ों की परीक्षा करने के बाद अन्तिम निर्णय किये जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

परन्तु भारत के ऋतु विज्ञान सम्बन्धी विभाग ने बताया है कि मद्रास, कोडाइकोनाल, पूना, बम्बई, विशाखपटनम तथा निजामैया आबजरबेटरी, हैदराबाद से इकट्ठे किये गये भूकम्पन आंकड़ों का विश्लेषण करने पर मालूम हुआ है कि इनका कोझीकोड क्षेत्र में भूचाल आने से कोई सम्बन्ध नहीं है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कोझीकोड के भूकम्प स्थानीय थे।

दक्षिण पठार एक स्थिर क्षेत्र है। इस क्षेत्र में भूकम्पों के झटके या तो बड़े भूकम्पों के असर से आ जाते हैं अथवा स्थानीय रूप से आते हैं। ऐसे झटकों से किसी बड़े नुकसान की आशा नहीं है।

पवन चक्कियां

†*४७९. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां विद्युत शक्ति उपलब्ध नहो है लगभग २०० पवन चक्किमाँ लगाने की योजना बनाई गई है ;

(ख) क्या इन पवन चक्कियों की स्थापना से होने वाले लाभों की जांच कर ली गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जहां पर हवा अधिक चलती है तथा सस्ती बिजली नहीं मिल सकती है वहां के गांवों के लिए कुवों से सिंचाई के लिए तथा पीने के लिए पानी उठाने के लिए हवाई चक्कियों का प्रयोग किया जाता है।

शस्त्रास्त्र अध्ययन संस्था, किरकी

†*४८०. **श्री गोरे :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शस्त्रास्त्र अध्ययन संस्था, किरकी के पास अपना भवन न होने एवं अपर्याप्त स्टाफ के कारण उसको काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी हां। केवल निवास स्थान के लिये। कर्मचारी अपर्याप्त नहीं है।

(ख) संस्था तथा निवास स्थानों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

पंजाब में आम चुनाव

†*४८१. **श्री हेम राज :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांगड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और पंजाब विधान सभा के ५ निर्वाचन-क्षेत्रों, अर्थात् नूरपुर, धर्मशाला, कांगड़ा, पालमपुर और डेरा, के आम चुनाव कब होंगे ;

(ख) क्या संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव साथ साथ होंगे; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) कांगड़ा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के चुनाव, जिस में कि कुलू और सराज के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सम्मिलित हैं, कब होंगे और क्या वे भी साथ ही साथ होंगे ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) यद्यपि प्रारम्भ में इन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के लिए देश के अन्य भागों के समान फरवरी में ही तिथि रखी गई थी परन्तु वास्तविक मतदान अप्रैल, २७, २८ तथा २९ को होंगे ।

(ख) जी हां ।

(ग) कांगड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जिसमें कुलू विधान सभा क्षेत्र भी शामिल है में मतदान अप्रैल, १९६२ में होंगे । सराज विधान सभा में मतदान शेष पंजाब के समान मतदान फरवरी में ही होगा ।

महाराष्ट्र में मतदान की पद्धति

†*४८२. **श्री नौशीर भरुचा** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य में लोक-सभा के निर्वाचन क्षेत्रों एवं विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव में मतदान करने की पद्धति के बारे में चुनाव आयोग द्वारा निर्णय कर लिया गया है;

(ख) क्या मतदाताओं को पैंसिल अथवा कलम से × चिह्न लगाना होगा अथवा रबड़ मुहर के प्रयोग करने का विचार है ;

(ग) इस पद्धति को मतदाताओं को बताने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है और मतों को गिनने आदि के बारे में क्या पद्धति अपनाई जायेगी; और

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ चुनाव आयोग अथवा चल-चित्र विभाग द्वारा कुछ वृत्त-चित्र तैयार किये जा रहे हैं ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र राज्य समेत सभी संसदीय तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आगामी आम चुनावों में मतदान की प्रणाली के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया है ।

(ख) जहां कहीं भी चिह्न लगाने की प्रणाली का प्रयोग किया गया वहीं पर मतपत्रों पर चिह्न लगाने के लिए स्याही वाली रबड़ स्टाम्प दी जायेगी ।

(ग) और (घ). चुनाव आयोग मतपत्रों पर निशान लगाने का तरीक़ा बताने के लिए सभी प्रादेशिक भाषाओं में पुस्तिकायें प्रकाशित कर रही हैं । आयोग के अधीक्षण में फिल्म्स डिवीजन इस कार्य के लिए एक प्रलेख फिल्म भी बना रहा है । यह दिसम्बर, १९६१ में तथा जनवरी १९६१ में सीनेमा हाउसों में ही नहीं दिखाई जायेगी अपितु सरकार के क्षेत्र प्रचार संगठन द्वारा गांवों में भी दिखाई जायेगी ।

रूरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों का विस्तार

†*४८३. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री १४ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों के विस्तार के लिये विदेशी मुद्रा के बारे में जो बातचीत चल रही थी वह अन्तिम रूप से पूरी हो गई है; और

---

†मूल अंग्रेजी

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) अभी नहीं । यद्यपि बातें काफी आगे बढ़ चुकी हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

खम्भात का अशोधित तेल

†*४८४. **श्री प्र० चं० बख्शी :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री याज्ञिक :
श्री प्र० मं० देव :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री १८ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद और बड़ोदा के उद्योगों में खम्भात के अशोधित तेल का इंधन के रूप में उपयोग किये जाने की संभावनाओं के बारे में सरकार ने कोई जांच की है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) आगामी वर्ष में उद्योगों के लिये भट्टी का तेल कितनी मात्रा में मिलने लगेगा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) मामले की जांच हो रही है तथा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और गुजरात सरकार उस पर विचार कर रही हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) अगले वर्ष के लिए फर्नेस तेल आयात करने के कार्यक्रम पर अन्तिम निर्णय लिया जा रहा है ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति

†४८५. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् ने जांच समिति के निर्णय मान लिये हैं;

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालय की आन्तरिक स्थिति सुधारने के लिए कब तक उन्हें कार्यरूप में परिणत किया जायेगा;

(ग) क्या अधिकारियों ने विश्वविद्यालय के स्तर को, जो गत कुछ वर्षों में काफी गिर गया है, और जिसकी ओर जांच समिति ने निर्देश किया है, सुधारने के लिये कोई योजनायें बनाई हैं; और

(घ) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् ने जांच समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार करने का निश्चय किया है।

(ख) से (घ). विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् ने एक कार्यान्विति समिति नियुक्त की है जो यह सुनिश्चित करेगी कि जांच समिति की सिफारिशों पर यथाशीघ्र कार्रवाई की जाये। निःसन्देह यह समिति जांच समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, विभिन्न क्षेत्रों में सुधार लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी।

'टिस्को' और 'इस्को' को पेशगी

†*४८६. **श्री तंगामणि :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री ३० अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'टिस्को'[1] और 'इस्को'[1] को दी गई पेशगी की युक्त अदायगी की शर्तों को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है। प्रतिवेदन मिल जाने पर अदायगी की शर्तें तय होंगी।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना

***४८७. श्री भक्त दर्शन** : क्या **शिक्षा** मंत्री १४ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४८५ के उत्तर के सम्बन्ध में सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि जिस में यह बताया गया हो कि :

(क) तीसरी पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय अनुशासन योजना के लिये ८५ लाख और १५० लाख रुपये की जो धनराशियां स्वीकृत की गई हैं, वे किस-किस मद पर किस प्रकार खर्च की जायेंगी; और

(ख) उक्त निश्चय को कार्यान्वित करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) लगभग ११०० राष्ट्रीय अनुशासन योजना शिक्षक, ६०० प्रशिक्षार्थी-शिक्षक तथा अन्य पर्यवेक्षी स्टाफ जो दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के अन्त तक कार्य कर रहा था, उनके वेतन, भत्ते आदि का १.५० लाख रु० या आवश्यकता होने पर इससे अधिक का जो व्यय होगा वह आयोजना व्यय से अलग होगा। तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में ८५ लाख रु० की जो व्यवस्था की गई है, वह योजना के विस्तार के लिए है--जिस में प्रशिक्षण देने के लिए तथा अधिक संख्या में स्कूलों के लिए अतिरिक्त राष्ट्रीय अनुशासन योजना शिक्षकों की नियुक्ति करने की भी व्यवस्था है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वर्तमान वित्त वर्ष में, अक्तूबर १९६१ के अन्त तक १,८७,६६३ रु० आयोजना व्यय तथा १९,८५,०२७ रु० आयोजना व्यय से अलग खर्च हुए हैं। योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाले राष्ट्रीय अनुशासन योजना शिक्षकों की संख्या भी २६८५ तक पहुंच गई है। इस संख्या में अलवर के समीप सरिसका में राष्ट्रीय अनुशासन योजना प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे ६०० प्रशिक्षार्थी-शिक्षकों का एक नया दल भी सम्मिलित है।

गिडी कोयला-खान में आग

†*४८८. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री ७ सितम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १२८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस जांच समिति का प्रतिवेदन जो गिडी कोयला खान में जमीन के नीचे आग लग जाने की घटना की जांच करने के लिये नियुक्त की गई थी, प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) प्रतिवेदन विचाराधीन है।

सशस्त्र बल के लिए अंशदायी शिक्षा निधि

†*४८९. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ३० अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच सेना, नौसेना, और वायु सेना के कर्मचारियों के बच्चों के लिये अंशदायी शिक्षा निधि की योजना पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). सेना, नौसेना तथा वायु सेना के जे सी ओ/ओ आर/एन सी ओ के समान पदों वाले बच्चों की शिक्षा योजना सरकार के विचाराधीन है।

तेल का उत्पादन

†*४९०. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में पंचवर्षीय तेल उत्पादन कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

तेल की पाइप लाइन

†९०७. { **श्री बी० चं० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के विचाराधीन ब्रह्मपुत्र के आर-पार सिलीगुड़ी के बड़ी लाइन के रेलहेड से सरकारी क्षेत्र के जोदारी के तेल शोधक कारखाने को पाइप लाइन द्वारा मिलाने का प्रस्ताव किस प्रगति पर है;

(ख) यदि हां, तो प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर कितनी रकम व्यय हुई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) से (ग). नूनमती और सिलीगुड़ी के बीच पाइप लाइन बनाने के लिए टैक्नो-इकानामिक अध्ययन की जिम्मेदारी भारतीय शोधनशाला लिमिटेड को सौंप दिया गया है। इस कम्पनी ने प्रारम्भिक परियोजना का अध्ययन करने के लिए एक सलाहकार नियुक्त करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की है। अमरीका के मैसर्स बेचटेल कारपोरेशन से प्राप्त प्रस्ताव विचाराधीन है। परियोजना अध्ययन पूरा होने के बाद प्रस्तावित परियोजना का व्यय मालूम होगा।

पंजाब में तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम

†९०८. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०–६१ में पंजाब में तीनवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के लिये कितनी रकम सहायता के रूप में दी गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : १९६०–६१ में पंजाब विश्वविद्यालय के तीन-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम की योजना की क्रियान्विति के लिये ६३ गैर-सरकारी तथा २६ सरकारी कालिजों पर १८,५०,००० रुपये का केन्द्रीय अंश सहायता के रूप में दिया गया है।

पंजाब में विमुक्त आदिम जाति

†९०९. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि में राज्य की अन्य-अधिसूचित आदिम जाति के उत्थान के लिये पंजाब राज्य सरकार ने क्या कोई रकम स्वीकार की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कितनी रकम स्वीकार की गई है ; और

(ग) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां।

(ख) १३.६८ लाख रुपये।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

इनामी बौंडों की बिक्री

†९१०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तिम चार महीनों में इनामी बौंडों की बिक्री में बहुत कमी आ गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, हां ।

(ख) मख्यत: योजना का नयापन समाप्त होने के कारण तथा बौंडों की खरीद के कारण प्रत्येक चौमाही में लाटरी की संख्या बढ़ जाने के कारण ।

साहित्य अकाडमी

†९११. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन कौन सी हिन्दी पुस्तकों के अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं में अनुवाद साहित्य अकाडमी में एक वर्ष से अधिक से लम्बित हैं ; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं में निम्न पुस्तकों का अनुवाद एक वर्ष से अधिक के लिये लम्बित है :—

१. तुलसी दास का रामचरित मानस ।

२. विद्यापति की कुछ कबितायें ।

३. सूरदास की कुछ कबितायें ।

४. बिहारी सतसई ।

५. मीरा बाई की कुछ कबितायें ।

६. चिन्तामणि (खंड १) लेखक रामचन्द्र शुक्ल ।

(ख) अनुवादकों की कमी तथा अच्छे अनुवाद के लिये अपेक्षित समय ।

स्त्रियों तथा लड़कियों में अनैतिक पण्य दमन अधिनियम

†९१२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्त्रियों तथा लड़कियों में अनैतिक पण्य दमन अधिनियम १९५६ का कार्यवहन और अधिक प्रभावोत्पादक बनाने में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उसके क्या परिणाम निकले ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती अल्वा)** : (क) और (ख) मामला अभी विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अल्प बचत योजनाओं के अधीन एकत्रित रकम

†९१३. **श्री पांगरकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र के परमणी तथा नांदेड़ जिलों में १ अप्रैल, १९६१ से ३० सितम्बर, १९६१ की अवधि में छोटी बचत योजना के अधीन कितनी रकम इकट्ठी की गई ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : इन दोनों जिलों की कुल उगाही नीचे दी जाती है :

(लाखों में रुपये)

	मास	कुल
परमणी . . .	१५.४२	६.०२
नांदेड़	१०.६९	२७.७४

महाराष्ट्र में विभिन्न करों की बकाया राशि

†९१४. **श्री पांगारकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अक्तूबर, १९६१ को महाराष्ट्र में निर्धारियों से उपहार-कर, धन-कर तथा व्यय-कर के कुल बकाया क्या हैं ;

(ख) किस अवधि से बकाया हैं ; और

(ग) इस रकम की उगाही के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) १ अक्तूबर, १९६१ को महाराष्ट्र में निर्धारियों से निम्न रकम बकाया है :—

(सैकड़ों में रुपये)

उपहार-कर	३,८८
धन-कर	६३,११
व्यय-कर	५,९४

(ख) यह बकाया १९५७–५८ से बाकी है ।

(ग) शेष बकाया की उगाही के लिये संविहित विधानों में उपबन्धित कार्यवाही की जा रही है ।

भारत-पाक सीमा पर तस्कर व्यापारी

†९१५. **श्री पांगरकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन महीनों में भारत-पाकिस्तान सीमा पर कितने तस्कर व्यापारी तथा कितने पाकिस्तानी भारत में तस्कर व्यापारी के रूप में गिरफ्तार किये गये ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रखी जायेगी ।

†मूल अंग्रेजी में

तांबे के निक्षेप

†९१६. **श्री विद्याचरण शुक्ल**: क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री बस्तर जिले के तांबे के निक्षेप के बारे में ८ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुंडाटिकरा क्षेत्र में भारत के भूतत्वीय परिमाप द्वारा किये गये भछिद्रण के साथ साथ जांच के कुछ लाभदायक परिणाम निकले हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या काम प्रगति कर रहा है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). जी नहीं । तीसरा छिद्र पूरा हो गया और चौथा छिद्र खोदा जा रहा है । अभी तक तांबे की नियमित परतों का पता नहीं लगा है । चौथे छिद्र में पाइराइट से संबद्ध चालकों पाइराइट का कुछ गहराई पर पता लगा है जब कि कुछ अन्य गहराइयों पर पाइराइट का पता लगा है ।

(ग) जी हां । काम हो रहा है ।

राष्ट्रीय एकता सम्बन्धी नाटक

†९१७. **श्री प्र० गं० देव**: क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय एकता के बारे में लिखे गये नाटकों के लिए कितने इनाम दिए गए हैं ; और

(ख) इसके लिए कुल कितनी रक़म स्वीकार की गई है ?

†**वैज्ञानकि अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) अब तक कोई नहीं ।

(ख) निम्नलिखित भाषाओं के लिए ४००० रुपये के १५ इनामों के लिए ६०,००० रुपये की रक़म रखी गई है :—

आसामी
बंगाली
गुजराती
हिन्दी
कन्नड़
काश्मीरी
मलयालम
मराठी
उड़िया
पंजाबी
संस्कृत
तमिल
तैलगू
उर्दू और अंग्रेजी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुसंधान और विकास का प्रशिक्षण

†९१८. **श्री चुन्नी लाल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसंधान और विकास संगठन ने इंजीनियर संस्था (भारत) की सदस्यता की विभाग 'ए' तथा 'बी' की परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों का प्रशिक्षित करने के लिए कई केन्द्रों की व्यवस्था की है ; और

(ख) यदि हां, तो (१) इंजीनियरिंग की किन शाखाओं में यह प्रशिक्षण होगा ; (२) प्रशिक्षार्थियों का अगला दल कब भर्ती किया जायेगा ; (३) क्या ऐसी कोई व्यवस्था है जिससे अर्हता बढ़ाने के लिए मैकैनिकल इंजीनियरिंग में नये फर्स्ट क्लास डिप्लोमा धारियों को जिनके अप्रेंटिस के रूप में काम करने की अनुमति दें तथा शाम को क्लास में जाने की अनुमति दें ; और (४) क्या ऐसी कोई व्यवस्था है अथवा व्यवस्था करने का विचार है जिसमें अर्हता बढ़ाने के लिए सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में लगे हुए डिप्लोमाधारियों का इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाओं में अग्रेतर परीक्षण किया जा सके ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** (क) : जी हां ।

(ख) (१) सिविल, इलैक्ट्रिकल मैकैनिकल, टेलीकमुनिकेशन तथा एरोनाटिकल इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है ।

(२) वर्तमान प्रशिक्षण पूरे अध्ययन सत्र के लिए है अर्थात् ३½ ए० एम० आई० तथा ऐरोनिटकल ; और ५ वर्ष टेलीकमुनिकेशन के लिए । अगले दल की भर्ती के प्रश्न पर उचित समय पर विचार होगा ।

(३) जी नहीं ।

(४) जी हां । प्रतिरक्षा ही स्थापनाओं में आशंक रूप में यह प्रशिक्षण दिया जाता है ।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पुनरीक्षण

†९२०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पुनरीक्षण करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** (क) विधि आयोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पुनरीक्षण करने का विचार कर रहा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आक्सफोर्ड में प्रतिरक्षा प्रशासन सम्बन्धी सम्मेलन

†९२१. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आक्सफोर्ड में हुए प्रतिरक्षा प्रशासन के सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है ;

(ख) यदि हां, तो कौन कौन प्रतिनिधि थे तथा उनका चुनाव किस प्रकार किया गया था ;

(ग) सम्मेलन में भारत के अतिरिक्त और किन किन देशों ने भाग लिया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) सम्मेलन के उद्देश्य क्या थे तथा उसमें क्या निर्णय लिए गए ; और

(ङ) उसमें भाग लेने से भारत को क्या लाभ हुए ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). जी हां। भारत सरकार ने सम्मेलन में प्रतिरक्षा मंत्रालय के संयुक्त सेचिव श्री एच० सी० सरीन प्रतिनिधि के रूप में गए थे। उनको सम्मेलन के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि उनका प्रतिरक्षा मंत्रालय से दीर्घकालीन संबंध रहा है ।

(ग) अदन, अर्जन्टाइन, आस्ट्रेलिया, बोलिविया, ब्राजील, बर्मा, कनाडा, चिली, फिजी, फ्रांस, घाना, ईरान, ईराक़, इटली, जापान, जोर्डन, मलाया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, नार्वे, पाकिस्तान, फिलीपाइन्स, रोडोशिया, दक्षिण अफ्रीका, स्वेडन, थाईलैंड, अमरीका, वैस्ट इंडीज़, तथा ब्रिटेन ।

(घ) इस सम्मेलन में प्रतिरक्षा संगठनों के प्रशासकों को मिलने का अवसर मिला। सम्मेलन में प्रतिरक्षा प्रशासन से संबंद्ध विषयों पर विचार किया गया था। कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

(ङ) सम्मेलन की बातचीत से हमें व्यावसायिक लाभ हुए हैं और अन्य देशों के प्रतिरक्षा प्रशासकों से विचारों का आदान प्रदान होने से प्रतिरक्षा मंत्रालय को लाभ हुआ है ।

दिल्ली में मकानों के किराये

†९२२. { **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
श्री प्र० गं० देव :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री खुशवक्त राय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मकानों के किराये बढ़ जाने के कारण दिल्ली को 'ए' क्लास का नगर बनाने के लाभ सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल पाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों को सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). दिल्ली 'ए' क्लास नगर की घोषणा हो जाने के बाद से दिल्ली के किरायों की जांच नहीं हो पाई है। परन्तु यह बताया जा सकता है कि दिल्ली के नागरिक क्षेत्रों में किरायों पर दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम १९५८ से नियंत्रित हैं। अधिनियम की धारा ६ में मकानों के 'स्टेडर्ड किराये' निर्धारित करने की व्यवस्था है। यदि कोई मकान मालिक 'स्टेंडर्ड किराये' से ज्यादा किराया लेता है तो किरायेदार अधिनियम में बताई गई कार्यवाही कर सकता है।

स्टेट बैंक की शाखायें खोलना

†९२३. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री ७ सितम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३७०९ के भाग (ग) के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक की शाखायें खोलने के लिये स्थान चुनने का काम पूरा हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). स्टेट बैंक द्वारा स्थापित शाखा विस्तार संबंधी उपसमिति ने स्टेट बैंक और इस के सहायक बैंकों के द्वारा ३०० शाखाएं खोलने की सिफारिश की। अभी तक २२५ स्थान चुने गये हैं। शाखा विस्तार के अंतर्गत, जो इस समय तक अनुमोदित किया जा चुका है, खोली गई शाखाओं और खोली जाने वाली प्रस्तावित शाखाओं को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिय परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १६]** शेष ७५ स्थान अभी चुने नहीं गये हैं।

दिल्ली में चुनाव

†**९२४. श्री राम कृष्ण गुप्त**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राजनीतिक दलों ने मांग की है कि दिल्ली में लोकसभा का सामान्य चुनाव एवं दिल्ली नगरपालिका निगम का चुनाव एक ही समय किया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). दिल्ली नगरपालिका निगम में दलों का यह मत था कि नगरपालिका के सदस्यों का सामान्य निर्वाचन लोकसभा के सामान्य चुनाव के साथ साथ ही किया जाना चाहिये। दिल्ली नगरपालिका निगम के आयुक्त को इस के अनुसार मंत्रणा दी गई है।

प्लास्टिक मोल्डिंग पाउडर पर कर

†**९२५. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रद्दी सामग्री से तैयार प्लास्टिक मोल्डिंग पाउडर जो प्लास्टिक के माल पर २० प्रतिशत कर से मुक्त किया गया है बिल्कुल उपलब्ध नहीं है, क्योंकि निर्माता रद्दी सामग्री से कोई मोल्डिंग पाउडर नहीं बनाते।

(ख) क्या निर्माता २० प्रतिशत कर का सम्पूर्ण भार मोल्ड करने वालों पर डालते हैं, ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल प्लास्टिक अल्प स्तर तथा कुटीर उद्योग संघ की ओर से यह अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि छोटी इकाइयों पर से यह कर हटा लिया जाय ; और

(घ) इस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) यह सच है कि प्लास्टिक मोल्डिंग पाउडर के निर्माता प्लास्टिक के टुकड़ों से मोल्डिंग पाउडर तैयार नहीं करते, इस कारण टुकड़ों से प्राप्त होने वाला ऐसा मोल्डिंग पाउडर बिक्री के लिये बाजार में नहीं मिलता। परन्तु कुछ परिष्करण तथा मोल्ड करने वाली इकाइयां अपने उपयोग के लिये टुकड़ा सामग्री से मोल्डिंग पाउडर बना लेती हैं, और उस पर छूट मिलती है, अर्थात् वे दो बारा शुल्क नहीं देते।

(ख) उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि जबकि कुछ उत्पादों के बारे में उत्पादन शुल्क का पूरा भार खरीदने वालों पर डाला जाता है, कुछ दूसरे उत्पादों के मामलों में स्वयं निर्माताओं ने शुल्क का बड़ा भाग खपा लिया है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रार्थना को स्वीकार करना संभव नहीं हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में व्यायाम प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता

†९२६. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा के उन व्यायाम प्रशिक्षण संस्थाओं के क्या नाम हैं जिन को १९६०-६१ और १९६१-६२ में भारत सरकार से कितनी वित्तीय सहायता मिली है और कितनी कितनी राशि ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : १९६०-६१— रुपये

१. सरकारी शारीरिक शिक्षा कालेज कटक	१०,०००
२. दुर्गाप्रसाद खेल क्लब, पोरलाकीमंडी	५२५
३. श्री बीर हनुमान शारीरिक संस्था, बेहरामपुर	१,२७५
४. शंकर व्यायाम प्रशिक्षण पार्टी, बैहरामपुर	४२०

१९६१-६२—कुछ नहीं ।

उड़ीसा के लिये लोहा और इस्पात

†९२७. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१-६२ और तीसरी योजना के बाद के प्रत्येक वर्ष के लिये उड़ीसा को लोहा और इस्पात की कुल कितनी आवश्यकता है ;

(ख) क्या राज्य की वर्ष १९६१ के पूर्वार्ध की कुल मांग पूरी कर दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) और (ग) चादरों और तारों के अतिरिक्त श्रेणियों की मांग पूरी की जा चुकी है । क्योंकि इन की मांग उपलब्धि से अधिक है, किसी भी राज्य की मांग पूरी नहीं की जा सकी है ।

आजाद हिंद फौज के सैनिकों को सुविधायें

९२८. **श्री भक्त दर्शन :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री झूलनसिंह :
श्री जगदीश अवस्थी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १८ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५०४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज़ाद हिन्द फौज के सैनिकों को वे सब सुविधायें देने सम्बन्धी जो राजनैतिक पीड़ितों को दी जाती हैं, परिपत्र को किन-किन राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों ने अभी तक लागू किया है ; और

(ख) इसे उन प्रशासनों द्वारा लागू करवाने के लिये, जिन्होंने अभी तक लागू नहीं किया, क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) बिहार, केरल, मद्रास, उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर व त्रिपुरा ।

(ख) इस बारे में बाकी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों से अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस प्रश्न की जांच की जायेगी ।

उत्तर प्रदेश में मद्य निषेध

†९२९. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्ण मद्य निषेध लागू करना स्वीकार नहीं किया ।

(ख) यदि हां, तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) केन्द्र की सिफारिशों को न मानने के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) केन्द्रीय मद्य निषेध समिति की ४ और ५ सितंबर १९६१ की बैठक में की गई एक सिफारिश यह थी कि तीसरी योजना की समाप्ति से पहले भारत में पूर्ण मद्य निषेध होना चाहिये । सिफारिशें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को उन के प्रस्तावों के लिये भेज दी गई हैं । उत्तर प्रदेश सरकार का उत्तर अभी नहीं आया है ।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होता ।

औद्योगिक परिषद्

†९३०. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० जी० ओ० एफ० कलकत्ता की औद्योगिक परिषद की बैठक १९६१ में हुई थी ;

(ख) अगली बैठक कब होने की संभावना है ; और

(ग) बैठक में किन किन विषयों की चर्चा की जायेगी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों की कार्यान्विति तक तथा औद्योगिक कर्मचारियों के लिये आवास स्तर का फैसला होने तक औद्योगिक परिषद् की बैठक स्थगित करना वांछनीय समझा गया था ।

(ग) जनवरी १९६२ में ।

(घ) विषयावलि में ये विषय शामिल होंगे :

(१) औद्योगिक संबंध

(२) उत्पादन संबंधी समस्यायें और उत्पादकता

(३) आयुध फैक्टरियों में कल्याण संबंधी उपाय ; और

(४) सुरक्षा एवं अनुशासन ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अखिल भारतीय स्वतंत्रता सैनिक सम्मेलन

†९३१. **श्री श्री नारायण दास :**
श्री राधा रमण :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता सैनिकों का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन राजधानी में पिछले सितंबर में हुआ था ;

(ख) क्या सरकार को उस सम्मेलन में पारित संकल्पों की प्रतियां प्राप्त हुई हैं ;

(ग) उन संकल्पों के महत्वपूर्ण पहलू क्या थे ; जिन पर सरकार को विचार करने की जरूरत थी ;

(घ) क्या सरकार ने उन संकल्पों पर विचार कर लिया है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये हैं ; और

(च) क्या किसी निर्णय को कार्यान्वित किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) संकल्प मुख्यतया देश में राजनीति पीड़ित लोगों के आर्थिक पुनर्वास के बारे में है ।

(घ) से (च). संकल्पों पर विचार किया जा रहा है ।

शिक्षा की समेकित प्रणाली

†९३२. **श्री श्री नारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा इस बात की कोई जांच या अध्ययन करवाया है कि उच्च माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा की समेकित प्रणाली की योजना किस सीमा तक कार्यान्वित की गई है और सफल सिद्ध हुई है ;

(ख) क्या इस योजना को कार्यान्वित करने में किसी राज्य को कोई कठिनाइ अनुभव हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या कठिनाई अनुभव हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). कुछ राज्यों को, पुनर्गठन करने के किसी उपाय में होने वाली किस्म की कठिनाइयां अनुभव हुई हैं, परन्तु वर्तमान व्यवस्था, वित्तीय साधकों की उपलब्धि तथा अध्यापकों के संभरण के अनुसार, प्रत्येक राज्य को भिन्न २ कठिनाइयां अनुभव हुई हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

टुकड़े

†९३३. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू टुकड़ा नीति ने, संख्या २, २ क और ३ बंडलों को निर्यातों के मुकाबले में १० प्रतिशत प्रेस वेल्ड संख्या १ चादर कतरन से २० प्रतिशत भारी मैल्टिंग टुकड़ा तक, घरेलू भट्टी पालिका को दिया जाने वाला आवंटन बढ़ा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य के लिये कि इस प्रकार फालतू होने वाला १५ प्रतिशत संख्या १ चादर कतरन टुकड़ा इकट्ठा किया जाये और उसका उचित उपभोग उठाया जाए, कोई कार्यवाही पूरी की गई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) १५ प्रतिशत के आंकड़े निश्चित नहीं हैं । तथापि भट्ठी मालिकों को पिघलाने वाले टुकड़ों की अत्याधिक आवश्यकता है । इसलिये यह आशा की जाती है कि निर्यातकों पर बढ़ाए गये शुल्क से जो अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध हुई है, उसका उचित उपयोग किया जाएगा । उपयोग करने के लिये कोई विशेष कार्य करना आवश्यक नही समझा गया ।

स्टेनलेस स्टील के टुकड़े

†९३४. **श्री० मो० ब० ठाकुर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५० से १९६० तक और १९६१ के पूर्वार्ध में स्टेनलैस स्टील के टुकड़ों के उत्पादन, घरेलू उपयोग और निर्यात के आंकड़े क्या हैं ;

(ख) उन भट्ठियों के नाम क्या हैं जो मैगनैटिक स्टेनलेस स्टील के टुकड़ों का उपयोग करती हैं तथा उनकी वार्षिक सक्रिय क्षमता कितनी है;

(ग) उन भट्ठियों के नाम क्या हैं जो नान-मैगनेटिक स्टेनलेस स्टील के टुकड़ों का उपयोग करती हैं तथा उनकी वार्षिक सक्रिय क्षमता कितनी है ;

(घ) क्या यह सच है कि जुलाई-दिसम्बर १९६१ की टुकड़ा सम्बन्धी नीति ने स्टैनलैस स्टील के टुकड़ों के निर्यात पर यकायक पाबंदी लगा दी है; और

(ङ) यदि हां, तो व्यापारियों के पास जमा हुए टुकड़ों का उपयोग करने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है; तथा निर्यात बन्द होने के कारण इन टुकड़ों को जमा करने का काम बन्द न होने पावे, इस के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ?

† **इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) सूचना केवल १९५९ और १९६० में स्टेनलैस स्टील ने टुकड़ों के निर्यात के बारे में ही उपलब्ध है । १९५९ में निर्यात ८४०·५६ टन तथा १९६० में २०० टन था ।

(ख) मैसर्स इंडियन स्टैंडर्ड मैटल कम्पनी बंबई—३० टन वार्षिक

(ग) इस समय कोई नहीं ।

(घ) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) मामला विचाराधीन है, किन्तु यह समझा जाता है कि ऐसे टुकड़े का चमचों आदि छोटी वस्तुए बनाने के लिये उपयोग किया जा सकता है और एक बिजली की भट्ठी स्थापित की जा रही है जो काफी मात्रा में इस टुकड़े का उपयोग करेगी ।

"नाइट रनर्स आफबंगाल" उपन्यास

†९३५. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री कुन्हन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ३० अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २८०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने जान मास्टर के "नाइट रनर्स आफ बंगाल" नामक उपन्यास का परीक्षण कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम है; और

(ग) क्या इस पुस्तक को जब्त करने के लिये कोई कार्यवाही की जाएगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रीलय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). मामला विचाराधीन है ।

इस्पात पर बिक्री कर

†९३६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ३० अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस्पात केन्द्रीय बिक्री कर को उत्पादन शुल्क में बदलने का प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम का संशोधन

†९३७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वित्त मंत्री** ३० अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम का संशोधन करने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). समुद्र सीमा शुल्क में प्रस्तावित संशोधन का काम अभी चल रहा है और शीघ्र ही पूरा होने की आशा है ।

लोहे की नालीदार चादरें

†९३८. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १ मई, १९६१ अतारांकित प्रश्न संख्या ४१६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में लोहे की नालीदार चादरें उचित दामों पर मिलती हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो लोहे की नालीदार चादरों का प्रति मन क्या मूल्य है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) नालीदार चादरों के संभरण की स्थिति कठिनाई में है परन्तु जो संभरण उपलब्ध है वह नियंत्रित / जीबद्ध स्टाकधारियों से नियंत्रित दरों पर लिया जा सकता है।

(ख) नियन्त्रित स्टाकधारी प्रति मीट्रिक टन ८८५ रुपय की अधिसूचित कीमत लेते हैं तथा जीवद्ध स्टाकधारी अपने यार्डों में ९०० रुपये प्रति मीट्रिक टन लेते हैं। मुख्य उत्पाद भी ८५० रुपये प्रति मीट्रिक टन भारत के सभी रेलवे स्टेशनों पर रेल पर्यन्त निःशुल्क, वैगन भारी मात्रा में गालवेनाइजड नालीदार चादरों का भी संभरण करते हैं।

स्कल स्क्रैप

†**९३९. श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या वर्ष १९५८ में **स्कल स्क्रैप** का निर्यात केवल ४३६७ टन था; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). जी हां, विदेशी खरीदारों की कम मांग और इकट्ठा करने में क्रम गति के कारण।

मध्य प्रदेश में अल्यूमीनियम संयंत्र

†**९४०. श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में शाहडोल जिला के अपरकांकट प्रदेश में बौक्साइट के लिये एक खनन पट्टा एक गैर सरकारी फर्म को दिया गया है जिसका उस प्रदेश में अलमोनियम संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस से यह पता चलता है कि उस क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र में हंगरी के सहयोग के साथ एक, अलमोनियम संयंत्र लगाने का प्रस्ताव लाभदायक नहीं समझा गया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जिस फर्म को मध्य प्रदेश के शाहडोल जिला अपरकांटक क्षेत्र के एक भाग में बौक्साइड के लिये एक खनन पट्टा दिया गया था, वह उत्तर प्रदेश में रिहांद में अलमोनियम का एक संयंत्र लगा रही है।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर की दृष्टि में यह सवाल पैदा नहीं होता। हंगरी के सहयोग से सरकारी क्षेय में अलमोनियम संयंत्र की स्थापना पहले से विचाराधीन है, किन्तु कुछ अध्ययन पूरे नहीं हुए अतः कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया जा सकता ; अपरकांटक बौक्साइट निक्षेप उन निक्षेपों के अन्बर हैं जो उस सम्बन्ध में विचार किये जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

माउंट आबू में भारत सर्वेक्षण कार्यालय

†९४१. **श्री मो० बा० ठाकुर** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २४ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन परिस्थितियों में माउंट आबू में भारत सर्वेक्षण विभाग के द्वारा तैयार किये गये पत्रों की गोपनीयता की रक्षा करने के लिये भारत सरकार ने क्या ठोस कार्य किये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार को माउंट आबू में भारत सर्वेक्षण विभाग के लिये और कोई इमारत नहीं मिलती ;

(ग) क्या सरकार इस विभाग के लिये वर्ष में दस महीनों तक खाली रहने वाले बंगलों को अधिग्रहण करने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) सुरक्षा करने के लिये उस दफ्तर में ७ गार्ड रखे गये हैं २ गार्ड लगातार दिन और रात निगरानी पर रहते हैं। दफ्तर के चारों ओर तार की चार दीवारी लगाने का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). ये बंगले इस विभाग के लिये उपयुक्त नहीं हैं। तथापि इस विभाग के कर्मचारियों के निवास के लिये उन बंगलों का अधिग्रहण करने के लिये स्थानीय प्राधिकारियों से प्रयत्न किये गये थे, परन्तु वे सफल नहीं हुए ।

दिल्ली नगर निगम का दफ्तर

†९४२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम के दफ्तरों के लिये इमारत की योजना अन्तिम रूप से तैयार हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

भारतीय चीनी मिल संघ के एक पदाधिकारी द्वारा विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन

†९४३. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चीनी मिल संघ के एक चोटी के पदाधिकारी ने विदेशी मुद्रा विनियमों अधिनियम का उल्लंघन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह जगाधरी का एक बड़ा उद्योगपति है ;

(ग) उसके विरुद्ध क्या निश्चित आरोप है; और

(घ) क्या आवश्यक जांच पूरी कर ली गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां।

(ख) सरकार को सूचना नहीं है।

(ग) और (घ). उस पक्ष के विरुद्ध की गई न्याय निर्णयन सम्बन्धी कार्यवाही चल रही है। उस कार्यवाही के चलने तक जांच का ब्यौरा बताना बांछनीय नहीं है।

पंजाब में सेवाओं का एकीकरण

†९४४. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री ७ सितम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १२७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीन स्वीकृत सूत्र के अनुसार पंजाब में सेवाओं के विलयकरण के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) कब तक कार्य पूर्ण होने की संभावना है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) नवीन स्वीकृत सूत्र के अनुसार पंजाब में सेवाओं के विलयकरण में जो अग्रेतर प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये, वह केन्द्रीय सलाहकार समिति के परामर्श से अन्तिम रूप में तैयार की जा चुकी है और पंजाब सरकार को भेज दी गई है जो इस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

(ख) एक वर्ष के अन्दर कार्य पूर्ण होने की संभावना है।

कोयले का उत्पादन

†९४५. **श्री सूपकार** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले को खान से निकालने की वर्तमान गति देश में उपयोग के लिये भेजे जा रहे कोयले की मात्रा से अधिक है; और

(ख) क्या वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य कम करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). कोयले का वर्तमान उत्पादन दूसरी योजना में कोयले की परिवहन क्षमता सम्बन्धी रेलवे की योजना से अधिक है। तथापि बिहार और बंगाल के कोयला क्षेत्रों के अतिरिक्त बाहर के क्षेत्रों में, वर्तमान उत्पादन को पूरा करने के लिये परिवहन क्षमता पर्याप्त है। मुख्य कठिनाई बंगाल-बिहार के कोयला क्षेत्रों में है और इस कारण उत्पादन में कुछ कमी हुई है। परन्तु उन कोयला क्षेत्रों में परिवहन क्षमता को बढ़ाने के लिये विभिन्न उपाय किये गये हैं और हाल ही में यह क्षमता २०० वैगन प्रति दिन के हिसाब से बढ़ा दी गई है। इस क्षमता को प्रक्रमों में और अधिक बढ़ाने का विचार है, ज्यों ज्यों रेलवे के विभिन्न कार्य पूरे हो जाएं।

सरकारी प्रतिभूतियों में लगाने के लिये वेतन से अनिवार्य कटौती

†९४६. **श्री साधन गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी प्रतिभूतियों में धन लगाने के लिये वेतन से अनिवार्य कटौती करने की शक्ति देने का विधान बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मोटी रूपरेखा क्या है ;

(ग) क्या इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकारों के मत पूछे गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो विभिन्न राज्य सरकारों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (घ). प्रत्येक संभव तरीके से योजना को चलाने के लिये साधन इकट्ठे करने की समस्या पर लगातार विचार किया जाता है। विचाराधीन विभिन्न वैकल्पिक प्रस्तावों सम्बन्धी अन्तिम निर्णय पहले बताना या राज्य सरकारों के साथ किये गये गोपनीय परामर्शों का स्वरूप बताना सरकार के लिये संभव नहीं है।

हिन्दी असिस्टेंट

९४८. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष नियुक्त किये गये हिन्दी असिस्टेंटों का काम संतोषजनक नहीं पाया गया ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इन में सुधार के लिये क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नई भर्ती पर प्रतिबन्ध

९४९. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारियों की नई भर्ती पर लगाई गई रोक को हटाने के लिये कई मंत्रालयों ने प्रार्थना की है ;

(ख) क्या उनकी मांग का मुख्य आधार यह है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यान्विति के लिये और अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठता। परन्तु यह बता दिया जाता है कि प्रशासनीय कार्यभारी या सचिवालयिक पदों को छोड़ कर योजना की स्कीमों के लिये आवश्यक पदों के निर्माण तथा भरती पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होता।

प्रशिक्षित कर्मचारियों का स्थानांतरण

९५०. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के खर्चे पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकार से कितने कर्मचारियों ने जनवरी, १९५९ से अब तक एक विभाग से दूसरे में जाने के लिए प्रार्थना-पत्र दिये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन में से कितने कर्मचारियों के प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये गये हैं और कितने कर्मचारियों के प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये गये ; और

(ग) प्रार्थनापत्रों की अस्वीकृति के क्या कारण हैं और स्वीकृति के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा-समय पटल पर रख दी जाएगी ।

कोरबा कोयला क्षेत्र

†९५१. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोरबा कोयला क्षेत्र में मकानों की हालत और अन्य सुविधाओं को सुधारने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें कोरबा कोयला क्षेत्र में मकानों की हालत और अन्य सुविधाओं को सुधारने के लिये की गई कार्यवाहियों का उल्लेख किया गया है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १७ ।]**

पंजाबी विश्वविद्यालय

९५२. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने पंजाबी विश्वविद्यालय स्थापित करने का निश्चय किया है ;

(ख) क्या प्रस्तावित विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केन्द्रीय सरकार से भी परामर्श किया गया है ;

(ग) क्या इस विश्वविद्यालय का गठन पंजाब विश्वविद्यालय की अपेक्षा भिन्न होगा; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) और (घ). प्रस्तावित पंजाबी विश्वविद्यालय क सगठन का आकार-प्रकार पंजाब विश्वविद्यालय से मुख्यतया इस प्रकार भिन्न है कि उसका उद्देश्य पंजाबी के अध्ययन पर जोर देना तथा पंजाबी भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में विकसित करना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अखिल भारतीय सेवाओं के अफसरों की नियुक्तियां

†९५३. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय सेवाओं के अफसरों को उन के घरों में के प्रदेश में न लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ताकि उन अफसरों के दृष्टिकोण का विस्तार हो और राष्ट्रीय एकता में सहायता मिले, जैसा कि रेलवे अफसरों के बारे में किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). दो अखिल भारतीय सेवाएं विभिन्न राज्य पदालियों में संगठित की गई हैं। वार्षिक प्रतिभोजी परीक्षाओं के आधार पर इन सेवाओं के लिये चुने गये अभ्यर्थियों का विभिन्न राज्य पदालियों में नियतन करते समय, राज्य से बाहर के ५० प्रतिशत अभ्यर्थियों को प्रत्येक राज्य पदाली में आवंटित करने के सिद्धांत का पहले से ही पालन किया जा रहा है ।

प्रादेशिक आधार पर अभ्यार्थी नियत करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

लाहौल और स्पिति में जीप के चलने योग्य सड़कें

†९५४. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सच है कि लाहौल और स्पिति जिलों में तथा चीन के साथ हमारी सीमा के समीप के दूसरे स्थानों में बनाई गई जीप चलने योग्य सड़कें जीप के चलने योग्य भी सिद्ध नहीं हुई हैं और उन क्षेत्रों में बड़ी दुर्घटनाएं हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो १९६१ में अब तक हुई दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन क्षेत्रों में सब मौसमों वाली और सब कामों वाली अच्छी सड़कें बनाने के लिये क्या कार्रवाई की गई है या करने का विचार किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**) : (क) जी नहीं । इस क्षेत्र में एक सड़क सीमावर्ती सड़क निकाय बोर्ड के कार्यक्रम में शामिल है । यह बनाई जा रही है और अभी नियमित मोटर गाड़ी यातायात के लिये तैयार नहीं हुई है ।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होता ।

न्यूयार्क में अखिल भारतीय धन विनियोजन केन्द्र की शाखा

†९५५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अमरीकी पूंजी विनियोजन को प्रोत्साहन देने के निमित्त वित्त मंत्री द्वारा न्यूयार्क में हाल ही में अखिल भारतीय पूंजी विनियोजन केन्द्र की एक शाखा खोली गई है ; और

(ख) किन परिस्थितियों में इस शाखा को खोलने की जरूरत अनुभव हुई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय पूंजी विनियोजन केन्द्र जैसे संस्था को सक्रिय ढंग से चलाने के लिये, जिसका मुख्य उद्देश्य विदेशी और गैर सरकारी पूंजी और तरीकों को आकर्षित करने का है, इस की प्रमुख पूंजी-निर्यातक केन्द्रों में शाखाएं खोलना आवश्यक है । न्यूयार्क में एक शाखा खोल कर इस का श्री गणेश किया गया है ।

अमरीकी प्रोफैसरों के लिये प्राच्यकरण पाठ्यक्रम

†९५६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक कार्य परिषद् ने फुलब्राइट योजना के अंतर्गत भारत आये कुछ अमरीकी प्रोफैसरों के लिये एक प्राच्यकरण पाठ्यक्रम आयोजित किया था ;

(ख) यदि हां, तो कितने अमरीकी प्रोफैसरों ने पाठ्यक्रम में भाग लिया ; और

(ग) पाठ्यक्रम के अन्तर्गत क्या विषय पढ़ाये गये ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) जी हां ।

(ख) ५१ ।

(ग) निम्न विषयों में प्रवचन किये गये थे :—

(१) स्वतंत्र भारत के उद्देश्य,
(२) भारत में योजना,
(३) जनसंख्या तथा योजना,
(४) भारत के राजनीतिक दल एवं आगामी निर्वाचन
(५) भारतीय गांव में सामाजिक व्यवस्था,
(६) भारत में साम्प्रदायिक विकास
(७) भारत में कृषि
(८) औद्योगिक विकास
(९) भाषाई राज्यों की समस्याएं
(१०) भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की प्रवृत्ति तथा समस्याएं
(११) भारत की स्त्रियां
(१२) हिन्दू धर्म, रीति, रिवाज और तरीके
(१३) भारत के अल्पसंख्यक धर्म
(१४) भारतीय संस्कृति-विभेद में एकता का अध्ययन ।
(१५) कला और वास्तुकला
(१६) भारत की दस्तकारियां
(१७) भारत के उत्सव
(१८) महात्मा गांधी
(१९) स्वास्थ्य रक्षा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

फ्रान्स से वित्तीय सहायता

†६५७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजना के लिए फ्रांस से और अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने की संभावना पिछले तीन महीनों में बढ़ गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो किस हद तक ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). विश्व बैंक के तत्वाधान में ३१ मई और २ जून, १९६१ के बीच में आयोजित, सरकारों और संस्थाओं के संघ की बैठक में फ्रांस ने भारत को फ्रांस से पूंजी उपकरण के आयात के हेतु धन देने के लिए ३ करोड़ डालर के बराबर का ऋण देने की इच्छा व्यक्त की थी। इस ऋण की शर्तों के सम्बन्ध में फ्रांसीसी अधिकारियों के साथ बातचीत अब समाप्त ही होने वाली है ।

हजारीबाग जिले में फव्वारा (आर्टिशियन) कुआं

†६५८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हजारीबाग जिले के बड़का गांव क्षेत्र में कोयले के लिए छिद्रण करने वाले भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण के दल ने २७ सितम्बर, १९६१ को पकरी-बरवाडीह गांव में एक फव्वारा (आर्टिशियन) कुंआ खोदा था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस जगह को पर्यटकों के आकर्षक के लिए सौन्दर्य स्थल के तौर पर बनाया जा रहा है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां । कोयले के लिए छिद्रण करते हुए भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण ने बिहार राज्य में हजारीबाग जिले में पकरी बरवाडीह के पास २७ सितम्बर, १९६१ को १७३.६२ मीटर की गहराई पर एक फव्वारा (आर्टिशियन) कुंआ खोदा था ।

(ख) ज्ञात हुआ है कि बिहार सरकार इस विषय पर विचार कर रही है ।

इस्पात संबंधी आवश्यकतायें

†६५९. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री विद्या चरण शुक्ल :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में इस्पात सम्बन्धी हमारी आवश्यकताओं का अनुमान लगाया गया है ;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) तीसरी योजना अवधि में प्रत्येक श्रेणी की कितनी कितनी मात्रा संभवतः आयात की जायगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). जी हां। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत तक इस्पात की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया गया है । प्रत्येक श्रेणी के अनुसार ब्यौरा इस प्रकार है :—

इस्पात की वस्तु	१९६५–६६ तक अनुमानित वार्षिक मांग (हजार टनों में)
भारी पटरियाँ और फिशप्लेट्स	४००
हेवी स्ट्रक्चरल्स और ब्रॉड–फ्रैंज्ड बीम्स	५५०
स्लीपर्स और क्रासिंग स्लीपर्स	२००
मीडियम और लाइट स्ट्रक्चरल्स	५५०
राउन्ड्स और फ्लैटस् जिन में नट, बोल्ट और स्क्रूज के लिए राउन्डस् शामिल हैं	२२००
टिन प्लेट	३००
३/१६" की और उस से ऊपर की प्लेटस्	६५०
वायर्स जिन में वायर रोपस् भी शामिल हैं	४००
हूप्स और बॉन्ड्स स्ट्रैपिंग	५०
शीटस्	१२००
स्ट्रिप्स और ट्यूबों के लिए स्केल्प	४००
फोर्जिंग ब्लूम्स और बिलेटस्	३००
पहिये, टायर और एक्सील	१००
कुल	७३००
बिक्री के लिए कच्चा लोहा (पिग आयरन)	१५००

आयात के बारे में ठीक ठीक जानकारी देना संभव नहीं है । किसी खास समय कोई वस्तुएं हमारी जरूरतों से अधिक हो सकती हैं और कुछ चीजों की कमी भी हो सकती है । उपलब्धि और आवश्यकताओं के आधार पर निर्यात और आयात, दोनों ही होते रहेंगे । विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण आयोजन में कोशिश इस बात की हुई है कि इस्पात का निर्यात यथा संभव कम से कम किया जाये ।

पंजाब में तेल की खोज

†९६०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में तेल की खोज और अनुसंधान कार्य के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) किन किन स्थानों पर खोज का काम चल रहा है और अब तक क्या नतीजा निकला है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). कांगड़ा जिले में दो गहरे कुएं ज्वालामुखी के पास तथा एक गहरा कुंआ होशियारपुर के पास समतल मैदान में खोदे गये थे और एक और गहरे कुंए की खुदाई होशियारपुर जिले में जनौरी ढांचे के पास अभी हाल में पूरी हुई है । अभी हाल में, जालन्धर जिले में आदमपुर के पास एक नये गहरे कुंए का छिद्रण शुरू हुआ है । भूतत्वीय जानकारी प्राप्त करने के लिए इन कुओं के अलावा, सात छिद्र (स्ट्रक्चरल होल्स) खोदे गये हैं जिन में से ५ कांगडा जिले में, १ फिरोजपुर जिले में जिरा के पास और १ होशियारपुर जिले में है। इसके अतिरिक्त १ छिछाला छिद्र (शैलो होल) होशियारपुर जिले में ढोलबाहा के पास खोदा गया था ।

ज्वालामुखी गहरा कुंआ संख्या १ में गैस मिली थी लेकिन कुंआ संख्या २ में बराबर के क्षितिज (इक्वीवेलेन्ट होराइजन्स) शुष्क थे और इसलिये यह निष्कर्ष निकाला गया कि कुंआ संख्या १ में प्राप्त गैस का भंडार स्थानीय स्वरूप का था और वह वाणिज्यिक महत्व का नहीं था। पंजाब के मैदानो में होशियारपुर गहरा कुंआ संख्या १ सूखा था । और जनौरी गहरे कुंए की जांच अभी बाकी है ।

दिल्ली में कोयले की कमी

†६६१. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कोयले की भारी कमी की संभावनाएं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या की जाने वाली है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). इस साल के पहले ६ महीनों में कोयले के कुल ३३६७५ मालडिब्बे दिल्ली भेजे गये थे जब कि १६६० में उसी अवधि में २८६०३ डिब्बे भेजे गये थे। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि दिल्ली में कोयले की भारी कमी की आशंका है । फिर भी कोयला नियंत्रक दिल्ली प्रशासन के परामर्श से स्थिति पर बराबर निगरानी रखता है ।

कांगो के लिये भारतीय सैनिक

†६६२. **श्री वी० चं० शर्मा :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगो में और अधिक सैनिक भेजने के लिए सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ से और कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है ? और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) अक्तूबर, १९६१ में आवश्यक कर्मचारी उपकरण तथा फालतू पुर्जों के साथ छै सैनिक-विमान कांगो भेजे गये थे ।

राउरकेला इस्पात कारखाने में छंटनी

†१६६३. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री सूपकार :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राउरकेला, इस्पात कारखाने में पिछले तीन महिनों में काफी बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो कितने मजदूरों की ;

(ग) छंटनी लाभ देने के लिए कितनी रकम खर्च की गयी है ; और

(घ) छंटनी के कारण क्या थे ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). राउरकेला इस्पात कारखाने में निर्माण कार्य में लगे हुए करीब ४४० कर्मचारियों को पिछले तीन महिनों में काम से अलग कर दिया गया है ।

(ग) क्षतिपूर्ति के तौर पर करीब ४,४०० रुपये खर्च किये गये हैं क्योंकि काम से अलग किये गये अधिकांश कर्मचारियों ने क्षतिपूर्ति स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था।

(घ) जिस निर्माण कार्य के लिए उन्हें नियुक्त किया गया था, वह पूरा हो गया था ।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम

†१६६४. **श्री दामानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय वित निगम के घोषणापत्र में संशोधन किया गया है ताकि वह साम्य विनियोजन (इक्वीटी इनवेस्टमेन्ट) कर सके; और

(ख) यदि हां, तो साम्य विनियोजन का सिद्धान्त किस तरह लागू किया जायगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां ।

(ख) माननीय सदस्य का आशय बहुत स्पष्ट नहीं है। फिर भी यह बताया जा सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम उन उपक्रमों की साम्य पूंजी में अंशदान देगा जो वित्तीय दृष्टि से तथा प्रविधिक दृष्टि से सुदृढ़ हैं और जिन्हें सहायता के उपयुक्त समझा गया है। उसके घोषणा-पत्र के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम किसी भी उपक्रम का, जिस में उस ने अपना धन लगाया हो, प्रबन्ध करने की जिम्मेदारी नहीं लेगा और न ही वह ऐसे प्रयोजन के लिए किसी अपने मताधिकार का उपयोग करेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

लाहौल और स्पिती घाटी का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†९६५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान पट्टी बनाने के लिये लाहौल और स्पिति घाटी का भूतत्वीय सर्वेक्षण करने के बारे में कोई निश्चय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण को ऐसी कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है ;

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ ।

तेल पाइपलाइन

†९६६. **श्रीमती मफीदा अहमद :**
श्री मोरारका :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाहर कटिया से नूनमाटी तेल शोधक कारखाने तक पाइपलाइन डालने के संबंध में आज तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या वह समय सूची के अनुसार पूरा हो जायगा ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या समय सूची के अनुसार पाइपलाइन डालने का काम पूरा न होने के कारण तेल उत्पादन कार्यक्रम में काफी कमी होगी ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) पाइप लाइन डालने की प्रगति के बारे में २०–११–६१ को स्थिति इस प्रकार थी :—

	मील
(१) रास्ते को साफ करने के लिए अधिकार की पूर्ति . .	२४८
(२) स्ट्रिंगिंग	२४८
(३) डिचिंग	२११
(४) वेल्डिंग	२४८
(५) कोट और कैप	२१९
(६) लोअर और बैकफिल	२११

डिसांग, डिक्कू, झान्जी और भोगदाई नामक चार नदी–क्रासिंग्स पर काम जारी है ।

(ख) जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) (१) मुख्य पाइप लाइन ठेकेदार समयसूची के अनुसार पाइप लाइन डालने का काम पूरा नहीं कर सके ;

(२) निर्माण, आधिकारी, बर्मा–आयल कम्पनी (पाइपलाइन्स) समय सूची के अनुसार, पम्पिग स्टेशनों आदि जैसी कुछ संबधित सुविधाएं पूरी नहीं कर सकी।

(घ) इसका ठीक-ठीक अनुमान लगाना इस समय संभव नहीं है ।

महिला यात्री द्वारा तस्कर व्यापार

†१९६७. **श्री रामम् :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १५ अक्तूबर, १९६१ को एक महिला यात्री, को, जो बबई जा रही थी, समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के तथाकथित उल्लंघन के अपराध में पालम हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह यात्री किस फर्म में नियुक्त था ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) और (ख) जी हां, कुमारी उषा अदवानी को १५ अक्तूबर, १९६१ को पालम हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया था और निम्न लिखित वस्तुएं जो सभवत: सीमा शुल्क अधिनियम के उपबन्धों का उल्लघन कर आयात की हुई थीं, उस के संदूक से बरामद की गयी :—

(१) रोमर जेन्टस् कलाई घड़ियां	१,३३९
(२) ट्रान्जिस्टर रेडियो . . .	३
(३) रेकार्ड प्लेयर . . .	१
(४) कॉफी मिक्सर . . .	१
(५) मिक्सर (बहुत बड़ा आकार) . .	१

उपयुंक्त माल का अनुमानित मूल्य १,६२,४७० रुपये है । यह महिला गिरफ्तार कर ली गयी थी और बाद में उसे जमानत पर छोड़ दिया गया ।

(ग) बताया जाता है कि वह यूरागुए दूतावास, नयी दिल्ली में नियुक्त है ।

मोहिन्द्रगढ़ म लौह-अयस्क

†१९६८. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २२ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न सख्या ७८८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय धातुकार्मिक प्रयोगशाला ने मोहिन्द्र गढ़ लौह अयस्क को गलाने के प्रयोग पूरे कर लिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो : उसका परिणाम क्या है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या नरनौल, जिला मोहिन्द्रगढ़ में एक कच्चा लोहा संयंत्र स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिये जाने के संबंध में एक गैर सरकारी व्यक्ति के आवेदन पत्र पर सरकार ने इस बीच विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या नतीजा निकाला ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). राष्ट्रीय धातु-कार्मिक प्रयोगशाला जमशेदपुर, से मोहिन्दरगढ़ में लौह क्षेत्र में लोहा गलाने के प्रयोगों के बारे में प्राप्त प्रारम्भिक रिपोर्टों से इस आशा को प्रोत्साहन मिलता है कि मोहिन्दरगढ़ लौह क्षेत्र से लोहा तैयार किया जा सकता है। अभी भी विस्तृत प्रयोग किये जा रहे हैं ताकि अधिकतम ईंधन दर, ब्रेनसाइज और विभिन्न प्रकारों के ईंधनों की उपयुक्तता, जिनमें नान कोकिंग कोल से बनाया गया कम तापमान वाला कार्बनीकृत कोयला तथा नान कोकिंग कोल का अवशेष भी शामिल है निर्धारित की जा सके। इन सभी प्रयोगों से प्राप्त आंकड़ों के अध्ययन के बाद ही यह संभव होगा कि विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिये इन परिणामों को परस्पर संबद्ध किया जाये।

(ग) और (घ). आवेदनपत्र पर अभी विचार किया जा रहा है लेकिन तब तक उस पर कोई फैसला करना कठिन होगा जब तक कि राष्ट्रीय धातु कार्मिक प्रयोगशाला में प्रयोगों के परिणाम अन्तिम रूप से निश्चित नहीं किये जाते।

बहुप्रयोजनीय स्कूलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए कालेज

†९६९. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री ४ सितम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३१९४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बहुप्रयोजनीय स्कूलों के लिये अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लि` चार प्रादेशिक कालेज स्थापित करने के लिये स्थान चुन लिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) अभी तक तीन स्थान चुने गये हैं।

(ख) भुवनेश्वर (पूर्वी प्रदेश), भोपाल (पश्चिमी प्रदेश) और मैसूर (दक्षिणी प्रदेश)।

औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड को ऋण

†९७०. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री ४ सितम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३१९७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड को ९५·२४ लाख प` का ऋण देने के लिये औद्योगिक वित्त निगम की सिफारिशों पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या नतीजा निकला ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड की ९५·२४ लाख प` का ऋण देने के लिये भारत के औद्योगिक वित्त निगम की सिफारिशों पर सरकार अभी विचार कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अम्बाला छावनी बोर्ड के मेहतर

†९७१. **श्री चुनी लाल :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेहतर संघ, अम्बाला छावनी बोर्ड, से उनकी कुछ शिकायतों तथा वास्तविक मांगों के बारे में सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य मांगें और शिकायतें क्या हैं और सरकार ने उन पर क्या क्या कार्यवाही की है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) जी नहीं । फिर भी आदि हिन्दु श्री बाल्मिक सभा तथा मेहतर संघ, अम्बाला छावनी ने जनवरी, १९६० में पश्चिमी कमान के जनरल आफिसर कमांडिंग इन-चीफ को दो अभ्यावेदन दिये थे ।

(ख) मांगें और शिकायतें तथा छावनी बोर्ड, अम्बाला, द्वारा उन पर की गयी कार्यवाही इस प्रकार है :—

मांगें	की गयी कार्यवाही
नयी नालियों तथा सड़कों के कारण अधिक काम पूरा करने के लिये मेहतरों की संख्या बढ़ायी जाये ।	काम को देखते हुये छावनी बोर्ड ने निरीक्षक कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का निश्चय किया लेकिन मेहतरों की वर्तमान संख्या पर्याप्त समझी ।
सभी मेहतरों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाये	मेहतरों को बारी बारी से साप्ताहिक अवकाश के रूप में पूरी छुट्टी मिल रही है ।
सभी मेहतरों को पहियेदार गाड़ियां (व्हील बैरोज) और दूसरे औजार दिये जायें ।	छावनी बोर्ड अपनी वित्तीय सीमाओं के अन्तर्गत पहियेदार गाड़ियां (व्हील बैरोज) देने के लिये कार्यवाही कर रही है ।
सभी मेहतरों को रहने की जगह मुफ्त दी जाये	४५० मेहतरों में से १५० को जगह पहले ही दी जा चुकी है । तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोर्ड के ७५ प्रतिशत मेहतर कर्मचारियों को शामिल करने की व्यवस्था की गयी है ।
जमादारों को साइकल भत्ता दिया जाये ।	जिन जमादारों को सैनिक क्षेत्र में काम करना पड़ता है और जिन्हें लम्बी लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है, उन्हें ४ रुपये माहवार की दर से साइकिल भत्ता दिया जाता है ।

†मूल अंग्रेजी में

कच्छ से तेल

†९७२. **श्री हेम राज :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रसायनिक प्रयोगशाला, पूना का कोई विशेषज्ञ **कच्छ से तेल** निकालने के विषय की छानबीन करने के लिये जाब सरकार की प्रार्थना पर लाहौल घाटी गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने कोई रिपोर्ट पेश की है ; और

(ग) स प्रयोजन के लिये लाहौल में एक छोटा कारखाना स्थापित करने की क्या सभावना है ?

†**वज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) जी हां।

(ख) जी हां. पंजाब सरकार को एक रिपोर्ट पेश की गयी है।

(ग) पंजाब सरकार इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुये इस प्रश्न पर विचार करेगी।

लाहौल और स्पिति के हरिजन

†९७३. **श्री हेम राज :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की प्रार्थना पंजाब सरकार से प्राप्त हुई है कि कोली, डागी, हासी, लोहार और जुलाहा कहे जाने वाली लाहौल और स्पिति के हरिजनों को अनुसूचित जातियों में गिना जाये ; और

(ख) यदि हां, तो स संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** (क) और (ख). अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूची का पुनरीक्षण करने के लिये राज्य सरकार के प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं। इस बीच राज्य सरकर द्वारा उस विषय में की गई सिफारिशें प्रकट करना जनहित में नहीं है ।

कार्बनाइजेशन प्लांट]

†९७४. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २५ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न सख्या ९३४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला परिषद् की विभिन्न स्थानों पर 'लो टेम्परेचर कार्बनाइजेशन प्लांट" स्थापित करने की सिफारिशों पर सरकार ने निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). कोयला परिषद् और स्वर्गीय डा० जे० सी० घोष के चैयरमेनशिप में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें और केन्द्रीय ईंधन गवेषणा इंस्टीट्यूट की लो टेम्परेचर कार्बनाइडेशन प्लांट की सिफारिश पर विचार करते हुये भारत सरकार द्वारा सरकारी उद्योग क्षेत्र में इस प्रकार के तीन प्लांट जम्बाद

---

†मूल अंग्रेजी में

(रानीगंज) कोत्तागुदम (सिंगरेनी) और दक्षिण वरनपुरा में स्थापित करने का प्रस्ताव है। किन्तु तीसरी योजना में प्रस्तावित व्यय और वित्तीय संसाधनों के बीच विशद अन्तर देखते हुये भारत सरकार के लिये इस दिशा में वित्तीय उपबन्ध करना अभी संभव नहीं हो सका है।

धोलका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

†९७५. **श्री क० उ० परमार :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात उच्च न्यायालय में इस बात के लिये याचिका प्रस्तुत की गई है कि धोलका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को वर्तमान में रक्षित क्षेत्र के स्थान पर सामान्य क्षेत्र घोषित कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसका शीघ्र निर्णय और कब तक करेगी ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरतवीस) :** (क) धोलका टाऊन के एक निवासी की ओर से धोलका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में रक्षित स्थान नियत करने के विरूद्ध गुजरात उच्च न्यायालय में एक सिविल अर्जी दी गई है। यह मामला अभी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है ।

(ख) चूंकि यह मामला अभी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, सरकार ने निर्णय करने का वर्तमान में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

औद्योगिक वित्तीय निगम के लिये विदेशी ऋण

†९७६. **श्री मोरारका :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक वित्त निगम डालर मुद्रा के अतिरिक्त अन्य विदेशी ऋण के लिये भी बातचीत कर रहा है ;

(ख) क्या अभी तक किसी व्यवस्था को अन्तिम रूप दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) से (ग). भारत का औद्योगिक वित्त निगम डालर के अतिरिक्त अन्य विदेशी मुद्रा में ऋण की संभावना की खोज कर रहा है। सरकार ने अभी हाल ही में "क्रेडिटेंस्टाल्ट" (जर्मन बैंक आफ रिकंस्ट्रक्शन) द्वारा निगम को १५० लाख डी० एम० (१·८ करोड़ रुपये) देने के प्रस्ताव से सहमत अभिव्यक्ति कर दी है अभी इसके लिये समझौता नहीं हुआ है ।

अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा

†९७७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री १८ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६६१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा योजना के अनुमोदन और कार्यान्विति की दिशा में और क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख) लोक-सभा के पटल पर विवरण रखा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क) और (ख). राष्ट्रीय सेवा योजना और विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने के लिये भारत सरकार ने मार्च, १९६० में शिक्षाविदों, प्रशासकों और प्रतिरक्षा अधिकारियों का एक प्रतिनिधि कार्यकारी दल स्थापित किया था इस कार्यकारी दल ने रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया है और इस पर भारत सरकार विचार कर रही है।

दिल्ली में लोक प्रशासन संस्थायें

†९७८. **श्री अगाड़ी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन स्कूल आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली को १९६१–६२ में आवर्ती और अनावर्ती सहायता और/अथवा अनुदान के सिलसिले में कितनी रकम दी गई है ;

(ख) इन संस्थाओं को प्रारम्भ से अभी तक आवर्ती और अनावर्ती सहायता और/अथवा अनुदान की कुल कितनी रकम है ;

(ग) इन संस्थाओं में अभी कितने विद्यार्थी और अधिकारी राज्यवार ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं ;

(घ) क्या इन संस्थाओं के बोर्ड आफ मैनेजमेंट में सरकार की ओर से कोई सरकारी अथवा गैर सरकारी व्यक्ति नामजद किये गये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रकार नामजद किये गये सदस्यों के क्या नाम हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) ७ लाख रुपये।

(ख) ६९·२९ लाख रुपये ।

(ग) यह जानकारी परिशिष्ट २–१८ में दी गई है।

(घ) से (ङ). सरकार किसी सरकारी और गैर सरकारी व्यक्तियों को नामजद नहीं करती। इंस्टीट्यूट ने परम्परा स्थापित की है इसके अनुसार हर बार कार्यकारी परिषद् का पुनर्गठन होने पर कुछ वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित कर लिये जाते हैं। कार्यकारी परिषद् का वर्तमान गठन परिशिष्ट में बताया गया है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण के लिये गैर-सरकारी संगठनों को सहायता

†९७९. **श्री कुम्भार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विकास के लिये चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठनों को केन्द्रीय सरकार ने वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो गैर सरकारी संगठनों के क्या नाम हैं और अभी तक कितनी रकम दी गयी है ; और

(ग) क्या गैर सरकारी संगठनों ने योजनाओं के अनुसार रकम के समुचित उपयोग की शर्तें पूरी की हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) भारत सरकार स्थानीय स्वरूप के उन गैर सरकारी संगठनों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता नहीं देती है जिनके कार्य एक जिले अथवा राज्य तक ही सीमित हैं। इन संगठनों को संबंधित राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें सहायता देती हैं। भारत सरकार केवल अखिल भारत स्वरूप के संगठनों को ही अनुदान देती है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

बड़े-बड़े बन्दरगाहों में सीमा-शुल्क सलाहकार

†१८०. **श्री नागी रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आयात किये गये साहित्य की समुचित जांच करने के लिये बड़े-बड़े बन्दरगाहों पर सीमा शुल्क सलाहकार नियुक्त किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके क्या नाम हैं और उनका विवरण क्या है ;

(ग) क्या इन सलाहकारों के मार्गदर्शन के लिये कोई नियम बनाये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनका क्या व्योरा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) नहीं, श्रीमान्, परन्तु मामला विचाराधीन है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

मैसूर राज्य के सहकारी एपेक्स बैंक लि०, को ऋण

†१८१. { **श्री अगाड़ी** :
श्री सिद्धनंजप्पा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य के मैसूर राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लि०, बंगलौर को भारत के रक्षित बैंक द्वारा १९५९–६०, १९६०–६१ और १९६१–६२ में अब तक कुल कितना ऋण दिया गया है और उक्त बैंक ने कितना धन लौटा दिया है और अब कितना बाकी है ;

(ख) क्या मैसूर राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लि०, बंगलौर ने पंडियन बैंक लि०, बंगलौर को ऋण या निक्षेप स्वरूप कोई राशि दी है ;

(ग) यदि हां, तो १९५९–६० से आज तक कितनी राशि दी है और कितनी अवधि के लिये दी है ;

(घ) अब मैसूर राज्य सहकारी शीर्ष बैंक लि०, बंगलौर को पंडियन बैंक लि० ने कितना धन देना है ;

(ङ) क्या पंडियन बैंक लि० अनुसूचित बैंक है और उसे मैसूर राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लि० से निक्षेप पाने का अधिकार है ;

(च) क्या पंडियन बैंक लि० की समय-समय पर भारत के रक्षित बैंक द्वारा जांच की जाती है ;

(छ) यदि हां, तो अन्तिम निरीक्षण कब किया गया था ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ज) क्या यह सच है कि पंडियन बैंक लि० ने मैसूर सहकारी एपेक्स बैंक लि० से धन जमा किये जाने का आश्वासन पा कर बिना किसी उचित प्रतिभूति के संबधित व्यक्तिव को बहुत बड़ा ऋण दिया है ।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १६]**

(ख) से (घ) सरकार के पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है । इन प्रश्नों का संबंध शीर्ष सहकारी बैंक के एक विभाग से संबंधित है । इस विभाग के बारे में संबंधित बैंक को रहस्य की प्रचलित प्रथा रखनी है । अतः इन विस्तृत बातों का बताना लोक हित में नहीं है ।

(ङ) हां ।

(च) तथा (छ) रिर्जव बैंक पंडियन बंक का समय समय पर निरीक्षण करता है और उसकी स्थिति का अन्तिम निरीक्षण २६ फरवरी, १९६० को हुआ था ।

(ज) सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

भारत में विदेशी राष्ट्रजन

†**१८८२. श्री प्र० गं० देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, १९६१ तक भारत में विभिन्न देशों के कितने विदेशी राष्ट्रजन रह रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो यह संख्या पिछली वर्ष की अपेक्षा कम है या ज्यादा है ?

†**गृह-काये मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख) जानकारी देने व विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २०]**

राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथी

†**१८८३. श्री प्र० गं० देव** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथी ने हाल में हाथ के बने चित्र, आदि खरीदे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वस्तु का कितना मूल्य दिया गया है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) कार्य का शीर्ष	औसत	मूल्य रुपये
सिर	मूर्ति कर्म	२,०००
ब्रात	तैल मूर्ति	७५०
रविन्द्र नाथ टैगोर	रेखा चित्र	२,५००
रविन्द्र नाथ टैगोर का सिर	मूर्ति कर्म	४,०००
उपनगर	तैल चित्र	१,०००
पंगी का गांव	तैल चित्र	८००
मां	मूर्ति कर्म	१,५००

†मूल अंग्रेजी में

सिक्किम में चौकी

†९८४. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का विचार पश्चिमी सिक्किम में चौकियां बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) और (ख). सभा में यह जानकारी देना लोक हित में नहीं है ।

डोगरी भाषा

९८५. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या डोगरा मंडल, जम्मू ने यह मांग की है कि डोगरी भाषा को एक क्षेत्रीय भाषा माना जाये और उसे भारतीय संविधान में स्थान दिया जाये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : पिछली जुलाई में डोगरा मंडल, जम्मू ने यह प्रार्थना की थी कि डोगरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाये ।

चौयनियन

†९८६. **श्री साधन गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन महीनों से आज तक समुद्र सीमाशुल्क विभाग ने विदेशी तथा भारतीय जहाजों से सोने, बहुमूल्य पत्थरों तथा अन्य वस्तुओं के कितने चौयनियन के मामलों का पता लगाया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** समुद्र सीमा शुल्क, भू-सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकरियों ने १५ नवम्बर, १९६१ को समाप्त होने वाले तीन महीनों में विदेशी तथा भारतीय जहाजों से सोने, बहुमूल्य पत्थरों तथा अन्य वस्तुओं के चौयनियन के १५८ मामले पकड़े हैं ।

पन्ना में पाया गया असाधारण हीरा

†९८७. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक हीरा जो तोल में कोहनूर से ४७ रत्ती अधिक है, हाल में पन्ना में पाया गया है ; और

(ख) क्या इस हीरे का मूल्य २,५०,०० रु० है और कटाई होने पर १०,५०,००० रु० होगा ।

†**खान तथा तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) पन्ना में हाल में ४७ रत्ती का एक हीरा पाया गया है ।

(ख) अभी तक हीरे का मूल्य नहीं आंका गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बिहार में कोयले के भंडार

९८८. **श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने बिहार के रामगढ़ क्षेत्र में कोयले के बहुत बड़े भंडार का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो यह क्षेत्र कितना है (वर्ग मील में) और वहां कितना कोयला (दस लाख टन में) मिलेगा ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने अमेरिका से प्रविधिक सहायता मांगी है ; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

खान तथा तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग ने अनुमान लगाया है कि सम्पूर्ण कोयला-क्षेत्र में, जोकि ९८·५२ वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है, कुल कोयले के संचय १५०० मिलियन टन से अधिक होंगे।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय कोयला विकास निगम यू० एस० टैक्नीकल कापरेशन मिशन की सहायता से रामगढ़ क्षेत्र में कोयला भंडारों का समुपयोजन करने का विचार रखता है। हाल में एक टी० सी० एम० विशेषज्ञ पहुंच चुका है और परियोजना की संभाव्यता का परीक्षण करने के लिये भूगर्भीय जानकारी का अध्ययन कर रहा है।

पुरातत्वीय खुदाइयां

†९८९. **श्री अगाड़ी :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री १४ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०३२ के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०–६१ और १९६१–६२में अब तक गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मद्रास और मैसूर राज्यों में कोई पुरातत्वीय खुदाई हूई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे हैं ;

(ग) क्या १९६१–६२ में उपरोक्त राज्यों में पुरातत्वीय खोज का कार्यक्रम इस बीच निश्चित हो गया हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसका राज्यवार क्या व्योरा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) १९६०–६१ में हां श्रीमन्।

१९६१–६२ में पुरातत्व विज्ञान के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति ने निम्न खुदाई कार्य किये जाने की अनुमति दे दी है :

गुजरात :

(१) लोथल टीले के उत्तर पश्चिमी किनारे के पार छोटे से भाग की खुदाई।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) जिला ब्रौच में अंकलेश्वर के पास नागल में खुदाई ।

(३) जिला सावरकांत में शमलजी में पिछली वर्ष की खुदाई को आगे जारी रखना।

महाराष्ट्र :

(१) विधर्भ में कौंदिनियापुर में खुदाई ।

(२) जिला औरंगाबाद के पाइथन में खुदाई ।

आन्ध्र :

नलगोंडा जिले में यलेस्वरम में पिछले वर्ष हुई खुदाई को जारी रखना ।

मद्रास :

तिरुचिरापल्ली जिले के कुलि हलाई तालुक में थिरुक्मपुलियार गांव में खुदाई ।

मैसूर :

(१) जिला मैसूर में टी० नर्सीपुर में खुदाई ।

(२) जिला मैसूर में हेमियेज में खुदाई ।

(३) वेलारी में संगनकल्लू में खुदाई ।

(ख) विभिन्न राज्यों से पूर्ण विवरण अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) तथा (घ). हां, श्रीमान् ।

पुरातत्व विज्ञान के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की केन्द्रीय समिति ने १९६१–६२ में निम्न खुदाइयां किये जाने की अनुमति दे दी है :

गुजरात :

(१) गुजरात में नूतनतम सागर नलों पर खोज ।

(२) मध्य तथा निम्न नर्मदा के पूर्व तथा आदि ऐतिहासिक स्थानों की खोज ।

महाराष्ट्र :

मध्य वैगंगा और पुसा बेसिन में खुदाई । (पूर्व ऐतिहासिक शाखा) ।

आन्ध्र :

नलगोंडा जिले में पूर्व ऐतिहासिक स्थानों का सर्वेक्षण । (पूर्व ऐतिहासिक शाखा) ।

मद्रास :

त्रिचि–मदुरा–पुडाकोडई–तिन्नेवेली प्रदेश का सर्वेक्षण (पूर्व ऐतिहासिक शाखा) ।

विधि आयोग की रिपोर्टें

†१९०. **श्री कालिका सिंह क्या विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधि आयोग ने अब तक कितनी रिपोर्टें प्रकाशित की हैं ;

(ख) किस किस रिपोर्ट पर सरकार ने निश्चय कर लिया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या निश्चय किये गये हैं और उन निश्चयों को लागू करने के लिए अब तक क्या विशेष कार्यवाही की गई है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) विधि आयोग ने अब तक २१ रिपोर्टें प्रकाशित की हैं। १ से २० तक की रिपोर्टें प्रकाशित सभा पटल पर रख दी गई हैं।

(ख) और (ग). अब तक की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २१ ।]**

नीवेली में खनन-कार्य

†**९९१. श्री तंगामणि** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीवेली में खनन कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितना लिग्नाइट निकाला गया है ; और

(ग) क्या परीक्षणा के लिए कोई लिग्नाइट पूर्वी जर्मनी भेजा गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** :) (क) लिग्नाइट पटटी अनावरित हो गई है और नियंत्रित खुदाई उस तापीय विद्युत केन्द्र के चालू होने पर आरम्भ होगी। यह १९६२ की पहली तिमाही में चालू होगा।

(ख) और (ग). फिर भी खान से २,००० टन लिग्नाइट निकाल लिया गया है क्योंकि मद्रास सरकार, जो इसे पूर्वी जर्मनी भेजने की व्यवस्था कर रही है । वहां पर इस वाणिज्यिक आधार पर ऐसा उच्च तापीय लिग्नाइट कोयला बनाने की संभावना का अध्ययन करने के लिए परीक्षा की जायेगी , जो धमन भट्टियों में सेलम लोह-अयस्क को पिघलाने के लिए उपयुक्त हो।

नीवेली परियोजना

†**९९२. श्री तंगामणि** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीवेली में इस वर्ष प्रथम यूनिट —५० एम० डब्ल्यू० क्षमता का टरबाइन चालू हो जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो चालू होने की क्या तारीख है ; और

(ग) इस संयंत्र के लिए कितना लिग्नाइट उपलब्ध किया जायेगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क). और (ख). पहले ५० एम० डब्ल्यू० का पहिला यूनिट इस वर्ष चालू होने की योजना थी। परन्तु, अनियंत्रित कारणों से कुछ महत्वपूर्ण सामान जैसे स्विच गीयर और आवश्यक पुर्जों के रूस से आने में विलम्ब हो गया है । हो सकता है कि इस के परिणाम स्वरूप संयंत्र के चालू होने में लगभग दो मास का विलम्ब हो जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस यूनिट को लगभग २५,००० टन लिग्नाइट प्रति मास मिलेगा। २५० एम० डब्ल्यू० का तापीय संयंत्र को लगभग १५ लाख टन लिनाइट की प्रतिवर्ष आवश्यकता होगी ।

नीवेली में मिट्टी धोने का कारखाना

†९९३. **श्री तंगामणि :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीवेली में मिट्टी धोने के कारखाने का काम पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन कब आरम्भ होगा ;

(ग) वर्तमान क्षमता कितनी है ; और

(घ) प्रतिवर्ष उत्पादित मिट्टी का कितना मूल्य होगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) हां । आजकल कारखाने को, उसे चालू करने से पहले जांच के तौर पर चलाया जा रहा है ।

(ख) आशा है कि उत्पादन दिसम्बर, १९६१ में आरम्भ होगा।

(ग) ६००० टन धुली मिट्टी का प्रति वर्ष उत्पादन होगा।

(घ) सफेद मिटटी का प्रचलित मूल्य लगभग १५० रु० प्रति टन है । यदि यह भी मान लिया जाये कि नेवेली मिटटी का १०० रु० प्रति टन मूल्य मिल जायेगा । तो उत्पादित धुली मिट्टी का मूल्य लगभग ६ लाख रु० प्रति वर्ष होगा ।

उर्वरक संयंत्र, नीवेली

†९९४. **श्री तंगामणि :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नीवेली में उर्वरक संयंत्र का कार्य अनुसूची के अनुसार नहीं हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण थे, ;

(ग) इसे दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जाती है ; और

(घ) इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

†**इस्पात, खान और ईंथन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) से (घ). सीमेंट और इस्पात की प्राप्ति की कठिनाइयों के कारण उर्वरक संयंत्र की अनुसूची में कुछ गड़बड़ हो गई है । अब पर्याप्त सीमेंट प्राप्त करने का प्रबन्ध किया जा रहा है, और निर्माण कार्य तेज़ी से हो रहे हैं । जहां तक इस्पात का संबंध है, अपेक्षित मात्रा में इस्पात, का आयात करने का प्राधिकार दे दिया गया है, और निगम ने अपेक्षित वस्तुओं का संभरण करने के लिए टेन्डर मांग लिये हैं। टेन्डर देने की अन्तिम तारीख २२–११–१९६१ थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

निम्न श्रेणी के क्लर्कों के वेतन-क्रम

†९९५. **श्री बलराज मधोक :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री २४ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ७६७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने इस बीच उस नियम विरोध बात को दूर करने के बारे में कोई निश्चय कर लिया है जो १९५६ में निम्न श्रेणी के क्लर्कों के वेतन-क्रम के पुनरीक्षण के कारण वेतन निर्धारित करने में थी ;

(ख) यदि १ अप्रैल, १९५६ को वेतन का निर्धारण "प्वाइन्ट टू प्वाइन्ट" आधार पर होता है , तो भी नियम विरोधी बात विद्यमान रहेगी ; और

(ग) इसे अन्तिम रूप देने में कितना समय लगेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बातार) :** (क) सभी संबंधित बातों पर ध्यान पूर्वक विचार करने के बाद और गम्भीर व्यवहारिक कठिनाईयों को ध्यान में रखकर यह निश्चय किया गया है कि इस स्थिति में नये मामलों को पुन: आरम्भ न किया जाये ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली

९९६. **श्री बलराज मधोक :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जमिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली में किन-किन विषयों की पढ़ाई का प्रबन्ध है ;

(ख) इस समय वहां कितने छात्र और अध्यापक हैं ;

(ग) इस संस्था को सरकार की ओर से कितना वार्षिक अनुदान मिलता है ;

(घ) अब तक कितना अनावर्तक अनुदान दिया जा चुका है ;

(ङ) क्या सरकार उसे विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता देने पर विचार कर रही है ; और

(च) क्या अलीगढ़ के अनुभव से लाभ उठा कर सरकार इस संस्था का साम्प्रदायिक रूप बदले बिना इसे किसी प्रकार की मान्यता अथवा सहायता न देने पर विचार कर रही है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (च). विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या २२]**

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी के पाठ्यक्रम

†९९७. **श्री गोरे :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी के पाठय क्रम का निरीक्षण करने के लिये विचार है ताकि इसे विज्ञान में उपाधि के स्तर पर लाया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो यह परिवर्तन करने के लिए सरकार अन्तिम कार्यवाही कब करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) हां, श्रीमान। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी का पाठ्यक्रम बदलने का एक प्रस्ताव आजकल विचाराधीन है ताकि इसे विज्ञान में उपाधि के पाठ्यक्रम के समान बनाया जा सके ।

(ख) पुनरीक्षित प्रस्तावित पाठ्यक्रम पर प्रारम्भिक विचार हो रहा है । अभी यह नहीं बताया जा सकता है कि यह प्रस्ताव कब निश्चित होगा और कब कार्यान्वित होगा ।

प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक

†**९९८. श्री कुन्हन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को भविष्य निधि , पेंशन और बीमा के लाभ देने की कोई योजना बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) तथा (ख). योजना विचाराधीन है ।

सहायता प्राप्त स्कूलों में अध्यापकों आदि की सेवा की शर्तें

†**९९९. श्री कुन्हन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के सभी सहायता प्राप्त स्कूलों को एक परिचालित पत्र भेजा है जिस में परिवीक्षा काल में सहायता-प्राप्त स्कूलों में अध्यापकों आदि की सेवा की शर्तों का उल्लेख है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिचालित पत्र की प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) परिचालित-पत्र की प्रति सभा पटल पर रखी जाती है ।

परिचालित-पत्र

उपरोक्त विषय पर आपके दिनांक २० फरवरी, १९६१ के पत्र संख्या एम/३०७७ के प्रसंग में मुझे यह बताने का निदेश मिला है कि मामले पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया है और यह निश्चय किया गया है कि सहायता प्राप्त स्कूलों में परिवीक्षा काल में अध्यापकों आदि की सेवा समाप्त करने की शर्तों को, जिसे विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त हो, अब तक की भान्ति लागू रहना चाहिये ।

बबीना छावनी

†**१०००. डा० सुशीला नायर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बबीना गांव को बबीना छावनी में मिलाने के फलस्वरूप ग्रामवासियों पर कितने कर लगाये गये हैं और उनकी धन राशि क्या है ;

(ख) क्या सरकार को ग्रामवासियों या उन के प्रतिनिधियों से इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो ग्रामवासियों को सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) से (ग). अपेक्षित ब्यौरा बताने वाला एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २३]** ।

स्थगन प्रस्ताव

कांगो की परिस्थिति और संयुक्त राष्ट्र संघ की कमान में रहने वाली भारतीय सेना के लिये असुरक्षा

†**अध्यक्ष महोदय :** मेरे पास कुछ स्थगन-प्रस्ताव आये हैं । इनमें से कुछ कांगो से सम्बन्धित हैं । उन में कहा गया है कि एलिजाबेथविल में एक भारतीय मेजर के लापता होने और उसके साथ के एक गुरखा सैनिक के मारे जाने के समाचार के फलस्वरूप, कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ की कमान में काम करने वाली भारतीय सेनाओं के लिये एक गम्भीर असुरक्षा की परिस्थिति पैदा हो गई है ।

इस के सम्बन्ध में माननीय मंत्री के पास क्या सूचना है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : एलिज़ाबेथबिल में २८ नवम्बर, १९६१ की शाम को संयुक्त राष्ट्र के दो अमरीकी अधिकारी श्री उर्कुहार्ट और श्री आयरनस्मिथ जब एक मोटरकार में जा रहे थे, तब शोम्बे के सैनिकों ने उनको नीचे घसीट लिया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया । श्री आयरनस्मिथ को तो अमरीकी वाणिज्य दूतावास में ले जाया गया, परन्तु श्री उर्कुहार्ट को वे अपने साथ ले गये । यह सारा कांड सिनेटर डोड्ड की उपस्थिति में हुआ था । कंटगा के अधिकारियों को चेतावनी दे दी गई है कि यदि श्री उर्कुहार्ट को वापस न लौटाया गया, तो संयुक्तराष्ट्र कड़ी कार्यवाही करेगा । बाद में, कंटगा सरकार का तथाकथित वैदेशिक मंत्री आधी रात के समय श्री उर्कुहार्ट को अमरीकी वाणिज्य दूतावास में वापस ले आया । श्री उर्कुहार्ट काफ़ी जख्मी थे । मेजर अजित सिंह को तब तक उनकी वापसी का पता नहीं था, इसलिये वह श्री उर्कुहार्ट की तलाश में निकल गये । उनके साथ गुरखा राइफिल्स बटालियन का एक सैनिक भी था । दोनों जब ४ बजे सुबह तक नहीं लौटे, तब उनकी खोज शुरू हुई । उनके साथी नारायण बहादुर गुरंग की लाश २९ नवम्बर को एक झाड़ी में पड़ी मिली । लाश को देखने से पता चलता था कि उसे कार में से घसीट कर काफी पास से उस पर पीछे से गोली चलाई गई थी । यह समाचार ग़लत है कि उसके शरीर को विकृत बनाया गया था ।

कल दोपहर में राइफिलमैन नारायण बहादुर गुरंग का अन्तिम संस्कार पूरे सैनिक सम्मान के साथ किया गया था और उसके परिवार के लोगों को सूचना भेजी गई है ।

अभी तक मेजर अजित सिंह या उनकी जीप गाड़ी का कोई पता नहीं चला है । पर कुछ ऐसा लगता है कि शायद वह जीवित हैं और जरखरीद सैनिकों के हाथ में हैं ।

कटंगा-स्थित संयुक्त राष्ट्र कमान ने इसके विरुद्ध कड़ा विरोध-पत्र भेजा और मुनग्गी ने स्वयं उसकी तलाश करने का वचन दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि अभी तक हमारे ५०० सैनिक कांगो में जख्मी हो चुके हैं और वे अस्पताल में पड़े हैं। प्रतिरक्षा मंत्री ने बताया है कि हमारे ११ सैनिक अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। कांगो में रहने वाली हमारी सेना को विमानों द्वारा आरक्षित किया जाना चाहिये।

मेजर अजित सिंह की सरगर्मी से तलाश करने के लिये संयुक्त राष्ट्र से कहा जाना चाहिये। और, कांगो में काम आने वाले हमारे सैनिकों के परिवारों को यथाशीघ्र प्रतिकर दिया जाना चाहिये।

†**श्री कृष्ण मेनन** : इसका प्रथम भाग इस स्थगन प्रस्ताव से उत्पन्न नहीं होता। मैंने इस सम्बन्ध में सारे तथ्य सभा के सामने रख दिये हैं। संयुक्त राष्ट्र की कमान में जाने के बाद अलग से कोई भारतीय सेना नही रह जाती। दूसरी बात यह कि भारतीय सैनिकों के कमांडर ब्रिगेडियर राजा हैं। मैं यह भी बता दूं कि इस प्रकार के अभियानों में ऐसी वारदात होती ही हैं और उनके विरुद्ध कार्यवाही भी की जाती है। हमारी सेनाओं के लिये अलग से आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जा सकती, वे तो वहां किसी और के आरक्षण के लिये भेजी गई हैं। मेजर अजित सिंह की तलाश जारी है और उसके लिय उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी। सुरक्षा परिषद् ने हाल के अपने संकल्प के द्वारा महासचिव को सभी आवश्यक कार्यवाही करने की शक्ति प्रदान कर दी है।

†**श्री रंगा** (तेनालि) : हमने जब अपनी सेना वहां भेजी थी, तब उसे युद्ध करने के लिये नहीं भेजा गया था। हमारी सेना वहां शान्ति का संदेश ले कर गई है। गृह-युद्ध में हाथ बंटाने नहीं। इसलिये अब हमें इस सम्बन्ध में निर्णय करना चाहिये और एक समय-सीमा निर्धारित कर देनी चाहिये। उस गृह-युद्ध से अपनी सेना को बाहर खींचने की।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : पता नहीं माननीय सदस्य के दिमाग़ में यह विचार कैसे आया कि हमने कटंगा में अपनी सेनायें सैनिक कार्यवाही के लिये नहीं भेजी हैं। ऐसा कोई भी आश्वासन न तो दिया गया था, और न दिया ही जा सकता है। जाहिर है कि उनको एक कठिन परिस्थिति में काम करने के लिये भेजा गया था, और उसे यदि संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्णय हो, तो हिंसा पूर्ण सैनिक कार्यवाही के लिये भी प्रयुक्त किया जा सकता है। यह तभी स्पष्ट था।

†**श्री रंगा** : क्या यह आश्वासन नहीं दिया गया था कि हमारे सेना को गृह-युद्ध के प्रयोजन में नहीं लगाया जायेगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं तो उसे गृह-युद्ध की परिस्थिति मानता ही नहीं।

वहां तो संयुक्त राष्ट्र संघ के विरुद्ध जंग छेड़ी गई है। कुछ लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ख़िलाफ़ बगावत करदी है, और संयुक्त राष्ट्र संघ की कमान में रहने वाली सेनायें उसके विरुद्ध कार्यवाही कर रही हैं। अभी कुछ पहले तक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी किये गये अनुदेशों में कुछ अस्पष्टता थी, अब वह नहीं रही है। जाहिर है कि जंग शुरू होने पर ऐसा सवाल पूछना बेमतलब होता है कि सैनिकों का बचाव क्यों नहीं किया जा रहा है। सैनिकों को खुद ही दूसरों का और साथ ही अपना भी बचाव करना होता है। सेना के बचाव के लिये पुलिस भी नहीं भेजी जाती।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ :** मेरा मतलब था कि संयुक्त राष्ट्र की कमान में चलने वाली सेना का विमानों द्वारा बचाव करना। प्रतिरक्षा मंत्री ने उसकी ग़लत व्याख्या की थी और आप उनकी सफाई सी दे र हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** अखबारों में हम रोज़ पढ़ते हैं कि कांगो में जंग की हालत है, वह भी मामूली जंग की नहीं। शोम्बे और कांगो की सेना में कुछ ऐसे लोग हैं जो जंग के आम कायदों के भी खिलाफ़ चलते हैं, उनकी परवाह तक नहीं करते। सभ्य संसार ने जंग के जो कवायद तय किये हैं, उसको वे धता बताते चलते हैं। वैसे जंग खुद ही बदकिस्मती से होती है और ऐसी वारदात जंग में होती ही हैं। इस बार एक व्यक्ति लापता हैं और दूसरे को मार डाला गया है। लेकिन जंग में ऐसा होता ही है और हमें उसके खिलाफ़ कार्यवाही करनी पड़ती है। ब्रिगेडियर राजा ने श्री उर्कुहार्ट की वापसी के लिये ४० मिनट का नोटिस दे दिया था, और उसे ४० मिनट में लौटा भी दिया गया था। शोम्बे सरकार का वैदेशिक मंत्री स्वयं ही मेजर अजित सिंह की तलाश में गया था। हम इस सिलसिले में संयुक्त राष्ट्र संघ पर वाजिब कदम उठाने के लिये जोर देने के इलावा और कर ही क्या सकते हैं ?

माननीय सदस्य का सुझाव है कि चूंकि मेजर अजित सिंह का पता नहीं चला और एक व्यक्ति को जान से हाथ धोना पड़ा है, इसलिये अपनी फौजों को वापस बुला लिया जाये। अजीबसा सुझाव है। और, उन्होने ही एक दूसरे मामले में सुझाव दिया है कि हमला बोल दिया जाये। मतलब यह कि जहां भी सैनिक मरने लगें, अपनी फौजें वापस बुला लो।

†**श्री तंगामणि :** (मदुरै) : प्रतिरक्षा मंत्री ने जो बताया है, वह समाचारपत्रों के समाचारों से कुछ भिन्न है। समाचारपत्रों में कहा गया था कि एक ड्राइवर मारा गया है, परन्तु प्रतिरक्षा मंत्री के वक्तव्य के अनुसार पहले एक गुरखा सैनिक घायल हुआ था, उसके बाद उसे तलाश करने वाले लोगों में से एक मारा गया था। हम जानना चाहते हैं कि ठीक-ठीक घटना-क्रम क्या था।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैंने आपको वही सारा ब्यौरा बता दिया है, जो हमें सीधा कांगो से भेजा गया था। एक अमरीकी .....

†**श्री हेम बरुआ :** अम ीकी नहीं, इटालवी ....

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** वह कोई महत्व नहीं रखता ; अमरीकी हो, या इटालवी। श्री उर्कुहार्ट, अम ीकी सिनेटर डोडु और अन्य लोग वहां उपस्थित थे। उस दल के लोगों में से श्री उकुहार्ट और अन्य लोग आधे घण्टे में अन्य किसी पार्टी में जा रहे थे। रास्ते में श्री उर्कुहार्ट को श्री डोडु और अन्य लोगों के देखते-देखते घसीट लिया गया था। उसके बाद सयुक्त राष्ट्र के कमांडर—शायद ब्रिगेडियर राजा—ने चुनौती दे दी थी कि कटंगा अधिकारी उनको ४० मिनट के अन्दर-अन्दर वापस कर दें।

उतने अर्से में उनको वापस कर दिया गया था, पर उसका पता न होने के कारण, मेजर अजित सिंह एक गुरखा ड्राइवर को लेकर श्री उर्कुहार्ट की तलाश में निकल पड़े थे। बाद में उनका पता नहीं चला। ड्राइवर की एक झाड़ी में लाश मिली थी। लगता है कि उसे बहुत पास से गोली मा ी गई थी। मेजर अजित सिंह का अभी तक पता नहीं चला है। कुछ ऐसा समाचार अवश्य आया है कि उनको कटंगा वालों ने रोक रखा है। हमें इतने ही तथ्य मालूम हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी :** (कानपुर) : समाचार पत्रों के अनुसार तो गुरखा ड्राइवर की लाश श्री शोम्बे के एलिजाबेथविल स्थित निवास के बाहर पड़ी पाई गई थी। उसके कई चोटें लगी थीं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोज़ाबाद): सरकार को कल या परसों जो भी सूचना मिले वह सभा के सामने रख दी जाये।

†**श्री नाथ पाई :** (राजापुर) : मैं प्रधान मंत्री के कथन का समर्थन करता हूं कि हम वहां लड़ने गये हैं खिलवाड़ करने नहीं। ठीक है, लेकिन हमें शिकायत ो यह है कि वे लड़ नहीं रहे हैं, बस घेर कर मारे जा रहे हैं। लड़ते हुये मरें, तो हमें कोई शिकायत नहीं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं माननीय सदस्य की बात बिलकुल मानता हूं। हम कतई नहीं चाहते कि हमारे सैनिकों को घेर कर मारा जाये। संयुक्तराष्ट्र संघ के अधिका ी भी नहीं चाहते, बिलकुल नहीं चाहते। लेकिन हालत ऐसी ही है। हो सकता है कि माननीय सदस्यों का यह कथन ठीक हो कि पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसमें कोई खास मुस्तैदी से काम नहीं लिया है। इसलिये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रधान कार्यालय——न्यूयार्क——वगैरह से जो आदेश मिले वे कुछ पेचीदा किस्म के थे। परन्तु अब सुरक्षा परिषद् के संकल्प ने उसे स्पष्ट कर दिया है।

गुरखा ड्राइवर की लाश एक झाड़ी में मिली थी। मैं यह भी बता दूं कि अम ीकी वाणिज्य दूतावास में लोगों ने उस परचलाई जाने वाली गोलियों की आवाज़ तक सुनी थी, देखी तो नहीं थी। उनका ख्याल था कि उन्हीं गोलियों से ड्राइवर की मृत्यु हुई और बाद में उसे किसी चीज़ से लपेट कर एक झाड़ी में रख दिया गया था। जहां तक मुझे मालूम है वहां श्री शोम्बे नहीं थे, हां उसका एक मंत्री, श्री मुनन्गो वहां था : वही श्री उर्कुहार्ट को वापस ले कर आया था, जिसकी तलाश में मेजर अजित सिंह निकले थे।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस वक्तव्य के बाद, इसकी चर्चा के लिये सभा को स्थगित करना आवश्यक नहीं है। श्री ब्रज राज सिंह के सुझाव पर मैं विचार करूंगा।

गोआ सीमा पर पुर्तगाली सेना का कथित जमाव

†**अध्यक्ष महोदय :** गोआ के सम्बन्ध में तीन स्थगन प्रस्ताव आये हैं। उनमें गोआ-सीमा पर पुर्तगाली सेना के जमाव का उल्लेख है। पहले प्रस्ताव में कहा गया है कि गोआ की सीमा पर २,५०० पुर्तगाली सैनिकों, मज़ाली सीमा पर ७५० पुर्तगाली सैनिकों, कारबार के पास एक नौसैनिक बेड़े और पंजिम में एक हवाई बेड़े का जमाव है। यह समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है। क्या माननीय सदस्य को इसके अलावा कुछ और भी कहना है ?

†**श्री नाथ पाई।** आकाशवाणी से भी आज सुबह ऐसा ही एक समाचार प्रसारित किया गया है। वह तो सरकारी अभिकरण है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को कुछ और सूचना मिली है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** आकाशवाणी के समाचार जरूरी तौर पर सरकारी नहीं होते। उसके अपने संवाददाता हैं, जो समाचार-पत्र-अभिकरणों से समाचार संग्रह करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : आकाशवाणी सरकारी उपक्रम है । उसके स्रोत ठीक होते हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : निजी या सरकारी उपक्रम का प्रश्न नहीं है । आकाशवाणी के सम्वाददाता सामान्यतया प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया, रायटर, वगैरह प्रेस-अभिकरणों पर निर्भर करते हैं। कुछ विशेष पर ही वे भारत सरकार के अभिकरण द्वारा समाचार लेते हैं ।

यह मैं ने इसीलिये कहा कि कोई आशंका न रहे।

ये सभी प्रश्न गोआ में पुर्तगालियों की कार्यवाही के बारे में हैं । हमारी सूचना यह है कि पुर्तगालियों ने अपनी फौजें बढ़ाई हैं, विमान और फौजी हथियार भी बढ़ाये हैं। मैं उनकी ठीक-ठीक संख्या तो नहीं बतला सकता । इतनी सूचना है कि उन्होंने अपनी स्थिति वहां मजबूत की है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री के वक्तव्य के बाद, पुर्तगालियों ने फौजी तैयारियां बढ़ा दी हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं ठीक-ठीक तारीख तो नहीं बता सकता कि कब से। लेकिन हां मेरे वक्तव्य का कुछ असर तो पड़ सकता है ।

†**श्री गोरे** (पूना) : ऐसी परिस्थिति में हम गोआ की जनता को यह विश्वास दिलाने के लिये क्या कर रहे हैं कि उसे शीघ्र ही मुक्त किया जायेगा ?

†**श्री नाथ पाई** : हम यह जानना चाहते हैं कि पुर्तगाली सैनिकों का कितना जमाव है । स्थगन प्रस्तावों में यही पूछा गया है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं बिलकुल ठीक-ठीक सूचना तो नहीं दे सकता । हां, मोटे तौर पर यह कह सकता हूं कि सीमा पर और अन्दर भी पुर्तगाली सनिक सेनायें बढ़ाई गई हैं। मैं श्री गोरे को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम परिस्थिति की ओर से पूर्णतया सतर्क हैं और उस के लिये उपयुक्त कार्यवाही करेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस वक्तव्य के बाद, इन स्थगन-प्रस्तावों पर चर्चा की आवश्यकता नहीं रह जाती ।

पुर्तगालियों की यातना से गोआ के एक देशभक्त की हवालात में कथित मृत्यु

†**अध्यक्ष महोदय** : एक दूसरा स्थगन-प्रस्ताव गोआ के एक देश भक्त श्री मार्क फर्नेन्डस् की पुर्तगालियों की यातना से हवालात में कथित मृत्यु और एक गोआ-सत्याग्रही के लापता होने के संबंध में है।

क्या प्रधान मंत्री को इसके संबंध में कोई सूचना है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : खेद है, कि समाचारपत्रों के समाचारों के अतिरिक्त, हमें इस संबंध में और कोई जानकारी नहीं है । इसी आशय का एक तार भी मुझे मिला है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : समाचारपत्रों में आया है कि इसकी सूचना का एक तार गोआ राजनीतिक कन्वेन्शन के मंत्री, श्री जोर्ज वाज़ ने प्रधानमंत्री को भेजा था । क्या उसके बाद भी कोई सूचना मिली है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**राजा महेन्द्र प्रताप** (मथुरा) : मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर नहीं दिया गया है । मैं सभा से जाता हूं ।

इसके पश्चात् राजा महेन्द्र प्रताप ने सभा-त्याग किया ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरे पास उस तार के अतिरिक्त और कोई सूचना नहीं है । तार में वही है जो समाचारपत्रों में आ चुका है । श्री जार्ज वाज़ ने मुझे बम्बई से एक तार भेजा था । उस में कहा गया था कि सत्याग्रही श्री मार्क फर्नेन्डस् को १९५४ में गोआ में गिरफ्तार किया गया था और वह चार वर्ष बाद रिहा होकर भारत लौट आये थे। इस महीने की १३ तारीख को उन्होंने, गोआ के गवर्नर-जनरल के आश्वासन पर, अपने बीमार पिता को देखने के लिये मज़ाली होकर गोआ में प्रवेश किया था । फर्नेन्डस् अपने पिता तक नहीं पहुंच सके । उनको पुर्तगाली चौकी पोलेम पर आखिरी बार देखा गया था । अब सूचना है कि उन को सूचना प्राप्त करने के लिये यातनायें दे कर पंजिम की हवालात में मार डाला गया है । फर्नेन्ड्स के पिता की हालत गम्भीर है, जब से उन्होंने अपने पुत्र की यातनाओं से मृत्यु का समाचार सुना है । हस्तक्षेप का अनुरोध है। इसी प्रकार वसन्त मंजरेकर ने १५ तारीख को गोआ की सीमा पार की थी । अब तक उनका कोई पता नहीं है ।

मैं नहीं कह सकता कि बात कितनी सही है । लेकिन पुर्तगालियों के बर्ताव को देखते हुए, ठीक ही मालूम पड़ती है ।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं ने कुछ दिन पहले एक लेख पढा था कि पुर्तगाली अधिकारी गोआ की जेलों में भारतीय बन्दियों को बड़ी यातनायें दे रहे हैं । इस में कितनी सत्यता है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं ने वह लेख नहीं देखा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी सूचना अन्य स्रोतों से भी मिली है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : पुर्तगाल के लिये हमारा अधिकृत प्रतिनिधित्व संयुक्त अरब गणराज्य ही करता है । कभी-कभी किसी को भेज कर वह जांच भी करा लेते हैं। वे हमें अधिकृत समाचार भेजते हैं। पता नहीं वह लेख कहां प्रकाशित हुआ था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सरकार ने पर्याप्त सूचना जुटा दी है । उसके पास इतनी ही सूचना थी । अब सरकार और अधिक सूचना प्राप्त करने की कोशिश करेगी ।

उड़ीसा में भारत के गलत नक्शों का प्रकाशन, जिन में काश्मीर को पाकिस्तान का भाग दिखाया गया

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे स्थगन प्रस्ताव की एक सूचना प्राप्त हुई है जिस में कहा गया है कि उड़ीसा में भारत के गलत नक्शे छापे गये हैं, जिन में काश्मीर को पाकिस्तान का एक हिस्सा दिखाया गया है और जिन्हें छात्रों को पढ़ाने के काम में लाया जाता है ।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : हमने इस संबंध में उड़ीसा राज्य की सरकार से पूछ ताछ की थी उस ने हमें बताया है कि वह एटलस बरहामपुर गंजाम से किसी दास

†मूल अंग्रेजी में

ब्रदर्स ने छापा था और विभिन्न राज्यों के क्षेत्र को रंग में दिखाने में हुई गलती जो जान बूझ कर नहीं की गयी थी, के फलस्वरूप यह गड़बड़ी हुई है । वहां के राज्य सरकार ने कहा है कि प्रकाशकों ने इस गलती के लिये खेद व्यक्त किया है और एटलस की जो प्रतियां काम में लायी जा रही थीं उन्हें वापस लेने के लिये वे कदम उठा चुके हैं । राज्य सरकार के कथन अनुसार इस दौरान उन्होंने एक नई एटलस प्रकाशित किया है और इन परिस्थितियों में राज्य सरकार इस संबंध में अग्रेतर कार्यवाही नहीं करना चाहती ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री के वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए स्थगन प्रस्ताव के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

फरक्का बांध को बनाने में कथित विलम्ब

†**अध्यक्ष महोदय** : वक्तव्य को पटल पर रखा जाये ।

†**सिचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: मैं वक्तव्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २४]**

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

प्रादेशिक परिषद् (संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श) नियम, १९६० और अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) प्रादेशिक परिषद् अधिनियम, १९५६ की धारा ५४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १९ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२५२ में प्रकाशित प्रादेशिक परिषद् (संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श) नियम, १९६० की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २४८५/६१]

(२) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २ सितम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १०६६ ।

(ख) दिनांक ९ सितम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १०९१ ।

(ग) दिनांक ७ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२३३ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—३३६६/६१]

(३) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १४ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२४४ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) दिनांक १४ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२४६ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—३३६७/६१]

(४) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १६ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११२५ में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवायें (यात्रा भत्ते) संशोधन नियम, १९६१ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—३३६८/६१]

(ख) दिनांक २१ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२७४ में प्रकाशित भारतीय असैनिक सेवा भविष्य निधि संशोधन नियम, १९६१ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—३३६९/६१]

(५) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत सेक्रेटरी आफ स्टेट्स सेवायें (सामान्य भविष्य निधि) नियम, १९४३ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २१ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२७५ ।

(ख) दिनांक २१ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२७६ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—३३७०/६१]

(६) अन्तर्राज्य निगम अधिनियम, १९५७ की धारा ४ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत दिनांक ७ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२३५ में प्रकाशित होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली बोर्ड, बम्बई (पुनः रचना और पुनर्गठन) आदेश, १९६१ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—३३७१/६१]

प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत पत्र

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाईशाह)** : मैं प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक -एक प्रति पटल पर रखता हूं :—

(१) कास्टिक सोडा उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६१)

(२) दिनांक २४ नवम्बर, १९६१ का सरकारी संकल्प संख्या ३२ (२)—टी आर/६१

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—३३७२/६१]

(३) सोडा एश उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६१) ।

(४) दिनांक २७ नवम्बर, १९६१ का सरकारी संकल्प संख्या ३२(१)—टी आर/६१

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—३३७३/६१]

†मूल अंग्रेजी में

(५) केल्शियम कारबाइड उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६१)

(६) दिनांक २७ नवम्बर, १९६१ का सरकारी संकल्प संख्या ३७(१)—टी आर/६१

(७) इस बात का कारण बताने वाला विवरण कि उपरोक्त (पांच) और (छै) में उल्लिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति उक्त उप-धारा के अन्तर्गत निर्धारित समय के अन्दर क्यों टेबल पर नहीं रखी जा सकी ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—३३७४/६१]

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम तथा केन्द्रीय उत्पादक तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं निम्न पत्र पटल पर रखता हूं :

समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १४ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२५२ ।

(ख) दिनांक १४ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२५३ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—३३७५/६१]

समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की उपधारा ३८ के अन्तर्गत सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १४ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२५७ ।

(ख) दिनांक ४ नवम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १३२७ ।

(ग) दिनांक १८ नवम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १३६७ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—३३७६/६१]

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १२ सितम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ११२३ ।

(ख) दिनांक २३ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११५० में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (दसवां संशोधन) नियम, १९६१ ।

(ग) दिनांक १४ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२५८ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (बारहवां संशोधन) नियम, १९६१ ।

(घ) दिनांक १ नवम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १३१९ ।

(ङ) दिनांक ४ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३२८ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (ग्यारहवां संशोधन) नियम, १९६१ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिय संख्या एल टी—३३७७/६१]

---

†मूल अंग्रेजी में

सदस्य की दोष सिद्धि

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे एक घोषणा करनी है। मुझे सदन को बतना है कि मुझे त्रिवेन्द्रम-सब-मजिस्ट्रेट से दिनांक २९ नवम्बर, १९६१ का निम्न तार मिला है :

"श्री म० कु० कुमारन सदस्य लोक सभा की दोष सिद्धि की गई और उन्हें कुल मिला कर तीन सप्ताह की साधारण कैद की सजा दी गई। उन्हें त्रिवेन्द्रम की सेन्ट्रल जेल में रखा गया है। पत्र भेजा गया है।"

प्रत्यर्पण विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा) : मैं भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण सम्बन्धी अधिनियम का समेकित तथा संशोधन करने वाले विधेयक के सम्बन्ध में संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता हूं।

संविधान (ग्यारहवां संशोधन) विधेयक

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक का पुर : स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : हमें बताया गया है कि सदन निश्चित तिथि से पहले स्थगित हो जायेगा, क्योंकि विधेयक कम है। किन्तु हम देख रहे हैं कि बहुत से विधेयक पुरःस्थापित किये जा रहे हैं।

†**श्री मनुभाईशाह** : यह विधेयक ३१ दिसम्बर से पहले पारित किया जाना है, क्योंकि बहुत से उद्यागों से संरक्षण हटाया जाना है या कुछ नये उद्यागों को संरक्षण दिया जाना है। इसी-लिये हमने संसद्-कार्य मंत्री से प्रार्थना की थी कि इस विधेयक के पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

संघ लोक सेवा आयोग के दसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सदन श्री दातार द्वारा २९ नवम्बर, १९६१ को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगा, अर्थात्

"कि यह सभा १ अप्रैल, १९५९ से ३१ मार्च, १९६० की अवधि के लिये संघ लोक सेवा आयोग के दसवें प्रतिवेदन पर, उस पर सरकारी ज्ञापन सहित जो २१ दिसम्बर, १९६० को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

श्री मुनिस्वामी अपना भाषण जारी रखेंगे ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वेल्लोर) : मैं संघ लोक सेवा आयोग को उसके अच्छे काम पर बधाई देता हूं ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

आयोग के काम की जांच के लिए एक उच्च-शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त करने के बजाय, यह अधिक अच्छा होगा यदि इस काम के लिए संसद् सदस्यों की एक छोटी-सी समिति नियुक्त की जाये ।

प्रतिवेदन से प्रकट होता है कि आयोग का अध्यक्ष उम्मीदवार चुनने के लिए विश्व के विभिन्न भागों में जाता है । क्या ३० या ३५ उम्मीदवार चुनने के लिए उन का दुनिया भर का चक्कर लगाना आवश्यक है और क्या इस पर जो खर्च आता है, वह उचित है ? यह अधिक अच्छा होगा यदि विदेशों से प्रार्थना पत्र मंगवाये जायें, उनकी छानबीन यहीं की जाये । उनकी उपयुक्तता का अन्दाज़ा राजदूतावासों की सिफ़ारिशों से किया जा सकता है ।

'इन्टरव्यू' के दौरान उम्मीदवारों से कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका उससे विशेष सम्बन्ध नहीं होता । सरकार को यह देखना चाहिए कि क्या आयोग ऐसे इन्टरव्यू का रिकार्ड नहीं रख सकता ।

प्रविधिक तथा इंजीनियरिंग कर्मचारियों की भर्ती के लिए पहले से एक योजना होनी चाहिए । वर्तमान गवेषणा संस्थाओं को विकसित करना चाहिए और वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरिंग विशेषज्ञों का एक संग्रह होना चाहिए जिसमें से व्यक्ति ले कर व्यक्तियों को भरा जा सकता है ।

ऐसे कुछ उदाहरण हैं जबकि आयोग द्वारा चुने गये लोगों को काफी समय तक नियुक्त नहीं किया गया । इस प्रकार के विलम्ब से लोगों को बहुत निराशा होती है और यह बात प्रशासन के लिए श्रेयस्कर नहीं है । नियुक्ति के आदेश चुनाव करने के तुरन्त बाद जारी किये जाने चाहिएं ।

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सचिवालय और लोक-सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय जैसे कई विभाग आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर रखे गये हैं । इन विभागों को दी गई

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री न० रा० मनिस्वामी]

छूट उचित ही है। किन्तु आयोग के अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता जो कि उसके लिये एक संविहित दायित्व है। आयोग को अपनी पर्यवेक्षण सम्बन्धी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि जो भर्तियां की गई हैं वे इन विभागों के अपने नियमों के अनुसार की गई है और इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं है।

जहां तक पदाधिकारियों का दंड देने का सम्बन्ध है, सरकार को आयोग के निर्णयों पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए। साथ ही उसे ऐसे मामलों में मानवीय दृष्टिकोण से कार्यवाही करनी चाहिए।

विभिन्न प्रकार के आयोग बनाने की बजाये, उसे विभिन्न श्रेणियों में बांट देना चाहिए, जैसे एक संघ सेवाओं के लिये, दूसरा वैज्ञानिक सेवाओं के लिए, तीसरा वाणिज्यिक सेवाओं आदि के लिए। इससे आयोग के सदस्य ऐसे व्यक्ति रहेंगे जिन्हें विशिष्ट विषयों का अधिक ज्ञान प्राप्त है।

†**श्री बलराज मधोक** (नई दिल्ली) : आयोग का गठन सेवाओं की कार्य-दक्षता और निष्ठा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। तब भी कुछ ऐसे मामले हुए हैं जिन में सरकार ने राजनीतिक विचारों से प्रभावित होकर आयोग की सिफ़ारिशें रद्द कर दी हैं। इसका उदाहरण दिल्ली निगम के लिए वरिष्ठ कानूनी सलाहकर की नियुक्ति का मामला है। आयोग ने एक व्यक्ति चुना किन्तु सत्तारूढ़ दल ने उसे नियुक्त करने से इन्कार कर दिया था क्योंकि उस के राजनीतिक विचार उस दल के अनुकूल नहीं थे।

आयोग की सिफ़ारिशें सरकार को अवश्य माननी चाहिएं। सरकार द्वारा नियुक्तियां अनियमित रूप से नहीं होनी चाहिएं।

उच्च पदालियों के लिये अधिकारियों को चुनते समय उन अनुभवी व्यक्तियों को ध्यान में रखना चाहिए जो केन्द्रीय सचिवालय में कार्य कर रहे हैं। उन्हें सचिवालय से बाहर जाने के अवसर दिये जाने चाहियें। **चतुर्थ श्रेणी के योग्यता प्राप्त कर्मचारियों को आयोग की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देनी चाहिए।**

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी अपेक्षित योग्यता रखते हों उन्हें आयोग द्वारा ली जाने वाली लिपिकों की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए। मैंने यह भी देखा है कि राज्यों के अधिकारियों को पदोन्नति देकर अखिल भारतीय सेवाओं की पदाली में नियुक्त करने के मामले राजनीतिक विचारों से प्रभावित होते हैं। मेरा विचार यह है कि आयोग का कार्य क्योंकि दिन प्रति दिन बढ़ रहा है, इसलिए प्राविधिक और वैज्ञानिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए उसके विशेष बोर्डों का होना अच्छा रहेगा।

मैं इस बात पर भी बल देना चाहता हूं कि अखिल भारतीय सेवा और सचिवालय सेवा के कर्मचारियों का परस्पर विनिमय अधिक होना चाहिए। मैं महसूस करता हूं कि सेवाओं के लिए इन दोनों का अनुभव बड़ा ही आवश्यक है। इसके साथ ही सेना के अधिकारियों को ऐसे पदों पर नहीं रखा जाना चाहिए जो सचिवालय की तरह के हों। इन पदों के लिए सचिवालय के कर्मचारियों का रखा जाना अधिक लाभदायक रहेगा। सचिवालय सेवा में कुछ सैनिक अधिकारी हों तो उन्हें सक्रिय सेवा में ले लिया जाना चाहिए।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर): मेरे विचार में सदन के सभी सदस्य आयोग को आदर की दृष्टि से देखते हैं। आयोग ने अपनी सेवाओं के बावजूद अच्छा कार्य किया है। मेरा यह भी मत है कि संघ लोक सेवा आयोग देश की नव-आकांक्षाओं से नितान्त अनभिज्ञ है। इस निकाय के

---

†मूल अंग्रेजी में

सदस्य उसी तरह के हैं जो स्वाधीनता-पूर्व काल में होते थे। अब समय आ गया है कि उसके गठन में क्रान्तिकारी परिवर्तन किया जाये अन्यथा आयोग सौंपे गये कार्यों को सही ढंग से न कर सकेगा।

आज हम परीक्षा की मूल धारणा में ही परिवर्तन कर रहे हैं। क्या आयोग ने इस विकास क्रम की जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ किया है ? यह एक आम शिकायत है कि परीक्षायें समय पर नहीं होतीं। प्रतिवेदन में उम्मीदवारों द्वारा अपनाई जाने वाली अनुचित प्रथाओं की ओर ध्यान दिलाया है। यह बड़ा गम्भीर विषय है और इसकी जांच की जानी चाहिए। इसके साथ ही अनुसूचित जातियों को बढ़ावा देने वाली बात भी काफी महत्वपूर्ण है। अतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जाति उम्मीदवरों के चयन के कार्यक्रम को बढ़ावा देना चाहिए ताकि उन्हें कुछ प्रोत्साहन दिया जा सके।

इस दिशा में मैं एक अन्य मामले की ओर भी सभा का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं। वह यह कि कभी कभी लोक सेवा आयोग विज्ञापन का मसौदा इस ढंग से तैयार करता है कि वे उन व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक होते हैं जिन्हें विभाग नियुक्त करना चाहता है और पद के लिए योग्य व्यक्तियों की उपेक्षा की जाती है। विभिन्न नौकरियों के लिए स्टैन्डर्ड विज्ञापन होने चाहिएं ताकि इस दिशा में शिकायत का कोई अवसर न रहे। मैं यह भी चाहता हूं कि मंत्री महोदय द्वारा यह बताया जाय कि अनुशासन के मामलों के बारे में कार्यवाही करने के लिये आयोग ने क्या व्यवस्था की है।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

क्या इस प्रकार के मामले विशेषज्ञों के पास जाते हैं अथवा वही सामान्य लोग अथवा सदस्य ही इस दिशा में भी निर्णय दे देते हैं। यह वे बातें हैं जो कि मैं इस बारे में सदन में कहना चाहता था।

†**श्री अजराज सिंह** : सभापति महोदय, संविधान की धारा ३१६ में लिखा है :

"लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, यदि वह संघ आयोग अथवा संयुक्त आयोग है तो, राष्ट्रपति द्वारा तथा, यदि वह राज्य आयोग है तो, राज्य के राज्यपाल द्वारा की जायेगी ;

परन्तु प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से यथा शक्य निकटतम आधे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी अपनी नियुक्तियों की तारीख पर भारत सरकार अथवा किसी राज्य की सरकार के आधीन कम से कम दस वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं . . . ."

अच्छा यह होगा कि भविष्य में, चूंकि यह व्यवस्था कांस्टिट्यूशन के अन्तर्गत है, यह भी बतलाया जाय कि इसमें कितने फी सदी लोग ऐसे हैं जो सर्विसेज से आये हैं और कितने प्रतिशत ऐसे हैं जो कि बाहर से आये हैं। इसे लक्षित करने से मेरी मंशा यह है कि अब समय आ गया है जब हमें संविधान की इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करना चाहिये। आखिर संविधान की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत संसद् ने एक नीति वक्तव्य पास किया और वह नीति वक्तव्य ऐसा है जिस में राजनीतिक दलबन्दी का कोई सम्बन्ध नहीं है। वह वक्तव्य यह है कि हिन्दुस्तान में हम समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं, हिन्दुस्तान में हम इस तरह का समाज बनाना चाहते हैं जो कि सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसायटी होगा, जो समाजवाद की तरफ देश को ले जायेगा। जो भी हिन्दुस्तान की संसद् का निश्चय है,

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब्रजराज सिंह]

हिन्दुस्तान के संविधान की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत उस निश्चय को पूरा करने में अगर कोई सब से ज्यादा सहायक हो सकता है तो वह हिन्दुस्तान की सर्विसेज हो सकती है और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिये लोगों को भरती करने वाला जो कमिशन है, लोक सेवा आयोग है, यदि उसके सामने यह दृष्टिकोण या लक्ष्य नहीं रहा तो मैं समझता हूं कि उस लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकता, उस उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सकता ।

मेरा किसी पर कोई लांछन नहीं है, लेकिन सरकार के ऊपर यह लांछन जरूर है कि जो निश्चय संसद् ने किया है, जो उद्देश्य हम ने सामने रखा है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है । जब तक हम इस लक्ष्य को सामने रख कर काम नहीं करेंगे कि हम देखें कि जिन लोगों को हम ने नियुक्तियां दी हुई हैं सर्विसेज में से उन का दृष्टिकोण समाजवादी बन चुका है या नहीं, तब तक समाजवाद को देश में लाने का प्रश्न उठता ही नहीं । और इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि अब संविधान की व्यवस्थाओं पर पुनर्विचार करने की जरूरत है जिस में लिखा हुआ है कि सदस्यों में से आधे लोग सर्विसेज से चले आयेंगे । मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है जब कि हमें इस निश्चय को बदलना चाहिये । हमें देखना चाहिये कि यदि हमें ५० प्रतिशत लोग सर्विसेज से इस तरह के नहीं मिल सकते जिन का दृष्टिकोण समाजवादी बन चुका हो, जिन्होंने अपना उद्देश्य समाजवादी समाज का बना लिया हो, तो हम अपने संविधान में इस तरह का परिवर्तन करें कि हम इस कमिशन के लिये १०० प्रतिशत लोग बाहर से ले सकते हैं ।

आखिर इस कमिशन का उद्देश्य क्या है ? इसका उद्देश्य यह है कि हमारी सर्विसेज में अच्छे लोगों की भरती हो, निष्पक्ष लोगों की भरती हो, जो कि हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य की पूर्ति करने में सहायक हो सकें । मैं यहां यह पूछना चाहता हूं कि जो पिछले १३ या १४ साल हिन्दुस्तान में अपने राज्य के थे, उस में संसद ने जो नीति वक्तव्य पास किया था, जो लक्ष्य संसद् ने निर्धारित किया था, उस को पूरा करने में पब्लिक सर्विस कमिशन कहां तक सहायक हुआ है ? उस का इस तरह का दृष्टिकोण बन चुका है या नहीं जो कि इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो ? अब समय आ गया है जब कि हमें इस पर पुनर्विचार करना चाहिये और संविधान में संशोधन करने का प्रयत्न करना चाहिये जिस के अनुसार वही लोग कमिशन के चेअरमैन और सदस्य की हैसियत से बैठ सकेंगे जिन का लक्ष्य समाजवादी समाज की स्थापना का बन चुका है । हमें इस सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण समाजवादी बनाना होगा और अगर आवश्यकता हो तो इस तरह के १०० फी सदी आदमी कमिशन में बाहर से लिये जा सकते हैं ।

एक माननीय सदस्य : इसकी जांच कैसे हो ?

श्री ब्रजराज सिंह : जांच सम्भव है । हमारे संविधान में जो यह बात लिखी हुई है कि कम से कम आधे लोग ऐसे होंगे जो सर्विसेज से आयेंगे, मैं समझता हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने सम्भवतः आई० सी० एस० लोगों के दबाव में आकर इस तरह की व्यवस्था की, और इस में अचम्भे की कोई बात नहीं है । जो हिन्दुस्तान की सर्विसेज के लोग हैं वह चाहते हैं कि पुराना स्टील फ्रेम बना रहे, उस स्टील फ्रेम में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये । चाहे हमारे श्री दातार होम मिनिस्टर हों या कोई दूसरा होम मिनिस्टर हो, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जब तक हम इस स्टील फ्रेम को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमारी नीतियों पर अमल नहीं होगा । यह बड़े दुख की बात है कि हमारे यहां नीतियां तो बनती हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं होता । अमल न होने का मुख्य

कारण यही है कि हमारे संविधान में इस तरह की व्यवस्था मौजूद है कि कमिशन में कम से कम ५० फी सदी ऐसे लोग होंगे जो कि इस स्टील फ्रेम से आयेंगे और वे ही लोगों को भरती करेंगे ।

हमारे संविधान के अन्दर कहा गया है कि यह पब्लिक सर्विस कमिशन इम्तहान की व्यवस्था करेगा, परीक्षा लेगा । लेकिन इस चीज को बिल्कुल गोल कर दिया गया है कि परीक्षाओं का आधार क्या होगा । किस तरह से परीक्षा ली जायेगी । इस का क्या नतीजा निकल रहा है ? पब्लिक सर्विस कमिशन हिन्दुस्तान की आज की आवश्यकताओं को, आज के हिन्दुस्तान की जनता के ऐस्पिरेशन्स हैं, भावनायें हैं, उन को बिना ध्यान में रक्खे हुए इम्तहान की व्यवस्था करता है, और इस इम्तहान के अन्तर्गत जो भर्तियां होती हैं वह लोग निश्चित रूप से हिन्दुस्तान की जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं । कम से कम वे हिन्दुस्तान की जनता की आकांक्षाओं को सामने रख कर नहीं आते हैं । हिन्दुस्तान की जनता को आगे बढ़ाने का कोई लक्ष्य उन के सामने नहीं रहता है । उनके सामने लक्ष्य होता है कि एक उच्च अफसर बन जाएं क्योंकि राजनीति में जाने से तो यह दिक्कत रहेगी कि आज अगर होम मिनिस्टर हैं तो कल गली में फेंके जा सकते हैं, अगर इस स्टील फ्रेम में पहुंच जाते हैं तो जिन्दगी भर के लिए अच्छा पद मिल जाएगा । तो यह इन लोगों का लक्ष्य होता है जनता की सेवा करना उनका लक्ष्य नहीं होता । इसलिए मैं चाहता हूं कि संविधान में व्यवस्था की जाए कि इन लोगों की परीक्षा का आधार क्या होगा ।

इस संदर्भ में बार बार इस सदन में आपत्तियां उठायी गयी हैं, कम से कम तीन चार साल से मैं यह आवाज उठा रहा हूं कि वाइवा वोसी या परसनल टैस्ट का आपका आधार क्या है । क्या जो अच्छे कपड़े पहनता है वही अच्छा अफसर बन सकता है या जो अच्छी टाई बांधता है वही अच्छा अफसर बन सकता है, या जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है वही अच्छा अफसर बन सकता है, या जो छुरी कांटे से खाता है वही अच्छा अफसर बन सकता है और दूसरे लोग अच्छे अफसर नही बन सकते । मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछले १४ सालों से इसी प्रकार का परसनल टैस्ट होता रहा है और उसी के आधार पर भर्तियां होती रही हैं । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक आप इस प्रकार का परसनेलिटी टैस्ट रखेंगे आपको हिन्दुस्तान को आपकी आकांक्षा के अनुसार आगे बढ़ाने वाले लोग नहीं मिलेंगे । और अगर वे लोग ईस्टर्न स्टेंडर्ड के मुताबिक नहीं रहेंगे तो वे हिन्दुस्तान की सेवा के योग्य नहीं हो सकते । इसलिए मेरा निवेदन है कि अब समय आ गया है जब हमें मौलिक रूप से इस पर विचार करना होगा कि हमारी सरविसेज की परीक्षाओं का आधार क्या हो, उनकी योग्यता का आधार क्या हो और वर्तमान आधार में क्या क्या परिवर्तन किया जाए ।

कहा जाता है कि लोगों को मैरिट के आधार पर लिया जाता है । मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री महोदय पिछले १४ साल का नक्शा सदन की मेज पर रखें ताकि देखा जा सके कि इस मैरिट के आधार पर क्या कुछ हुआ है । कल मेरे मित्र श्री जयपाल सिंह ने कहा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल ८ आदमी आदिम जातियों के लिए गए । लेकिन केवल इतना ही कहना काफी नहीं है कि आदिम जातियों के आठ आदमी लिए गए, आप देखें कि इन आठ आदमियों में कौन कौन लिए गए हैं । इनमें एक तो वह थे जिनका जिक्र श्री जयपाल सिंह ने किया और बाकी सात आदमी खासी जाति के थे जो कि शिलांग के आसपास के लोग हैं और जो बाकी हिन्दुस्तान के तीन करोड़ आदिवासी हैं उनमें से कोई भी नहीं लिया गया । तो मैरिट के आधार पर यह सब कुछ होता है । अब वक्त आ गया है कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए । क्या मैरिट सिर्फ यही है कि कोई कैसे कपड़े पहनता है, या अच्छी अंग्रेजी बोल लेता है, या किसी खास तरीके से खाना खाता है । क्या यह मैरिट नही है कि कोई

[श्री ब्रजराज सिंह]

कितनी अच्छी खेती कर सकता है, या कितना अच्छा व्यापार कर सकता है या कितनी अच्छी तरह उद्योग चला सकता है। आज हिन्दुस्तान की सरकार को अपने आदमियों की भर्ती करते वक्त इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाएगा और इस प्रकार की योग्यता के आदमी सरविसेज में नहीं लिए जाएंगे तब तक वे लक्ष्य जो कि हिन्दुस्तान की सरकार ने निर्धारित किए हुए हैं—मैं ने नहीं—उनको पूरा नही किया जा सकेगा। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जरूरत इस बात की है कि हम सरविसेज में भरती के ऐसे तरीके काम में लाएं जिससे कि नीचे के लोग भी आ सकें। आखिर इन १४ सालों के अन्दर कितने किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग के लोगों के बेटे इन सरविसेज में स्थान पा सके हैं? क्या यह नियम नहीं बन गया है कि कलक्टर का बेटा कमिश्नर बनने की आशा करता है, एस० डी० ओ० का बेटा कलक्टर बनने की आकांक्षा करता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी का बेटा सेक्रेटरी बनने की आकांक्षा करता है? और इसके विपरीत क्या किसी रिक्शा पुलर का लड़का कभी डिप्टी बनने की आकांक्षा कर सकता है, किसी किसान का बेटा कलक्टर बनने की आकांक्षा कर सकता है, क्या किसी मजदूर का बेटा कमिश्नर बनने की आकांक्षा कर सकता है? अगर ऐसा नहीं है तो हिन्दुस्तान में जनतंत्र कायम करने का और समाजवादी समाज की स्थापना करने का लक्ष्य किस तरह पूरा होगा। इस परिस्थिति में तो वह पूरा हो नहीं सकता। पिछले १४ साल का परिणाम आपके सामने है।

मैं यह सब पब्लिक सरविस कमीशन के पक्षपात के बारे में नहीं कर रहा हूं। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि हमको सरविसेज के लिए परीक्षा का और योग्यता का आधार बदलना चाहिए। इसके लिए हमने अपने संविधान में जो व्यवस्था की है वह गलत है, उसको बदलना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक देश में समाजवादी समाज की स्थापना का सरकार का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। इसलिए मेरा निवेदन है और मैं श्री हरिश्चन्द्र माथुर के भाषण का जोरदार स्वागत करता हूं कि सरकार को एक उच्च शक्ति प्राप्त कमेटी या कमीशन की स्थापना करनी चाहिए जो सारे मसले पर पुनर्विचार करे, जो हिन्दुस्तान के संविधान में व्यवस्थाएं हैं उनके ऊपर पुनर्विचार करे और सिफारिश करे कि उच्च सेवाओं की परीक्षाओं के नियम क्या रहेंगे, उनकी परीक्षाओं का आधार क्या होगा, योग्यता का आधार क्या होगा और जो मेम्बर पब्लिक सरविस के लिए चुने जाएं उनको चुनने का आधार क्या होगा। हमारे देश के एक बहुत उच्च आर्थिक विशेषज्ञ की राय इस सम्बन्ध में मैं दुहराना चाहता हूं। उनका कहना है कि किसी भी देश में उस देश के लक्ष्य को तब तक पूरा नहीं किया जा सकता जब तक कि उस देश की सरविसेज में उस लक्ष्य को प्राप्त करने की भावना न भरी जाए। यह अफसोस की बात है कि आजाद होने के बाद हमने पचासों लक्ष्य तो तै किए लेकिन उन को पूरा करने का सही उपाय नहीं किया। जो सरकार के लक्ष्य हैं उनको पूरा करने की भावना उसकी सरविसेज में भरने की जरूरत है जो कि नहीं किया जा रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक इस तरह की कमेटी बनायी जाए, चाहे वह इस सदन के सदस्यों की हो या विशेषज्ञों की हो, जो देखे कि इस विषय में संविधान की व्यवस्थाओं में क्या परिवर्तन होना चाहिए, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के सम्बन्ध में संविधान की व्यवस्थाओं में क्या परिवर्तन होना चाहिए। और अगर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सौ फी सदी आदमी बाहर से लेने की आवश्यकता हो तो वैसा भी करना चाहिए। मैं मानता हूं कि उस अवस्था में दातार साहब चाहे केवल ऐसे आदमियों को ही रखें जिनका कांग्रेस से सम्बन्ध रहा हो, लेकिन उनमें जनता के प्रति हमदर्दी होगी और उनकी वह एटीट्यूड नहीं होगी जो कि उन अफसरों की होती है जो कि कुर्सी पर बैठ कर हुकूमत करते रहे हैं। तो इस बात की जरूरत है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी अपनी अर्थ व्यवस्था के मुताबिक और राज्य की नीति के मुताबिक हमारे राज्य कोष का अधिकाधिक रुपया राजकीय उद्योगों और व्यापा रों में लगाया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री महोदय सदन को बतला सकें कि अब तक राज कोष का कितना रुपया इस प्रकार के उद्योगों और व्यापार में लग चुका है। लेकिन मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि हमारे राज कोष का काफी रुपया इन उद्योगों और इस व्यापार में अभी तक लग चुका है। लेकिन हमारे संविधान की व्यवस्थाओं के मुताबिक इन उद्योगों और इस व्यापार का संचालन करने के लिये जिन लोगों को भरती किया जाता है वह काम पब्लिक सरविस के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। इस बात की पब्लिक सर्विस कमीशन देख भाल नहीं कर सकती कि उनमें कौन डाइरेक्टर होता है, कौन उनका एग्जीक्यूटिव होता है और किस प्रकार उनको चलाया जाता है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार सरकारी धन को लगा कर एक चोर दरवाजा निकाल लिया है और इस मामले में पब्लिक सर्विस कमीशन को खत्म कर दिया है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि राजकीय उद्योगों में राजकोष का धन लगाया जाये लेकिन मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सरकार को उस पर अपना कब्जा रखना चाहिये अगर देश को इस दिशा में सफल बनाना है। साथ ही साथ हमें अपनी काननी व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन करना चाहिये और पब्लिक सर्विस कमीशन का अधिकार इन उद्योगों में होने वाली भर्तियों पर लागू होना चाहिये। इन उद्योगों के लिये जो लोग भर्ती किये जायें उनको पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा भरती किया जाना चाहिये।

पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट के बारे में अनेक बातों की ओर माननीय सदस्यों ने गृह-मंत्री का ध्यान दिलाया है और उन बातों की तरफ उनका ध्यान गया होगा। एक खास बात की ओर मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह अफसोस की बात है कि चार चार पांच पांच साल तक लोग सेवाओं में बने रहें और पब्लिक सर्विस कमीशन को कन्सल्ट न किया जाये। इस तरफ काफी ध्यान देने की जरूरत है।

एक और खास बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। कुछ लोगों को चुन लिया जाता है लेकिन उनकी नियुक्ति पत्र इतने देर से मिलता है कि उनकी नियुक्ति नहीं हो पाती। इस तरफ भी देखना चाहिये कि कहीं यह रेड टेपिज्म के कारण तो नहीं होता है कि दफ्तर में बैठा कोई बाबू उसको देर से नियुक्ति पत्र भेजता है और इस कारण वह समय के अन्दर अपने को रिपोर्ट नहीं दे पाता। जो आदमी चुन लिया जाता है उसकी नियुक्ति केवल इसी कारण नहीं हो पाती कि उसको नियुक्ति पत्र देर से मिलता है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर विशेष रूप से ध्यान दे।

सरकार ने एक मामले में एक अफसर के बारे में पब्लिक सर्विस कमीशन के निर्णय से सहमति प्रकट न करके उस अफसर को [illegible] किया इसकी मैं सराहना करता हूं, सरकार ने यह अच्छा ही किया। मुझे अफसोस के साथ कहना है कि इस मामले में पब्लिक सरविस कमीशन ने कानूनी बारीकियों में पड़ जाने के कारण अपना निर्णय दिया था और सरकार ने ठीक ही किया कि उस निर्णय का समर्थन नहीं किया और अपनी राय पर कायम रही और उस अफसर के खिलाफ कार्रवाई की। मेरा विश्वास है कि जब तक इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की जायेगी तब तक हम हिन्दुस्तान में अपने उद्देश्यों को पूरा करने में समर्थ नहीं हों सकेंगे।

अन्त में मैं आशा करता हूं कि सरकार एक उच्च आयोग की स्थापना करेगी जो कि पब्लिक सरविस कमीशन के मम्बरों के चुनाव, सेवाओं के लिये जो लोग भरती किये जाते हैं उनकी परीक्षा

[श्री ब्रजराज सिंह]

और योग्यता के आधारों पर विचार करेगा और हम अपने नियमों में ऐसा परिवर्तन करेंगे जिससे हिन्दुस्तान की बदली हुई परिस्थितियों में देश में समाजवादी समाज लाने के लक्ष्य को पूरा करने में पब्लिक सरविस कमीशन सहायक हो सकेगा ।

†**श्री रमेश प्रसाद सिंह** (औरंगाबाद) : संघ लोक सेवा आयोग का १०वें प्रतिवेदन पर चर्चा हो रही है । प्रतिवेदन से पता चलता है कि आयोग के पास आये ३००० मामलों के बारे में आयोग की राय को ही सरकार ने अंतिम रूप में स्वीकार किया है । कुछ एक आध भ्रष्टाचार इत्यादि का मामला छोड़ कर । यह संतोष की बात है कि आयोग को बहुत सीमा तक स्वतन्त्र रूप में काम करने की अनुमति दी जाती है । मेरे विचार में यह सुझाव कि नियुक्तियां तथा भर्ती करने के सवालों की जांच पड़ताल करने के प्रयोजन के लिये एक उच्च आयोग की स्थापना की जाये, विचार योग्य है । इसे स्वीकार कर लेना चाहिये । इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि संघ लोक सेवा आयोग में कुछ प्रविधिक व्यक्ति भी लिये जाने चाहिये ताकि प्रविधिक व्यक्तियों को चुनने में वे अपना विशेषज्ञ परामर्श दे सकें । यह प्रतिवेदन बहुत ही अच्छी दस्तावेज है, मैं सिफारिश करता हूं कि इसे स्वीकार कर लिया जाय ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री वातार)** : मैंने सब बातें सुनी हैं, जो कि गत दो दिनों में सदन के समक्ष कही जा रही हैं । हमें आयोग के कार्य को समझने की कोशिश करनी है और उनकी सीमाओं को महसूस करना है । इस दिशा में मेरा निवेदन यह है कि संघ लोक सेवा आयोग तथा विभिन्न अन्य लोक सेवा आयोगों को लोक सेवाओं सम्बन्धी तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में कार्यवाही करनी पड़ती है तथा इस काम के करने के लिये जिन व्यक्तियों को कहा जाता है, उनके लिये प्रशासन का अनुभव रखना आवश्यक है । इसी कारण संविधान में उपबन्धित है कि आयोग के सदस्यों को आधी संख्या में सेवाओं में लिया जाये । इसी दृष्टि से ही सेवा में लगे लोगों से परामर्श लिया जाय ।

यह बात बिल्कुल गलत है कि आधिकारियों को काफी बड़े अथवा वद्धि होने पर नियुक्त किया जाता है । इसके विपरीत वास्तविकता यह है कि उन्हें उस समय नियुक्त किया जाता है जब वे काफी अधिक अनुभव प्राप्त कर लेते हैं तथा प्रौढ़ वृद्धि के हो जाते हैं । और यह बड़ा आवश्यक है, ऐसा तो होना ही चाहिये । राष्ट्र का भविष्य और हित इसी में है कि अनुभवी लोगों की राय ली जाये । इसके साथ ही यह कहना भी उसी प्रकार गलत है कि आयोग में कोई प्रविधिक प्रकार के व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं । आयोग में एक सदस्य सेवानिवृत मुख्य इंजीनियर हैं । जहां तक संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का सम्बन्ध है, यह देखा जायेगा कि सामान्य अनुभव तथा प्रशासनिक अनुभव रखने वाले सदस्यों की संख्या में परस्पर सन्तुलन रखा गया है। एक उच्च सत्ता प्राप्त आयोग की नियुक्ति सम्बन्धी सुझाव के स्वीकार किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है । संघ लोक सेवा आयोग का कार्य लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिये सिफारिशें करना है । अतः अन्य प्रश्न नितांत असंगत हैं ।

कल एक माननीय सदस्य ने कुशलता और राष्ट्रीय एकता की आवश्यकताओं को स्वीकार करते हुये यह कहा था कि कुछ आदिम जातियों और सम्प्रदायों के उम्मीदवारों को बिलकुल स्थान नहीं मिला है । यह स्मरण रखना चाहिये कि भावात्मक एकता सभी जातियों और समुदायों की एकता से ही संभव है । अतः यह कहना नितांत गलत है कि कुछ सम्प्रदायों का कुछ विशेष व्यक्ति ही प्रतिनिधित्व कर सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के सम्बन्ध में मेरे कथन का यह आशय था कि कुछ कारणों से यह अपेक्षित स्तर तक नहीं आ सके हैं। हमने इस मामले में दो कार्यवाहियां की हैं। हमें यह ज्ञात होना चाहिये कि हमें प्रशासन में कार्यदक्षता बनाये रखनी है विशेषत: इस कारण कि यह एक लोक कल्याणकारी राज्य है। अत: हमें कुशलता को पूरा महत्व देना है जो लोग इस मापदण्ड तक नहीं उतरते हैं उन्हें उस स्तर तक लाना होगा।

दो नियमों में से एक नियम यह है कि कुशलता की न्यूनतम आवश्यकताओं को देखते हुये हमें मापदंड में रियायत करनी चाहिये। दूसरे उनका स्तर बढ़ाने के लिये हमें परीक्षा पूर्व कुछ कक्षायें आरम्भ करदी हैं। वस्तुत: हमने ऐसी कक्षाओं को आरम्भ करने के लिये सभी विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया था तथापि केवल इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने ही यह कार्य किया। हमें यह बताते हुये हर्ष है कि इसका परिणाम बहुत संतोषजनक रहा है।

वस्तुत: शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त हमें इस बात का भी पता लगाना होता है कि क्या उस के व्यक्तित्व में पूर्ण विकास की क्षमता है। जिससे कि उसे एक पूरे जिले का प्रशासन सौंपा जा सके। इस कार्य के लिये व्यक्तित्व परीक्षा का बहुत महत्व है। उन्हें कठिन परिस्थिति में तत्काल निर्णय करना होता है। ऐसे मामलों में यदि तत्काल निर्णय नहीं किया जायेगा तो हानि होने की संभावना है। यह आपत्ति की गई है कि कुलीन व्यक्तियों को केन्द्रीय सेवाओं में आने के अधिक अवसर मिलते हैं इसका क्या कारण है। इसलिये व्यक्तित्व परीक्षा के सम्बन्ध में आपत्ति भी की गयी है। हमने यह बात स्वीकार कर ली है कि व्यक्तित्व परीक्षा से ही किसी व्यक्ति की प्रशासन के लिये अर्हता निश्चय नहीं की जायेगी। इसके मार्क लिखित मार्क के साथ जोड़े जायें तदुपरांत इस बात का निश्चय किया जाये कि वह अर्हता प्राप्त करता है या नहीं। तथापि इस पर आपत्ति की जा रही है। और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है।

यह आपत्ति गलत है कि इन परीक्षाओं में कुलीन जातियों में से ही लोग लिये जाते हैं। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी द्वारा किये गये एक अध्ययन का यह परिणाम निकला कि १९४८ से १९६० तक भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के जो परिणाम निकले हैं उनसे यह स्पष्ट है कि इन परीक्षाओं में अधिकांश मध्यम वर्ग के परिवारों के ही लोग लिये जाते हैं ऐसे परिवार जिनकी आय ३०० रु० से ८०० रु० मासिक की होती है।

उक्त परिणामों से यह स्पष्ट है कि यह प्रणाली असफल नहीं रही है। संघ लोक सेवा आयोग इस सम्बन्ध में पूरी जागरुकता से काम कर रहा है सरकार शत प्रतिशत उनकी सिफारिश मानती है। वे अपना कार्य पूरी कुशलता से कर रहे हैं। तथा हम सभी परीक्षाओं से सर्वोत्तम व्यक्तियों को प्राप्त कर रहे हैं।

माननीय सदस्य ने यह शिकायत की है कि सेवाओं के स्तर में गिरावट आ रही है। कभी-कभी यह होता है कि कड़े मापदंडों के कारण कोई व्यक्ति नहीं लिया जाता है और उससे यह कल्पना कर ली जाती है कि स्तर में गिरावट आ रही है। उन शिकायतों के आधार पर हम यह विश्वास कर लेते हैं कि जो स्तर होना चाहिये वह नहीं है।

राजस्थान से एक माननीय सदस्य ने राज्य सेवाओं से पदोन्नति का उल्लेख किया। मैंने इस मामले की जांच की। और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस सम्बन्ध में शिकायत का कोई कारण नहीं है। इन मामलों में यह होता है कि कभी-कभी अपूर्ण जानकारी दी जाती है। तथापि इन बातों के आधार पर हमें इस बात का यकीन नहीं करना चाहिये कि स्तर गिर रहा है। हम भारतीय प्रशासन

[श्री दातार]

सेवाओं और भारतीय पुलिस सेवाओं में राज्य अधिकारियो की नियुक्ति करते समय यह करते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग का एक अधिकारी वहां जाकर स्वयं इन उम्मीदवारों का परीक्षण करता है और उस सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। इसके लिये आठ वर्ष की सेवा और एक विशेष पद में होना अनिवार्य है। इस प्रतिवेदन पर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य विचार करते हैं। इस आधार पर अधिकारी को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में गृह मंत्रालय या राज्य सरकारों पर लांछन लगाना उचित नहीं है। अतः हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं।

अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिये पूर्व-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में जो सफलता प्राप्त हुई है उसके आधार पर ही मैंने कहा था कि हमें उक्त जातियों के सर्वोत्तम विद्यार्थियों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। उदाहरणस्वरूप आसाम जैसे राज्य से ५ अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को आयोग द्वारा प्रशासनिक सेवा के लिये चुना गया। आसाम में उक्त जातियों की संख्या बहुत अधिक है। अतः यदि इस सेवा में भारत के विभिन्न भागों से उम्मीदवार लिये जाते हैं तो आपको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिये। यह एक अखिल भारतीय परीक्षा है और उसमें अखिल भारतीय स्तर रखा जाता है।

इसमें सन्देह नहीं है कि पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के कारण अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को लेने की दशा में कुछ सुधार हुआ है। इसका यह फल हुआ है कि इन सेवाओं के लिये चुने गये उम्मीदवारों की संख्या दुगुनी हो गई है। १९५६ में भरतीय प्रशासन सेवाओं में अनुसूचित जाति के ५ और अनुसूचित आदिम जाति का एक भी उम्मीदवार सफल नहीं हुआ था जब कि १९६० में अनुसूचित जाति के ९ और अनुसूचित आदिम जातियों के ३ उम्मीदवार सफल हुए।

अतः भारत सरकार इन पिछड़े वर्गों में अक्षमता को दूर करने का भरसक प्रयत्न कर रही है। १९६० में ७ अनुसूचित जातियों तथा १ अनुसूचित आदिम जाति के व्यक्ति को भारतीय पुलिस सेवाओं में लिया गया।

यह कहा गया है कि सिफारिशें करने के उपरान्त नियुक्तियों में विलम्ब हुआ है। इसका कारण यह है कि सिफारिश प्राप्त होने पर कुछ प्रारम्भिक कार्यवाहियां करनी होती हैं। उम्मीदवार की डाक्टरी परीक्षा तथा प्राक्चरित की जांच में कुछ समय लगता है। तत्पश्चात् राज्य सरकारें अपनी आवश्यकता अवगत करती हैं। तदुपरान्त उन्हें यह बताया जाता है कि अमुक संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध हैं। तत्पश्चात् जैसे ही राज्य सरकारों के लिये नियुक्ति करना संभव होता है नियुक्तियां कर दी जाती हैं।

पुनर्नियुक्तियां बहुत कम संख्या में की जाती हैं। हमने अतिवयस्कता की आयु नहीं बढ़ायी है। केवल वैज्ञानिक और टेक्नीकल कर्मचारियों को ही अपवाद स्वरूप मामलों में ही पुनर्नियुक्ति की जाती है।

जब पुनर्नियुक्ति १ वर्ष से अधिक समय के लिये करनी होती है तो लोक सेवा आयोग इस मामले में सरकार को सलाह देता है।

श्री सिंहासन सिंह ने यह सुझाव दिया है कि न्यूनतम आयु बढ़ा दी जाये। भारत सरकार के अभी हाल के एक प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि न्यूनतम आयु कम करनी चाहिये। तथापि यदि आयु बढ़ा दी जाये तो भी इसका क्या प्रमाण है कि उसने कोई झूठा प्रमाणपत्र नहीं दिया है।

उन्होंने इस बात पर आपत्ति की है कि उम्मीदवारों से ही उनकी आयु को प्रमाणत करने को कहा जाता है। मेरे विचार में यह बिल्कुल सही है। आयोग अथवा सरकार को उनके वक्तव्य के आधार पर चलना होता है। मेरे विचार में इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

यदि किसी भी माननीय सदस्य के पास इस बात के प्रमाण हैं कि किसी अधिकारी ने अपनी आयु के बारे में गलत वक्तव्य दिया है तो मैं उन्हें यह आश्वासन देता हूं कि उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

इस सम्बन्ध में कुछ नियम बने हुए हैं उन्हें प्रमाण समझा जाता है। इसके पश्चात् उसकी आयु को रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। तदुपरान्त जब तक विशेष कारण नहीं होते हैं उन्हें नहीं बदला जा सकता है। हम इस सम्बन्ध में बहुत सावधान हैं कि आयु सम्बन्धी खानापूरी में बार बार परिवर्तन नहीं किये जायें। अतः यह आरोप गलत है कि कई अधिकारियों ने अपनी आयु परिवर्तन की है।

जहां तक अनुशासनात्मक कार्यवाही का सम्बन्ध है तत्सम्बन्धी नियमों का पूरी तरह पालन किया जाता है। इस सम्बन्ध में अधिकारियों को पूरा मौका देने के पश्चात् उस पर विभागीय कार्यवाही की जाती है। तत्पश्चात् सरकार उस सम्बन्ध में अस्थायी निर्णय कर लेती है उसके बाद यह मामला राय जानने के लिये आयोग के पास भेजा जाता है। सरकार सामान्यतः उनकी सलाह को स्वीकार कर लेती है।

केवल एक मामले में हमने उनकी सलाह को स्वीकार नहीं किया मेरे विचार से उस मामले में उनकी सलाह को स्वीकार न करने के उचित कारण थे।

जहां तक उच्च अधिकारियों का पदनिवृत्त होने के पश्चात् किसी गैरसरकारी पद को स्वीकार करने से सम्बन्ध है, उन्हें एक नियम के अधीन गैरसरकारी नौकरी स्वीकार करने के पूर्व सरकार से स्वीकृति लेनी होती है। तथापि दो वर्ष के पश्चात् हम उनको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। सरकार इस बात पर विचार करती है कि क्या अधिकारी ने सेवा में रहते हुए ही इस पद के लिये प्रयत्न किया। यदि सरकार उसे अनुमति देती है तभी वह अधिकारी उसे स्वीकार कर सकता है अन्यथा नहीं।

†**श्री बजराज सिंह :** इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश श्री ए० एन० मुल्ला ने पुलिस प्रशासन के बारे में कुछ बातें कहीं। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री का क्या विचार हैं ?

†**श्री दातार :** सरकार ने इस मामले में अभी तक अपनी राय इस कारण जाहिर नहीं की कि सम्बन्धित राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय से अपील की है कि उक्त शब्दों को निर्णय से हटा दिया जाये। उच्च न्यायालय ने यह अपील अस्वीकार कर दी है तदुपरान्त राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय से अपील की है। अतः मैं इस मामले में अभी कोई राय नहीं देना चाहता हूं।

जहां तक आयु परिवर्तन करने का प्रश्न है केवल अपवाद स्वरूप मामलों में ही अर्थात् हजारों में से एक मामले में जहां वास्तव में गलती हुई हो आयु बदली जाती है। अन्यथा आयु नहीं बदली जा सकती हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि यह सभा १ अप्रैल, १९५९ से ३१ मार्च, १९६० तक की अवधि के लिये संघ लोक सेवा आयोग के दसवें प्रतिवेदन पर, उस पर सरकारी ज्ञापन सहत, जो २१ दिसम्बर, १९६० को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनुदानों की अनुपूरक मागें (रेलवे), १९६१-६२

†**सभापति महोदय** : अब सभा में वर्ष १९६१-६२ (रेलवे) के आय व्ययक सम्बन्धी अनुपूरक मांगों पर चर्चा एवं मतदान होगा ।

वर्ष १९६१-६२ के लिये अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि रुपये
१	रेलवे बोर्ड	३,०५,०००
२	विविध व्यय	२८,६१,००
७	कार्यवहन व्यय-संचालन (ईंधन)	४,९१,३२,०००
९	कार्यवहन व्यय-विविध व्यय	३,०२,२५,०००
१५	नई लाइनों का निर्माण	३,००,०००
१६	खुली लाइन के कार्य--परिवर्धन	१,००,०००

†**सभापति महोदय** : उपरोक्त मांग संख्या सम्बन्धी सभी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हैं ।

रेलवे मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
२	१४	श्री त० ब० विट्ठलराव	सलेम बंगलौर लाइन के सर्वेक्षण के लिये थोड़ा धन निर्धारण	१०० रुपये
२	१५	श्री त० ब० विट्ठलराव	मंगलौर-हसन लाइन के सर्वेक्षण तुरन्त करने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१६	श्री त० ब० विट्ठलराव	भारतीय उद्योग मेला के लिये अधिक राशि निर्धारित करना	१०० रुपये
२	१७	श्री त० ब० विट्ठलराव	रेलवे शताब्दी प्रदर्शनी के सम्बन्ध में भूमि के किराये के भुगतान में देरी	१०० रुपये

१	२	३	४	५
५	१८	श्री त० ब० विट्ठलराव	दक्षिण रेलवे के द्रोणाचलम स्टेशन पर भारतीय जल-पान गृह में शाकाहारी भोजन के संभरण के लिये स्टेनलैस स्टील की ट्रे की कमी	१०० रुपये
९	१९	श्री त० ब० विट्ठलराव	डिल्लन डिपो में रेलवे स्लीपरों का दुरुपयोग	१०० रुपये
१५	२०	श्री त० ब० विट्ठलराव	सिंगरोली खदान और ओबेरा का अनुमानित व्यय	१०० रुपये
१६	२१	श्री त० ब० विट्ठलराव	डिजल लोकोमोटिव का बनाना	१०० रुपये
१	१३	श्री तंगामणि	दिल्ली को 'ए' श्रेणी का नगर घोषित करने में देरी	१०० रुपये
१	२	श्री तंगामणि	मंगलौर-हसन, सलेम बंगलौर रेलवे लाइन के मनमदुराई विरुधानगर पर निर्माण-कार्य बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	२	श्री तंगामणि	सलेम बंगलौर लाइन को करूर होकर डिंडीगुल तक बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये
९	८	श्री तंगामणि	उत्तर रेलवे के दिलवान डिपो में आग लगने से भारी हानि	१०० रुपये
९	९	श्री तंगामणि	मदुराई नगरपालिका के नगर-करों के भुगतान में देरी	१०० रुपये
९	१०	श्री तंगामणि	दक्षिण रेलवे के मदुराई डिवीजन में डिंडीगुल स्टेशन पर विभागीय भोजन व्यवस्था को बन्द करने की धमकी	१०० रुपये
७	४	श्री नौशीर भरूचा	कोयले की खपत में वृद्धि	१०० रुपये
९	५	श्री नौशीर भरूचा	चोला बिजली घर से मैसर्स टाटा को बिजली देने वाले जेनेरेटिंग पावर के मूल्य में वृद्धि	१०० रुपये
९	७	श्री नौशीर भरूचा	दामों में कमी किये बिना खाने की मात्रा में कमी	१०० रुपये

१	२	३	४	५
१५	१२	श्री नौशीर भरूचा	दीवा पेनल लाइन में प्रगति	१०० रुपये
२	३	श्री अरविन्द घोषाल	खड़गपुर रेलवे लाइन पर हल-दिया पत्तन के सर्वेक्षण की शीघ्र आवश्यकता	१०० रुपये
७	६	श्री अरविन्द घोषाल	कोयले के दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता	१०० रुपये
९	११	श्री अरविन्द घोषाल	विभागीय भोजन व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता	१०० रुपये

†**श्री सभापति महोदय :** ये कटौती प्रस्ताव अब सभा के सामने विचारार्थ हैं ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : भारत सरकार ने दिल्ली को 'ए' श्रेणी का नगर बनाने का निश्चय किया है उसका मैं स्वागत करता हूं । सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया तथा महंगाई भत्ता अधिक मिलेगा । बहुत दिनों से इसकी मांग की जा रही थी । सरकार ने यह निर्णय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में किया है । मेरा निवेदन है कि मद्रास को भी 'ए' श्रेणी का शहर करार दिया जाये क्योंकि पिछले दस वर्षों में उस शहर के निर्वाह-व्यय तथा जन-संख्या में काफी वृद्धि हुई है । अतः सरकार को इस मांग पर अच्छी तरह विचार करना चाहिये । सरकार ने सिलेम-बंगलौर रेलवे लाइन बनने के सवाल में निरुत्साहपूर्ण ढंग से काम लिया है । अन्तिम स्थिति पर्यवेक्षण के लिये जो २.५ लाख रुपया रखा गया है वह पर्याप्त नहीं होगा । इस लाइन को तीसरी पंचवर्षीय योजना में पूरा करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जाये । इसी प्रकार हसन-मंगलौर लाइन को पूरा करने के लिये कार्यवाही की जाये ताकि जब मंगलौर पत्तन तैयार हो जाये तो यह रेलवे लाइन भी तैयार हो । हम चाहते हैं कि मंगलौर पत्तन को ऐसा बनाया जाये ताकि वह सभी ऋतुओं में काम कर सके । हम यह भी चाहते हैं कि मंगलौर पत्तन के बनने तक वहां हसन मंगलौर लाइन भी बन कर पूरी हो जाये । सिंग्राली कोयला क्षेत्र तथा ओब्रा के बीच रेलवे लाइन के बनाने की लागत कोई २५.६ लाख रुपया प्रति मील बैठेगी जो कि बहुत अधिक है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इतनी अधिक लागत का क्या कारण है । मेरा निवेदन है कि इस खर्च की जांच की जाये ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

ढिलवान इमारती लकड़ी के डिपो तथा अन्य स्थानों पर जो अग्निकांड हुए हैं उनसे केवल यही पता चलता है कि रेलवे प्रशासन अपने सामान व वस्तुओं के बारे में उचित सावधानी से काम नहीं ले रही है । इस अग्निकांड से लगभग १.२५ करोड़ रुपये की हानि हुई है । ढिलवान में एक दूसरे लकड़ी के गोदाम में भी आग लगी थी और मेरा अनुमान है कि वहां भी लाखों रुपये की हानि हुई है । इस अग्निकांड की जांच एक सरकारी समिति द्वारा की गयी थी जिसमें रेलवे के पदाधिकारी थे । समिति की सिफारिशों से पता चलता है कि रेलवे प्रशासन अपनी सम्पत्ति की पर्याप्त रक्षा नहीं कर रहा है । रेलवे सम्पत्ति राष्ट्रीय सम्पत्ति है अतः उसकी देख भाल अच्छी तरह की जानी

†मूल अंग्रेजी में

चाहिये। ऐसा प्रतीत होता है कि रेलवे कर्मचारी अपने अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। । अच्छा तो यह होगा कि रेलवे मंत्री अपना पद छोड़ दें।

भारतीय उद्योग मेला के लिये १२.९७ लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं। यह राशि बहुत अधिक है। इतना खर्चा नहीं किया जाना चाहिये। मेरा निवेदन है कि हमें स्पष्ट शब्दों में यह बताना चाहिये कि यह कुल राशि किन किन मदों पर व्यय की जायेगी ताकि हम उसी प्रकार अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकें।

ऐसा मालूम होता है कि रेलवे का लेखा विभाग उचित ढंग से काम नहीं कर रहा है। इसका प्रमाण इस बात से लग जायेगा कि हम आठ वर्ष पहले हुए रेलवे शताब्दी समारोह के सम्बन्ध में अभी तक भूमि का किराया चुका रहे हैं। इससे मालूम होता है कि रेलवे विभाग उचित ढंग से काम नहीं कर रहा है। मेरा निवेदन है कि इस बकाया राशि का भुगतान करन के लिये शीघ्र ही कुछ न कुछ किया जाना चाहिये।

डिजल लोकोमोटिव बनाने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई थी। हम चाहते हैं कि लोकोमोटिव बनाने का काम निजी क्षेत्र में न होकर सरकारी क्षेत्र में हो। यह निर्णय तो कर लिया गया है कि यह कारखाना सरकारी क्षेत्र में होगा लेकिन इस समिति का प्रतिवेदन क्या है यह अभी तक मालूम नहीं हो सका है। हालांकि इस समिति ने अपना प्रतिवेदन ६–७ महीने पहले ही प्रस्तुत कर दिया था। मालूम हुआ है कि अभी तक यह प्रतिवेदन रेलवे बोर्ड के विचाराधीन है। मेरा निवेदन है कि इस डीजल फैक्टरी के निर्माण स्थान के चयन के बारे में जो विलम्ब हो रहा है उसे शीघ्र ही दूर किया जा सकता है।

दक्षिण रेलवे के द्रोणाचलम स्टेशन पर विभागीय भोजन की व्यवस्था है। वे बहुत अच्छा खाना यात्रियों को देते हैं किन्तु उनके पास ट्रे बहुत कम हैं। वहां केवल ४ ट्रे हैं। मेरा सुझाव है कि इन ट्रे की संख्या बढ़ाई जाये।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि रेलवे प्रशासन को ईंधन विशेषतः कोयले की खपत में बचत करने का प्रयत्न करना चाहिये। हम इस प्रश्न को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं जिस के फल-स्वरूप खपत प्रत्येक वर्ष बढ़ती जा रही है तथा उस पर व्यय भी बढ़ता जा रहा है।

†**श्री नौशीर भरुचा** (पूर्व खानदेश) : रेलवे मंत्रालय ने अनुपूरक मांग रखते समय स्पष्ट शब्दों में यह नहीं बताया है कि ये मांगें किस किस कार्य के लिये मांगी गई हैं। अतः सरकार ने पर्याप्त जानकारी नहीं दी है। आवश्यक ब्यौरे के न होने से यह समझना कठिन होता है कि किसी विधि विशेष की किस प्रकार और क्यों आवश्यकता हुई। जहां तक मांग संख्या ९ का सम्बन्ध है उन यात्रियों के लिये क्षतिपूर्ति धन की व्यवस्था अवश्य की जाये जो घातक दुर्घटनाओं में आहत हुए हैं। इस समय दुर्घटनाओं में मरे व्यक्तियों के केवल माता-पिता या बच्चों को ही क्षतिपूर्ति धन मिलता है। घातक दुर्घटनायें अधिनियम में इस प्रकार का संशोधन हो कि मृतकों के अन्य आश्रित व्यक्तियों को भी क्षतिपूर्ति धन मिल सके।

रेलवे का खर्चा भी बहुत बढ़ता जा रहा है उसको रोकने के लिये भी आवश्यक कदम उठाने चाहियें।

जहां तक दुर्घटनाओं की बात है। बिना इस बात की जांच किये बिना क्षतिपूर्ति के लिये कुछ राशि की तुरन्त व्यवस्था की जानी चाहिये। बाकी धन तो जांच पूरा हो जाने के बाद दिया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नौमीर भरुचा]

विभागीय भोजन व्यवस्था का प्रबन्ध ठीक है लेकिन उनका मूल्य बहुत अधिक है। यहां तक देखने को मिला है कि खाने की मात्रा में कमी कर दी गई किन्तु दाम उतना ही रखा है। इस सम्बन्ध में कम से कम सभा को राय तो ले लेनी चाहिये थी। सरकारी क्षेत्र में इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देतीं।

अन्त में मेरा निवेदन है कि सभा को यह सूचित किया जाये कि केन्द्रीय रेलवे पर पांवल-आप्टे लाइन के बनाने में क्या प्रगति हुई है तथा किस समय तक यह पूर्ण हो सकेगी। आशा है कि सरकार इन बातों पर ध्यान देगी।

†**श्री नरसिंहन्** (कृष्णगिरि) : मांग संख्या २ और १५ क्रमशः दो लाख और तीन लाख रुपये की हैं। मांग संख्या १५ एक सांकेतिक मांग है। उनमें से एक मेरे राज्य में १४२ मील लम्बी रेलवे लाइन के निर्माण के बारे में है। यह अत्यन्त हर्ष का विषय है, क्योंकि बीस वर्ष पूर्व युद्ध के कारण एक ही बार में सौ मील लम्बी लाइन हटा दी गई थी। उन दिनों केन्द्रीय विधान सभा में भी जिले का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। एक ही सदस्य कई जिलों का प्रतिनिधित्व किया करता था। और हमारे जिले का कोई भी प्रतिनिधि न होने के कारण, हम उस लाइन को बहाल कराने के लिये आवाज तक नहीं उठा सके।

अब उस पूरी लाइन को बहाल किया जा रहा है। यह हमारे जिले के लिये एक युगान्तर-कारी घटना है।

बजट टिप्पणी में ये शब्द पढ़ कर और भी प्रसन्नता होती है कि इन चारों लाइनों का निर्माण अविलम्ब शुरू होगा। श्री विट्ठलराव को इस पर विश्वास नहीं आ रहा था। परन्तु इस से पता चलता है कि सरकार सचमुच ही इसके लिये कृत-संकल्प है।

लाइनों का सर्वेक्षण जल्द ही पूरा हो जायेगा। इंजीनियरिंग सर्वेक्षण तो पांच वर्ष पूर्व ही पूरा हो चुका था। फिर भी इस में कोई असाधारण विलम्ब नहीं हुआ है।

परन्तु एक चीज है जिसका कुछ खतरा है। यदि यह काम शीघ्रता से शुरू न हो पाया तो भूमि का मूल्य और चढ़ जायेगा। उससे निर्माण-लागत बढ़ जायेगी।

यह मेरे जिले में एक नये अध्याय का प्रारम्भ है। इस से उस क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बल मिलेगा। अब निवेली क्षेत्र में लिगनाइट के साथ, तांबे का भी पता चला है। सैलम में लौह अयस्क, मेगनसाइट, क्रोमाइट और अन्य खनिजों का क्षेत्र है ही। इसलिये पूरा क्षेत्र बड़ी तेजी से विकास करेगा। मुझे इससे बड़ा संतोष हुआ है।

†**श्री जयपाल सिंह (रांची पश्चिम—रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां)** : क्या माननीय सदस्य ने तांबे की खोज का उल्लेख किया है?

†**श्री नरसिंहन्** : दक्षिण अर्काट में तांबे का पता चला है।

†**डा० क० ब० मेनन** (बड़ागरा) : रेलवे दुर्घटनाओं के शिकार बनने वाले व्यक्तियों को अधिक प्रतिकर देने के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। परन्तु सब से बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि रेलवे दुर्घटनाओं को रोका जाये। सरकार ने अभी तक इस के लिये कोई गम्भीर क़दम नहीं उठाया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

१९६०–६१ के पूरे वर्ष में ३,९२५ दुर्घटनायें ही हुई थीं, लेकिन १९६१–६२ के पूर्वार्द्ध में ही १,८८३ दुर्घटनायें हो चुकी हैं। इस हिसाब से तो लगभग १० दुर्घटनायें प्रति दिन का औसत बैठता है।

खतरे के सिगनल को अनदेखा करने के कारण, ७० दुर्घटनायें हो चुकी हैं। लेकिन इतने बड़े अपराध के लिये भी कोई कड़ा दण्ड नहीं दिया गया है।

छोटी-मोटी दुर्घटनाओं पर समाचारपत्र भी ध्यान नहीं देते। रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही और उपेक्षा के प्रति जब अधिकारी लोग ढिलाई बरतते हैं, तो ऐसी दुर्घटनाओं को प्रोत्साहन मिलता है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि पदोन्नतियों, इत्यादि के मामलों में योग्यता को ही मात्र कसौटी न मानने से कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। उन में यह भावना घर करती जा रही है कि योग्यता की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। दुर्घटनाओं के कारणों की पूरी-पूरी जांच की जानी चाहिये। जनता के जीवन की रक्षा करने का दायित्व सरकार पर है। दुर्घटनाओं की जांच के लिये जांच-समिति नियुक्त की जानी चाहियें।

मेरा ख्याल है कि मंत्रालय ने १९६० में आदेश निकाला था कि वेतनों की वृद्धि और नयी नियुक्तियां न की जायें। पर उसके बावजूद, सी० पी० ओ० का वेतन क्रम १६००–१८०० से १८००–२००० कर दिया गया है। और, रेलवे बोर्ड के निदेशकों के वेतन में २५० रुपये की वृद्धि की गई है। उसके फलस्वरूप रेलवे को ८६ लाख रुपया अधिक खर्च करना पड़ रहा है।

रेलवे की भोजनादि की व्यवस्था में सुधार की काफ़ी गुंजाइश है। भोजन का मूल्य बढ़ा दिया गयाहै, पर भोजन की किस्म पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। चाय के लिये अब ६ या ८ नये पैसों की जगह १२ नये पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन चाय वही है। भोजनादि की व्यवस्था को अधिक कार्यक्षम बनाया जाना चाहिये।

श्रीमती कृष्णा मेहता (जम्मू तथा काश्मीर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे रेलवे की अनुदान की मांगों पर बोलते हुए प्रसन्नता हो रही है और मैं उन का अनुमोदन करती हूं। सच बात तो यह है कि मेरे विचार में रेलवे का काम—पता नहीं कि मैं उस को ठीक समझी या नहीं—बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। जब हम नये कोचिज को देखते हैं, जिन में हम बड़े आराम से सफ़र करते हैं, तो हम को बहुत खुशी होती है कि हमारा देश कितना उन्नत हो रहा है और हम प्रगति के मार्ग पर कितना आगे बढ़ चुके हैं। चित्तरंजन में इंजिन बनाये जा रहे हैं और टूल्ज की फैक्ट्रियां काम कर रही हैं। वहां पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। यह ठीक है कि कुछ कमियां हैं, लेकिन अगर कमियां न हों, तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कैसे कुछ सीख सकते हैं। ये सब तारीफ़ करने योग्य बातें हैं।

सब से बड़ी बात यह है कि जब भी हम ने माननीय मंत्री और रेलवे बोर्ड का जनता की कठिनाई की तरफ़ ध्यान दिलाया, तो उन्होंने तुरन्त उस का निवारण किया। मेरा अनुभव यह है कि बहुत सी बातों में जनता की कठिनाइयां समाप्त हो गई हैं और उस के लिए मैं माननीय मंत्री जी और रेलवे बोर्ड को धन्यवाद देती हूं। मैं चाहती हूं कि उन को जनता की सेवा करने की ज्यादा से ज्यादा शक्ति प्राप्त हो और वह जनता की फ़रियाद को सुनें।

जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं कुछ निराश हूं, क्योंकि जम्मू-काश्मीर को रेलवे विभाग की तरफ़ से कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। लगभग चार या पांच वर्ष पहले मुझे इस सदन में आने का

[श्रीमती कृष्णा मेहता]

सौभाग्य प्राप्त हुआ। शुरू में मैंने यह देखने की कोशिश की कि हमारी रियासत में कौन सी बड़ी कठिनाई है और वहां की जनता को सब से पहले क्या सहूलियत मिलनी चाहिए। मैं ने देखा कि रेलवे की सुविधा के बारे में सब से ज्यादा पुकार थी। मैं ने यहां आ कर सदन के सामने जनता की फ़रियाद रखी। मुझे याद आता है कि जब रेलवे के बारे में यहां पर मेरा पहला या दूसरा भाषण हुआ और मैं सदन से बाहर गई, तो माननीय सदस्य, स्वर्गीय गांधीजी, ने लाबी में मुझे कहा कि वाकई तुम ने बहुत अच्छे पायंट उठाये हैं। मुझे जहां तक याद है, उस समय माननीय श्री जगजीवन राम जी से लाबी में रेल के विषय में बात की। मुझे यह भी याद पड़ता है कि उन्होंने बोर्ड की मीटिंग में इसका जिक्र भी किया था और शायद यह चीज़ रेलवे बोर्ड के रिकार्ड में भी होगी। तभी से यह रेलवे की कुछ हलचल चली है। तभी से यह ६ मील लाइन बनाने की बात चली आ रही है कि इसके बारे में भी कुछ करना है। परन्तु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब भी मैं जाती हूं मैं पाती है कि वह सुविधा वहां नहीं पहुंची है। तीसरी पंचवर्षीय योजना भी आ गई है लेकिन कोई इसको पूरा करने का आश्वासन नहीं दिलाया गया है। मैं आपको यह भी बतलाना चाहती हूं कि १४ साल पहले जम्मू काश्मीर में रेलवे लाइन थी। आज भी वहां बोर्ड लगा हुआ है स्टेशन रोड का। नाम सड़क का है पर रेलवे का कहीं नहीं है। वह पहाड़ी इलाका है, जंगलात से भरा पूरा इलाका है। कितनी ही लकड़ी आपको उन जंगलात में से मिल सकती है। सब से बड़ी बात यह है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्लानिंग कमिशन ने यह रखा है कि जहां कोयला और उद्योग होंगे वहां रेलवे ले जायेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि कालाकोट में कोयले का बहुत बड़ा भण्डार है और वह बहुत अच्छा कोयला है। मेरा ख्याल है कि उस कोयले का निरीक्षण भी कराया गया था और पाया गया था कि वह उत्तरी रेलवे को सस्ता पड़ेगा। तना होते हुए भी मुझे पता नहीं क्या त्रुटि है? क्या यह त्रुटि रेलवे बोर्ड में है या योजना आयोग में, मैं नहीं जानती हूं। इस चीज़ को मैं आज तक भी नहीं समझ पायी हूं।

मेरा माननीय मंत्री जी से तथा इस सदन से भी कहना है कि आज जब बहस होती है लद्दाख के मामले की और चीनी हमले की तो हम सूरत हाल को न जानते हैं और न ही समझते हैं। हम इतनी बातें करते हैं लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि जिन सिपाहियों को आप देश की रक्षा करने के लिए सरहद पर भेजते हैं, क्या उनके लिए आप वे सभी सुविधायें मुहैय्या करते हैं, जो कि की जानी चाहिये? मैं जानना चाहती हूं कि आपने क्या क्या सहूलियतें उनके लिए मुहैय्या की हैं। रेलवे की उनके लिए भी बड़ी भारी आवश्यकता है। इतनी ऊंचाई पर बैठ कर वे ड्यूटी देते हैं और उसके बाद जब वे एक महीने की छुट्टी आते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि उनके इसमें से सात आठ दिन रास्ते में ही व्यतीत हो जाते हैं। क्या आपने कभी इस पर भी ख्याल किया है कि उनके लिए जब कभी अनाज की या दूसरी चीजों की जरूरत होती है तो उसको सप्लाई करने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब तक हमारी बुनियाद और जड़ मजबूत नहीं होती तब तक किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं? अगर कोई लद्दाख के इलाके में गया हो तो वह इन सब चीजों को आसानी से समझ सकता है। मैं वहां गई हूं और मैं इन सब चीजों को जानती हूं। हमारे पूर्वजों ने कई साल तक हुकूमत के साथ काम किया। बहुत कम आदमी ही इन सब बातों को जानते होंगे। मुश्किल यह है कि हम असली चीज़ को देखते नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि जहां कहीं भी कोई त्रुटि हो, प्लानिंग कमिशन में हो या कहीं और हो, वहां तक मेरी इस फरियाद को अवश्य पहुंचा दिया जाए। देश की सुरक्षा के लिए, देश की मजबूती के लिए हमें चाहिये कि हम सब से पहले रेलवे के बारे में कुछ करें। जब तक वहां रेल नहीं जाएगी कोई उद्योग वहां पर पनप नहीं सकेंगे। काश्मीर के लोग, लाखों की तादाद में, मजदूर हो कर हमारे यहां पंजाब में और दिल्ली में तथा दूसरी जगहों पर काम करने के

लिए आते हैं। वे इधर दौड़े क्यों आते हैं, इसका क्या कारण है, यह भी मैं आपको बतला देना चाहता हूं। इसका कारण यह है कि वहां कोई कारखाने नहीं हैं, वहां कोई उद्योग नहीं है। अगर छोटे मोटे कारखाने वहां पर हैं, तो उनमें कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है। इस वास्ते सब से जरूरी बात यह है कि वहां हम रेलवे लाइन ले जाएं। मैं निवेदन करती हूं कि इस ओर आप जरूर ध्यान दीजिये।

जम्मू-काश्मीर के जो रेलवे में मुलाजिम हैं, उनको पास की सुविधा नहीं है। घर जाना हो, उन बेचारों को पहले पठानकोट आना पड़ता है। आगे उनको कोई रियायत नहीं मिल सकती है। उनके लिए कुछ पास की आसानी हो, इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिये। मैं मानती हूं आपने बहुत से अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये।

जहां तक स्लीपर्ज का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है रेलवे को जितने भी स्लीपर्ज की जरूरत होती है वे विदेशों से मंगाये जाते हैं। तीसरा या चौथा हिस्सा ही काश्मीर की लकड़ी खरीद करके ये बनाये जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करती हूं कि जो लकड़ी हमारे यहां मिलती है अगर वह विदेशी लकड़ी का अच्छी तरह से मुकाबिला कर सकती है, तो जितने भी स्लीपर हम खरीदते हैं, क्यों न उनकी काश्मीर गवर्नमेंट को आर्डर दे कर उनसे लें ताकि हमारे अपने देश का जो उद्योग है वह बढ़े फले फूले।

ये ही दो तीन बातें थीं जो मुझे आपके सामने रखनी थीं। मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आशा करती हूं कि मुझ से बाद जो माननीय भाई बोलेंगे वे जम्मू काश्मीर की लाइन के बारे में अवश्य अपने विचार प्रकट करेंगे और इसके बारे में भी कुछ कहेंगे।

†**श्री जयपाल सिंह :** रेलवे एक राष्ट्रीय उपक्रम है। रेलवे देश में एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण पैदा करने में सहायक हो सकती है।

रेलवे देश के विभिन्न भागों को जनता को करीब ला रही है। वह दक्षिण भारत के लोगों को दिल्ली ला रही है, परन्तु दक्षिण भारत के लोग दक्षिण भारत की ही ओर देखते हैं।

रेलवे की आलोचना जो भी की जाये, वह काफी अच्छा काम कर रही है।

[श्री मूलचन्द दुबे पीठासीन हुए]

जो लोग रेलवे की आलोचना करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हमने स्वयं अपनी ओर से रेलवे की कुशलता बढ़ाने के लिये क्या किया है। संसद्-सदस्यों ने अपने आपको आदर्श यात्री सिद्ध नहीं किया है। और हम जब तक अपने आप आदर्श उपस्थित नहीं करते, तब तक हमें रेलवे की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है।

रेलवे दुर्घटनाओं को लेकर रेलवे की आलोचना करना, या तोड़ फोड़ को उनका कारण बताना—दोनों ही आसान काम हैं।

प्रश्न यह है कि रेलवे को किस ढंग से चलाया जाये। मैं जानता हूं कि रेलवे कर्मचारी अपनी ओर से भरसक प्रयास कर रहे हैं।

रेलवे प्रशासन की सब से बड़ी असफलता भोजनादि की व्यवस्था की है। यदि भोजनादि की व्यवस्था में सुधार हो जाे, सुरुचिपूर्ण भोजन मिलने लगे, तो काफी बड़ी सफलता होगी। यदि सभी रेलवे यात्रियों को बढ़िया भोजन मिल सके, तो रेलवे की वाहवाही होने लगेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जयपाल सिंह]

सबसे बड़ा काम तो यह होगा कि सभी स्टेशनों पर पीने के लिये स्वच्छ जल मिलने लगे। रेलवे का इससे बड़ा प्रचार दूसरा नहीं होगा। विदेशों से आने वाले पर्यटकों को रेलवे स्टेशनों पर भारतीय भोजन भी मिलना चाहिये।

एक लोक रेलवे आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये। मेरे क्षेत्र में हाल ही में रेलवे का विकास हुआ है। अभी कुछ दिन पहले रेलवे बोर्ड के सभापति सरदार करनैल सिंह राँची आये थे। उस अवसर पर उनके विरुद्ध कुछ प्रदर्शन भी हुआ था। परन्तु उसमें रेलवे का कोई दोष नहीं। प्रदर्शन की कारण यह था कि भारत सरकार ने जिस भूमि पर रेलवे का निर्माण किया है, उसके लिये आदिवासियों को मुआविजा नहीं दिया है। सरकार देश की विधि को तो अनदेखा नहीं कर सकती। इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये।

भविष्य में भूमि का मुआविजा अदा किये बिना, किसी भी लाइन का विस्तार नहीं होने दिया जायेगा। मैं इसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं। गरीब आदिवासियों का हक इस तरह नहीं मारा जा सकता।

आयोग का काम केवल कर्मचारियों की भर्ती तक सीमित नहीं रहेगा, वह विभिन्न प्रदेशों में जनता की रुचि के अनुसार भोजनादि की व्यवस्था भी करेगा।

रेलवे प्रशासन की अभी तक सफलताओं के लिये मैं उसे बधाई देता हूं। अभी उसमें सुधार की काफी गुंजाइश है।

रेलवे को देश के एकीकरण पर सबसे अधिक जोर देना चाहिये। रेलवे में उत्तर और दक्षिण भारत की भावना को जगह नहीं मिलनी चाहिये।

†**श्री त० ब० बिट्ठल राव** : मैं प्रस्ताव करना चाहता हूं कि चर्चा का समय कल तक बढ़ा दिया जाये। सुबह मैंने अध्यक्ष महोदय से इसका अनुरोध किया था, तो उन्होंने कहा था कि बाद में विचार किया जायेगा।

†**सभापति महोदय** : सभा ने एक बार तय कर दिया है कि चर्चा आज ५ बजे तक ही चलेगी। मेरा ख्याल है कि उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

†**श्री तंगामणि** : उस निर्णय पर मतदान नहीं हुआ था।

†**सभापति महोदय** : कार्यालय ने मुझे सूचित किया है कि उस पर औपचारिक रूप से निर्णय नहीं हुआ था। इसलिये समय बढ़ाया जाता है। श्री स० मो० बनर्जी।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर): मैं मांग संख्या १, ७ और ९ को ही लूंगा। भारत सरकार ने अब दिल्ली को 'क' श्रेणी में रख दिया है। रेलवे मंत्रालय को भी अब शीघ्र ही मद्रास, कानपुर, मदुरै और नागपुर, इत्यादि शहरों की श्रेणी के सम्बन्ध में पुनर्विचार करना चाहिये। इनकी भी आबादी काफी बढ़ चुकी है।

मांग संख्या ९ प्रतिकर से सम्बन्धित है। हमें बड़ी प्रसन्नता और बड़ा संतोष है यह जानकर कि रेलवे मंत्रालय ने स्वर्गीय श्री के० रामाराव के परिवार को प्रतिकर अदा किया है। हम आरम्भ से यही कहते आये हैं कि यदि ट्रेन में खतरे की जंजीर को निष्प्रभावी न बनाया गया होता, तो उनकी मृत्यु न होती। इस सम्बन्ध में तीन शपथ-पत्र भी मेरे पास मौजूद हैं, जिनमें कहा गया है कि श्री

†मूल अंग्रेजी में

रामाराव ट्रेन से गिरने के बाद कुछ समय तक जीवित थे। मैं उन शपथ-पत्रों को सभा-पटल पर रख सकता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि ये तीनों शपथ-पत्र श्रीमती रामराव ने मंत्रालय के पास भेजे हैं और क्या मंत्रालय ने उनके आधार पर दुर्घटना की जांच की है ?

अक्सर किसी न किसी कोयले की कमी के कारण, गाजियाबाद से कुछ गाड़ियां देर से चलती हैं। नतीजा यह होता है कि गाजियाबाद से रोजाना दिल्ली आने वाले यात्रियों को बड़ा विलम्ब हो जाता है। कोयले की किस्म में सुधार किया जाना चाहिये।

बहादुरगढ़ के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों ने उप मंत्री को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें अनुरोध किया गया था कि वहां से दिल्ली के लिये एक पथक गाड़ी शुरू की जाये। मंत्रालय को उस पर कार्यवाही करनी चाहिये।

कई स्थानों में आग लगने का कारण ठीक-ठीक पता लगाया जाना चाहिये। मुझे संदेह है कि शायद वे अग्निकांड स्टोर की कमी को छिपाने के लिये किये गये थे। माननीय मंत्री बतायें कि क्या स्टोर का ठीक-ठीक मूल्यांकन किया गया था ?

तीसरे दर्जे के मुसाफिरों को भोजनादि की व्यवस्था का लाभ नहीं मिलता। उनको थाल नहीं दिया जाता। मैं अनुरोध करता हूं कि मंत्रालय खाने के पैकेटों की व्यवस्था चालू करे। उससे तीसरे दर्जे के मुसाफिरों के लिये आसानी हो जायेगी।

आशा है माननीय मंत्री इन पर कुछ प्रकाश डालेंगे।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : मेरे कटौती प्रस्ताव मुख्यतया मांग संख्या १, २ और ९ से संबंधित हैं।

मेरा संशोधन संख्या १३ दिल्ली नगर के वर्गीकरण से सम्बन्धित है। दिल्ली को 'क' श्रेणी का नगर घोषित करने के बाद, उसका प्रतिकर भत्ता १ अप्रैल, १९५९ से अदा किया जाना चाहिये था। सरकार ने ऐसा नहीं किया है। और दिल्ली, की भांति, मद्रास, मदुरै और कानपुर का भी पुनः वर्गीकरण किया जाना चाहिये।

कटौती प्रस्ताव संख्या १ और २ मनमादुरै—विरुद्धनगर, मंगलौर–हसन, सैलम–बंगलौर पर निर्माण-कार्य तेज करने के सम्बन्ध में है। सभा जानती है कि मनमादुरै-विरुद्धनगर लाइन पर अत्यधिक भीड़ रहती है। उसे दोहरा करने के लिये बहुत दिनों से मांग की जा रही है। मुझे उस सम्बन्ध में केवल इतना कहना है कि चालू वर्ष में उसके लिये तीन लाख रुपये से अधिक आवंटन करना चाहिये।

मंगलौर–हसन लाइन की उपेक्षा की जा रही है। इसे भी इतनी ही प्राथमिकता दी जानी चाहिये जितनी कि मनमादुरै–विरुद्धनगर लाइन को दी जा रही है।

सैलम–बंगलौर लाइन को डिन्डीगल तक ले जाना चाहिये। वहां सीमेंट का कारखाना खड़ा करने के लिये पर्याप्त सामग्री मौजूद है।

दिल्ली डिपो अग्निकांड के बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है। प्रतिवेदन से यह स्पष्ट नहीं होता कि तीन चार स्थानों पर एक ही समय एक ही प्रकार के अग्निकांड कैसे हुये। इसका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तंगामणि]

मदुरै नगरपालिका की कुछ राशि रेलवे मंत्रालय पर बकाया है। उसकी अदायगी की जानी चाहिये।

मैं भोजनादि की व्यवस्था को निजी ठेकेदारों के हाथ में देने के पक्ष में नहीं हूं। डिन्डीगल एक बड़ा महत्वपूर्ण जंकशन बनता जा रहा है। वहां विभागीय तौर पर जो भोजनादि की व्यवस्था है, उसे बन्द नहीं किया जाना चाहिये। हम चाहते हैं कि जंकशन का पूरा विकास होने दिया जाये।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : कोंकण प्रदेश में रेलवे लाइन बनाने का अनुरोध कई बार किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत अवहेलना की गई है। इस क्षेत्र में ४० लाख से अधिक लोग रहते हैं। इतना ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण महाराष्ट्र में रेलवे लाइन की बहुत कमी है। आवश्यकता इस बात कि है कि यहां शीघ्र ही कोई रेलवे लाइन बनाई जाये। इस क्षेत्र का प्रतिरक्षा की दृष्टि से भी अधिक महत्व है। आर्थिक दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है। किन्तु इस प्रदेश में रेलवे संवहन के अभाव के कारण कई असुविधायें होती हैं। समय समय पर की गई मांगों के बावजूद इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। दक्षिण रेलवे की मीटर गेज को विजय दुर्ग, देवगढ़ या रत्नागीरी जैसे पत्तनों से जोड़ कर शुरुआत तो की जा सकती है। इस कार्य के लिये सर्वेक्षण अविलम्ब शुरू किया जाये।

मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि हड़ताल में भाग लेने के कारण सैकड़ों लोगों को नौकरी से निकालने में क्या लाभ है। उनको नौकरी मिलनी चाहिये। हड़ताल समाप्त हुये आज १६ महीने हो गये हैं किन्तु अभी तक वे लोग नौकरी पर नहीं लग पाये हैं। बहुत से लोगों को इस लिये भी नौकरी से अलग कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने बुरे शब्दों का प्रयोग किया। कर्मचारियों के स्तर को देखते हुये उनसे यह आशा तो नहीं की जा सकती कि वे बहुत ही शिष्ट होंगे। लेकिन परिस्थितियों को देखते हुये आवश्यकता इस बात की है उन्हें फिर से काम पर लगाया जाये। आशा है कि माननीय उप मंत्री महोदय इस बारे में आश्वासन देंगे कि उन्हें फिर से काम पर लगाया जायेगा।

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेरिया) : खेद का विषय है कि रेलवे ने नई सेवायें आरम्भ करने के लिये अनुपूरक मांगों का सहारा लिया है। लोक लेखा समिति ने कई बार यह बात कही है कि मंत्रालयों को यह नीति नहीं अपनानी चाहिये। दो तीन महीने आसानी से निकाले जा सकते थे और वे आगामी आयव्ययक की आसानी से प्रतीक्षा कर सकते थे। फिर ऐसी कोई जल्दी भी तो नहीं थी। इस प्रकार उन्होंने लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित सिद्धांत का उल्लंघन किया है।

हलदिय पत्तन—खड़गपुर लाइन के सर्वेक्षण में विलम्ब हुआ है, अब तक इस लाइन का मार्ग भी निर्धारित नहीं किया गया है। इस कार्य को तेजी से किया जाये। जहां तक मांग संख्या ७ का सम्बन्ध है पश्चिमी बंगाल के औद्योगिक क्षेत्र में विशेष कर कलकत्ता तक कोयला पहुंचाने के लिये बैगन दिये जायें क्यों कि रेलवे की तुलना में ट्रकों से कोयला ले जाने में बहुत खर्चा बैठता है। मांग संख्या ९ विभागीय भोजन के बारे में है। मेरा निवेदन है कि विभागीय भोजन व्यवस्था बहुत ही घटिया हो गई है तीसरे दर्जे के यात्रियों को उपलब्ध सेवा बहुत असंतोषजनक है। शाकाहारी भोजन की किस्म और मात्रा दोनों ही घटिया हो गई हैं।

मांग संख्या १९ के बारे में मैंने एक कटौती प्रस्ताव रखा है। मेरा निवेदन है कि डीजल इंजिनों का उत्पादन के लिये एक कारखाना तुरन्त स्थापित किया जाना चाहिये। ऐसा करने से हमें विदेशी विनिमय की काफी बचत होने लगेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

*डाक्टरों की कमी

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** (केसरिया) : सरकार ने देश में डाक्टरों की कमी के बारे में प्रश्नों के जो उत्तर दिये वे बहुत ही असंतोषजनक हैं क्योंकि कई बातों के बारे में जानकारी न होने का तर्क प्रस्तुत किया गया है। अध्यक्ष महोदय ने भी इसका समर्थन किया है।

समाचार पत्रों में प्रायः ऐसे समाचार छपते रहते हैं कि अमुक अमुक राज्य में अस्पताल है किन्तु वहां डाक्टर तक नहीं हैं। इनमें से कुछ दवाखानों में कितने ही समय तक डाक्टर नहीं होते। इसका कुछ उपाय किया जाना चाहिये वरना डाक्टरों के होते हुये दवाखाना और स्वास्थ्य केन्द्रों को रखने में कोई लाभ नहीं है। हमारे देश में कई अन्य देशों की तुलना में डाक्टरों की संख्या कुल जन संख्या के अनुपात से बहुत कम है। सरकार का डाक्टरों की संख्या बढ़ाने का विचार है जिसका स्वागत है किन्तु वह यह सुनिश्चित करे कि अस्पतालों, दवाखानों और स्वास्थ्य केंद्रों में कर्मचारियों की संख्या पूरी रहे।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर): सरकार का दावा है कि देश में आवश्यकता से अधिक डाक्टर हैं तो क्या वह इस सम्बन्ध में लापरवाही नहीं है। क्या यह सच है कि हमारे देश में डाक्टरों की संख्या हमारी कुल जनसंख्या के अनुपात से बहुत कम है।

†**डा० मेलकोटे** (रायचूर): मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब आयुर्वेद का प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं समझा जाता तो देश में इतने आयुर्वेद चिकित्सकों को क्यों प्रशिक्षण-दिया जा रहा है? उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण क्यों नहीं दिया जाता रहा है। ताकि उनका अधिकतम संभव उपयोग हो सके।

श्रीमती कृष्णा मेहता (जम्मू तथा काश्मीर): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपने मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगी कि हालांकि मैं यह जानती हूं कि उन्होंने देश वासियों के स्वास्थ्य के हित में काफी कुछ किया और आगे भी उनका ऐसा करने का इरादा है तो भी बहुत से दोष और त्रुटियां विद्यमान हैं।

सब से पहले तो मैं मंत्री महोदय से इस का जवाब चाहूंगी कि हमारे यहां से सैकड़ों की तादाद में जो मेडिकल स्टूडेंटस पोस्ट ग्रेजुयेट ट्रेनिंग के लिये बाहर यू० एस० ए० और यू० के० आदि देशों में जाते हैं तो वह बाहर क्यों जाते हैं? जहां तक मैंने सुना है कि उनके यहां से बाहर जाने की वजह यह है कि जिस सब्जेक्ट में वह पोस्ट ग्रेजुयेट करना चाहते हैं उसमें उनको यहां पर दाखिला नहीं मिलता है भले ही उनके फस्ट क्लास नम्बर क्यों न आये हों। इस कारण निराश होकर वह बाहर के देशों में जाते हैं। कई डाक्टरों से मैंने पूछा तो उन्होंने यह बतलाया कि हिन्दुस्तान में हमारी कद्र नहीं है यह एक बड़ा गम्भीर प्रश्न है कि इतने डाक्टर्स बाहर चले जायें और वहां नाम कमायें और हमारे मुल्क में डाक्टरों की इतनी कमी रहे।

मैं जहां से आती हूं वह एक छोटा सा कस्बा है और आज से २५ साल पहले जो उसकी हालत थी वही आज भी बनी हुई है। करीब ८०,००० की वहां आबादी है वहां पर केवल एक असिस्टेंट सर्जन है। लेडी डाक्टर का तो नाम ही नहीं है। वहां पर डाक्टरों की नितांत कमी है। मैं समझती हूं कि यह अवस्था खाली हमारे क्षेत्र में ही नहीं है बल्कि कितनी ही जगहें आपको ऐसी मिल जायेंगी जहां कि डाक्टर्स नहीं हैं। इस लिये मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि डाक्टरों की कमी के ऊपर

---

*आधे घंटे की चर्चा

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती कृष्णा मेहता]

गम्भीरता से सोचें और उसके लिये सक्रिय कदम उठायें और जहां डाक्टरी सहायता सुलभ नहीं है वहां उसको सुलभ करें क्यों कि इस मंत्रालय पर देश वासियों का स्वास्थ्य ठीक रखने की जिम्मेदारी है ।

मुझे ऐसा ख्याल है कि आपने एक इंटरनेशनल हैल्थ सर्विसेज की ट्रेनिंग भी डाक्टरों को दिलवाई थी । मैं जानना चाहूंगी कि क्या आपने उनको वह काम भी करने के लिये सौंपा है जिसके कि लिये हमने हजारों रुपये खर्च किये हैं ?

मेरी प्रार्थना है कि मंत्री महोदय इन दो प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें ।

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : विवाद में तीन मुख्य प्रश्न प्रस्तुत किये गये हैं । डाक्टरों की कमी, देहाती क्षेत्रों में चल रहे अस्पतालों में डाक्टरों का न होना और तीसरा डाक्टरों का अलाटमेंट जनसंख्या के आधार पर किया जाय । डाक्टरों की कमी के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि देश में डाक्टरों की संख्या कितनी है, इस सम्बन्ध में हमें अभी सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हुए । अनुमान यह है कि १९६१ में डाक्टरों की संख्या ७१,९४१ के लगभग होगी । गत कुछ वर्षों में हम ने और कालिज खोले हैं । यदि तीसरी पंच वर्षीय योजना में इन कालिजों से निकल कर लगभग ७,००० डाक्टर भी तैयार हो गये, हालांकि ९,००० होने चाहिए, तो अनुमान है कि १९६६ में डाक्टरों की संख्या ८२,००० हो जायेगी । १९७१ तक यह संख्या ९९,००० समझनी चाहिए और १९८१ तक संख्या १,३२,००० पहुंच जायेगी । इस से भी तो कमी दूर नहीं होगी । हमारा अन्दाजा है कि ३०००, ३,५०० से ४,००० तक एक डाक्टर होना चाहिए । यदि इसी हिसाब से फैलाया जाय तो १,१९,००० डाक्टर चाहिए और होंगे ८२,००० । इस से ३७,००० की कमी रहेगी । बाकी आंकड़ों में मुझे सविस्तार जाने की आवश्यकता नहीं ।

मेरा निवेदन है कि जनसंख्या के अनुपात से डाक्टरों की कमी का अनुमान लगाना व्यावहारिक है । वास्तविकता यह है कि कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर शहरों में डाक्टर आवश्यकता से अधिक हैं । डाक्टरों को भी शहरों और कस्बों में ही बसने का चाव है । देहातों में जाने से वे लोग संकोच करते हैं । मेरा विचार है कि कुछ देर यह स्थिति बनी रहेगी ।

इस असन्तुलन को दूर करने के लिए योजना आयोग ने प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के सम्बन्ध में एक योजना बनाई है । प्रत्येक ६५,००० ने संख्या को हम एक डाक्टर देंगे । दूसरी योजना के अन्तर्गत ३,००० स्वास्थ्य केन्द्र बनाये गये थे, अब तीसरी योजना में २,००० केन्द्र और स्थापित किये जायेंगे । आर्थिक साधनों के उपलब्ध होते ही हम गांवों में चिकित्सा सेवाओं का विस्तार करना चाहते हैं । हम तो चाहते हैं प्रत्येक ४,००० जनसंख्या के लिए एक डाक्टर हो । इसी लिए तो हम मैडीकल कालिज खोल रहे हैं । अब हिमाचल प्रदेश में ६४वां कालिज खोला है । वहां भी हम ने संख्या बढ़ा कर १५० से २०० कर दी है । प्रत्येक वर्ष हम ८,००० से ९,००० डाक्टर तैयार कर रहे हैं । आर्थिक साधन हो तो ८,००० के १५,००० भी हो सकते हैं । परन्तु प्रश्न तो धन का है । फिर भी हम ने लक्ष्य तो सामने रखा ही हुआ है ।

इस दिशा में एक बात हमें याद रखना चाहिए कि स्वास्थ्य का विषय राज्यों का विषय है । यह तो संवैधानिक व्यवस्था है, हम इस में कुछ नहीं कर सकते । जो राज्य अच्छा वेतन देते हैं उनके यहां डाक्टरों की कमी नहीं है। अतः इसके लिए राज्यों को डाक्टरों के वेतन क्रमों पर विचार

†मूल अंग्रेजी में

कर उन्हें अच्छे वेतन देने चाहिए । डाक्टर को २०० से ३०० रु० देने से काम नहीं चलेगा । कम से कम एक डाक्टर को ४५० रुपये मासिक वेतन मिलना चाहिए । राज्यों को अपने अपने क्षेत्र में अधिक मैडिकल कालिज भी खोलने चाहिए ताकि अधिक से अधिक डाक्टरों का निर्माण हो सके । भारत सरकार इस दिशा में प्रत्येक प्रकार की सहायता देने को तैयार है । यदि कोई राज्य अपने यहां अस्पताल अथवा चिकित्सागृह और स्वास्थ्य केन्द्र खोलना चाहे तो भारत सरकार कोई रुकावट नहीं डालेगी । इस मामले में मद्रास, केरल, बिहार और महाराष्ट्र में स्थिति अच्छी है ।

तीसरी बात जनसंख्या के अनुपात में डाक्टरों के होने की है । मेरा निवेदन है कि हमारे अभी इतने साधन नहीं कि इस मामले में हम विदेशों की नकल कर सके । इस मामले में हमें अपने हालात के अनुसार ही ढंग अपनाने होंगे । मेरा मत तो यह है कि यदि अच्छे पानी का सम्भरण हो जाय और संक्रामक रोगों की देखभाल और रोकथाम हो जाय, तो बहुत से दुःख वैसे ही दूर हो जायेंगे । अतः हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए । हमें अपने देश के हालात के अनुसार ही चलना चाहिए ।

†**सभापति महोदय :** सभा स्थगित होती है ।

इस के पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, एक दिसम्बर १९६१/१० अग्रहायण, १८८३ (शक) के ग्यारह बज तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रजी में ।

दैनिक संक्षेपिका

गुरुवार, ३० नवम्बर, १९६१

९ अग्रहायण, १८८३ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	११२७—४९
	तारांकित प्रश्न संख्या	
४३२	तांबे तथा सोने के निक्षेप . .	११२७–२८
४३३	विदेशी बैंकों में जमा रकम . .	११२८—३९
४३४	पाकिस्तानी विमानों द्वारा भारतीय सीमा का अतिक्रमण	११४०–४१
४३६	रूरकेला इस्पात कारखाना . . .	११४१–४२
४३७	जीवन बीमा निगम के फील्ड आफिसर्स की मांगें .	११४२—४४
४३८	अंकलेश्वर तेल क्षेत्र	११४४—४६
४३९	रूरकेला में क्षेत्रीय इंजीनियरी कालिज . .	११४६–४७
४४०	राष्ट्रीय एकीकरण सम्मेलन . .	११४८–४९
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	११४९—१२११
	तारांकित प्रश्न संख्या	
४३५	भारतीय प्रशासन सेवा के पदाधिकारी . .	११४९
४४१	मेकोंग नदी परियोजना . .	११५०
४४२	एवरो–७४८	११५०
४४३	भारत तथा पाकिस्तान के बीच अनिर्णीत वित्तीय समस्यायें .	११५१
४४४	दुगड़ा कोयला धोने का कारखाना . .	११५१
४४५	गुजरात में तेल-शोधक कारखाना . . .	११५१–५२
४४६	पंडित पन्त पोलिटैक्नीक, नई दिल्ली . . .	११५२
४४७	व्यवहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्था . .	११५३
४४८	भारतीय भाषाओं के लिये सामान्य लिपि . . .	११५३
४४९	गौहाटी और बरौनी के तेलशोधक कारखाने . .	११५४
४५०	लाभों के प्रत्यावर्तन के बारे में ब्रिटेन का निर्णय . .	११५४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

सारांकित
प्रश्न संख्या

४५१ होशियारपुर में तेल के लिये खुदाई . . ११५५
४५२ तृतीय श्रेणी को स्नातकोत्तर डिग्रियां . . ११५५
४५३ लंका में इस्पात संयंत्र . ११५५
४५४ भिलाई इस्पात संयंत्र का विस्तार . ११५६
४५५ कलकत्ता का विकास . . ११५६
४५६ चिकनाई वाले तेलों का आयात . . ११५७
४५७ अवैध सोने की बरामद . ११५७
४५८ दिल्ली पुलिस ११५७
४५९ सूर्य की शक्ति से बिजली . . . ११५८
४६० सैनिक सचिव शाखा की जांच ११५८
४६१ महाराष्ट्र में आम चुनाव . . ११५८–५९
४६२ साम्प्रदायिक दलों पर रोक . . ११५९–६०
४६३ बरौनी से दिल्ली तक पाईप लाइन . ११६०
४६४ कच्छ में तेल तथा गैस की खोज . ११६०
४६५ गुरुकुल कांगड़ी और जामिया मिलिया इस्लामिया . ११६०–६१
४६६ त्रिपुरा में भारत विरोधी प्रचार . . . ११६१
४६७ अवाड़ी में टैंक-कारखाना ११६१–६२
४६८ सरकारी कर्मचारियों के साथ संयुक्त परामर्श की प्रणाली ११६२
४६९ इस्पात कारखानों के लिये समितियां . ११६२–६३
४७० कांगो के लिये भारतीय विमान . . . ११६३
४७१ नेपाली को दार्जिलिंग की प्रादेशिक भाषा बनाने की घोषणा . ११६३–६४
४७२ जीवन बीमा निगम की बोनस योजना . . . ११६४
४७३ सेना अधिकारी द्वारा आत्महत्या का प्रयत्न . . ११६४–६५
४७४ नूनमाटी का तेलशोधक कारखाना . ११६५
४७५ लंका को तेल प्रतिनिधिमंडल ११६५–६६
४७६ अखिल भारतीय वैज्ञानिक सेवा . . ११६६
४७७ मैसूर-महाराष्ट्र सीमा-विवाद . . . ११६६
४७८ कोजीकोड में भूकम्प . . ११६६–६७
४७९ पवन चक्किया . . . ११६७

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर -- (क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
४८०	शस्त्रास्त्र अध्ययन संस्था, किरकी	११६७
४८१	पंजाब में ग्राम चुनाव	११६७–६८
४८२	महाराष्ट्र में मतदान की पद्धति	११६८
४८३	रूरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों का विस्तार	११६८–६९
४८४	खम्भात का अशोधित तेल	११६९
४८५	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति	११६९–७०
४८६	"टिस्को" और "इस्को" को पेशगी	११७०
४८७	राष्ट्रीय अनुशासन योजना	११७०–७१
४८८	गिडी कोयला-खान में आग	११७१
४८९	सशस्त्र बल के लिये अंशदायी शिक्षा निधि	११७१
४९०	तेल का उत्पादन	११७१
अतारांकित प्रश्न संख्या		
६०७	तेल की पाइप लाइन	११७१
६०८	पंजाब में तीनवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम	११७२
६०९	पंजाब में विमुक्त आदिमजाति	११७२
६१०	इनामी बौंडों की बिक्री	११७३
६११	साहित्य अकादमी	११७३
६१२	स्त्रियों तथा लड़कियों में अनैतिक पण्य दमन अधिनियम	११७३
६१३	अल्प बचत योजनाओं के अधीन एकत्रित रकम	११७४
६१४	महाराष्ट्र में विभिन्न करों की बकाया राशि	११७४
६१५	"भारत-पाक सीमा पर तस्कर व्यापारी"	११७४
६१६	तांबे के निक्षेप	११७५
६१७	राष्ट्रीय एकता सम्बन्धी नाटक	११७५
६१८	अनुसन्धान और विकास का प्रशिक्षण	११७६
६२०	भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पुनरीक्षण	११७६
६२१	आक्सफोर्ड में प्रतिरक्षा प्रशासन सम्बन्धी सम्मेलन	११७६–७७
६२२	दिल्ली में मकानों के किराये	११७७
६२३	स्टेट बैंक की शाखायें खोलना	११७७–७८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमश) :

तारांकित संख्या		
९२४	दिल्ली में चुनाव	११७८
९२५	प्लास्टिक मोल्डिंग पाउडर पर कर	११७८
९२६	उड़ीसा में व्यायाम प्रशिक्षण-संस्थाओं को सहायता	११७९
९२७	उड़ीसा के लिये लोहा और इस्पात	११७९
९२८	आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को सुविधायें	११७९–८०
९२९	उत्तर प्रदेश में मद्यनिषेध	११८०
९३०	औद्योगिक परिषद्	११८०
९३१	अखिल भारतीय स्वतंत्रता सैनिक सम्मेलन	११८१
९३२	शिक्षा की समेकित प्रणाली	११८१
९३३	टुकड़े	११८२
९३४	स्टेनलैस स्टील के टुकड़े	११८२–८३
९३५	"नाइट रनर्स आफ बंगाल" उपव्यय	११८३
९३६	इस्पात पर बिक्री-कर	११८३
९३७	समुद्र सीमाशुल्क अधियनयम का संशोधन	११८३
९३८	लोहे की नालीदार चादरें	११८३–८४
९३९	स्कल स्क्रैप	११८४
९४०	मध्य प्रदेश में अल्यूमीनियम संयंत्र	११८४
९४१	माउंट आबू में भारत सर्वेक्षण कार्यालय	११८५
९४२	दिल्ली नगर निगम का दफ्तर	११८५
९४३	विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन	११८५–८६
९४४	पंजाब में सेवाओं का एकीकरण	११८६
९४५	कोयले का उत्पादन	११८६
९४६	सरकारी प्रतिभूतियों में लगाने के लिये वेतन से अनिवार्य कटौती	११८६–८७
९४८	हिन्दी असिस्टेंट	११८७
९४९	नई भर्ती पर प्रतिबन्ध	११८७
९५०	प्रशिक्षित कर्मचारियों का स्थानान्तरण	११८७–८८
९५१	कोरवा कोयला-क्षेत्र	११८८
९५२	पंजाबी विश्वविद्यालय	११८८
९५३	अखिल भारतीय सेवाओं के अफसरों की नियुक्तियां	११८९

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
९५४	लाहौल और स्पिती में जीप के चलने योग्य सड़ . .	११८९
९५५	न्यूयार्क में अखिल भारतीय धन विनियोजन केन्द्र की शाखा .	११८९–९०
९५६	अमरीकी प्रोफेसरों के लिये प्राच्यकरण पाठ्य-क्रम . .	११९०
९५७	फ्रांस से वित्तीय सहायता	११९१
९५८	हजारीबाग जिले में (फव्वारा आटिशियन) कुआं . .	११९१
९५९	इस्पात सम्बन्धी आवश्यकतायें . .	११९१–९२
९६०	पंजाब में तेल की खोज . . .	११९२–९३
९६१	दिल्ली में कोयले की कमी . . .	११९३
९६२	कांगो के लिये भारतीय सैनिक	११९३–९४
९६३	राउरकेला इस्पात कारखाने में छंटनी . .	११९४
९६४	अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम . . .	११९४
९६५	लाहौल और स्पिति घाटी का भूतत्वीय सर्वेक्षण .	११९५
९६६	तेल पाइपलाइन . . .	११९५–९६
९६७	महिला यात्री द्वारा तस्कर-व्यापार .	११९६
९६८	मोहिन्दरगढ़ में लौह-अयस्क	११९६–९७
९६९	बहुप्रयोजनीय स्कूलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये कालिज	११९७
९७०	औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड को ऋण	११९७
९७१	अम्बाला छावनी बोर्ड के मेहतर . .	११९८
९७२	कच्छ से तेल	११९९
९७३	लाहौल और स्पीति के हरिजन	११९९
९७४	कार्बनाइज़ेशन प्लांट . .	११९९–१२००
९७५	धोलका विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र . .	१२००
९७६	औद्योगिक वित्तीय निगम के लिये विदेशी ऋण .	१२००
९७७	अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा . . .	१२००–०१
९७८	दिल्ली में लोक प्रशासन संस्थायें . .	१२०१
९७९	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता . .	१२०१–०२
९८०	बड़े-बड़े बन्दरगाहों में सीमाशुल्क सलाहकार . .	१२०२
९८१	मैसूर राज्य के सहकारी एक्सचेंज बैंक लि० को ऋण . .	१२०२–०३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

९८२ भारत में विदेशी राष्ट्रजन १२०३
९८३ राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथी . . १२०३
९८४ सिक्किम में चौकी १२०४
९८५ डोगरी भाषा १२०४
९८६ चौर्यानयन . . . १२०४
९८७ पन्ना में पाया गया असाधारण हीरा १२०४
९८८ बिहार में कोयले के भंडार . . . १२०५
९८९ पुरातत्वीय खुदाइयां १२०५—०६
९९० विधि आयोग की रिपोर्टें . . १२०६—०७
९९१ नीवेली में खनन-कार्य . . १२०७
९९२ नीवेली में परियोजना . . . १२०७—०८
९९३ नीवेली में मिट्टी धोने का कारखाना . . १२०८
९९४ उर्वरक संयंत्र, नीवेली . १२०८
९९५ निम्न श्रेणी के क्लर्कों के वेतन-क्रम . . १२०९
९९६ जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली . . . १२०९
९९७ राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी पाठ्यक्रम . . . १२०९—१०
९९८ प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक २२१०
९९९ सहायता प्राप्त स्कूलों में अध्यापकों आदि की सेवा की शर्तें १२१०
१००० वीना छावनी १२१०—११

स्थगन प्रस्ताव . . . . . १२११—१

अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों को, जिनकी सूचना उनके सामने बताये गये सदस्यों ने दी थी, पेश करने की अनुमति नहीं दी :—

(१) एलिजाबेथविले में एक गोरखा ड्राइवर की हत्या और एक भारतीय सैनिक अफ़सर का लापता हो जाना ।	सर्वश्री हेम बरुआ, तंगामणि, स० मो० बनर्जी, प्र० गं० देव, अर्जुन सिंह भदौरिया और ब्रजराज सिंह ।
(२) गोआ सीमा पर पुर्त्तगाली सेना का कथित जमाव ।	सर्वश्री गोरे, नाथ पाई, हेम बरुआ, स० मो० बनर्जी, तंगामणि और ब्रजराज सिंह ।

विषय		पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव—क्रमश :		
(३) पुर्तगालियों की यातना से गोआ के देशभक्त की कथित मृत्यु ।	सर्वश्री स० मो० बनर्जी और तंगामणि।	
(४) उड़ीसा में भारत के गलत नक्शों का प्रकाशन, जिनमें काश्मीर को पाकिस्तान का अंग बताया गया है ।	श्री ब्रजराज सिंह ।	
मंत्री द्वारा वक्तव्य		१२१७
सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) ने पाकिस्तान के पहले बात चीत के लिये ज़िद के कारण फराक्का बांध को बनाने में कथित विलम्ब के संबंध में एक वक्तव्य टेबल पर रखा ।		
सभा पटल पर रखे गये पत्र		१२१७—१९
(१) प्रादेशिक परिषद् अधिनियम, १९५६ की धारा ५४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १९ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२५२ में प्रकाशित प्रादेशिक परिषद् (संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श) नियम, १९६० की एक प्रति ।		
(२) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधि-सूचनाओं की एक-एक प्रति :—		
(क) दिनांक २ सितम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १०६६ ।		
(ख) दिनांक ९ सितम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १०९१ ।		
(ग) दिनांक ७ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२३३ ।		
(३) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—		
(क) दिनांक १४ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२४४ ।		
(ख) दिनांक १४ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२४६ ।		
(४) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—		
(क) दिनांक १६ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११२५ में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवायें (यात्रा भत्ते) संशोधन नियम, १९६१ ।		

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे पत्र--क्रमश :

(ख) दिनांक २१ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२७४ में प्रकाशित भारतीय असैनिक सेवा भविष्य निधि संशोधन नियम, १९६१ ।

(५) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत सेक्रेटरी आफ स्टेट्स सेवायें (सामान्य भविष्य निधि) नियम, १९४३ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :--

(क) दिनांक २१ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२७५ ।

(ख) दिनांक २१ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२७६ ।

(६) अन्तर्राज्य निगम अधिनियम, १९५७ की धारा ४ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत दिनांक ७ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२३५ में प्रकाशित होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली बोर्ड, बम्बई (पुनः रचना और पुनर्गठन) आदेश, १९६१ ।

(७) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :--

(एक) कास्टिक सोडा उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६१) ।

(दो) दिनांक २४ नवम्बर, १९६१ का सरकारी संकल्प संख्या ३२(२)-टी आर/६१ ।

(तीन) सोडा एश उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६१) ।

(चार) दिनांक २७ नवम्बर, १९६१ का सरकारी संकल्प संख्या ३२ (१)-टी आर/६१ ।

(पांच) केल्शियम कारबाइड उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६१) ।

(छै) दिनांक २७ नवम्बर, १९६१ का सरकारी संकल्प संख्या ३७(१)-टी आर/६१ ।

(सात) इस बात का कारण बताने वाला विवरण कि उपरोक्त (पांच) और (छै) में उल्लिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति उक्त उप-धारा के अन्तर्गत निर्धारित समय के अन्दर क्यों सभा-पटल पर नहीं रखी जा सकी ।

(८) समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :--

(क) दिनांक १४ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२५२ ।

(ख) दिनांक १४ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२५३ ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—क्रमशः

(९) समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की उपधारा ३८ के अन्तर्गत सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १४ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२५७।

(ख) दिनांक ४ नवम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १३२७।

(ग) दिनांक १८ नवम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १३६७।

(१०) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १२ सितम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ११२३।

(ख) दिनांक २३ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११५० में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (दसवां संशोधन) नियम, १९६१।

(ग) दिनांक १४ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२५८ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (बारहवां संशोधन) नियम, १९६१।

(घ) दिनांक १ नवम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १३१९।

(ङ) दिनांक ४ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३२८ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (ग्यारहवां संशोधन) नियम, १९६१।

सदस्य की दोषसिद्धि १२२०

अध्यक्ष महोदय ने लोक-सभा को बताया कि उन्हें त्रिवेन्द्रम के सब-मजिस्ट्रेट से दिनांक २९ नवम्बर, १९६१ का एक तार मिला है जिस में यह सूचित किया गया है कि श्री मे० क० कुमारन् की दोषसिद्धि की गई और उन्हें कुल मिला कर तीन सप्ताह की साधारण कैद की सजा दे कर त्रिवेन्द्रम की सेन्ट्रल जेल में रखा गया है।

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित १२२०

प्रत्यर्पण विधेयक, १९६१ संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित किया गया।

विधेयक—पुरस्थापित १२२०–२१

(१) संविधान (ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, १९६१।

(२) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक १९६१।

विषय पृष्ठ

संघ लोक सेवा आयोग के दसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . १२२१—३२

संघ लोक सेवा आयोग के दसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) १९६१-६२ . . . १२३२—४२

वर्ष १९६१-६२ के लिये बजट (रेलवे) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई । इक्कीस कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

आधे घंटे की चर्चा . . . . . १२४३—४५

पंडित द्वा० ना० तिवारी ने देश में डाक्टरों की कमी के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ४७० के २९ नवम्बर १९६१ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर चर्चा उठाई ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया ।

शुक्रवार, १ दिसम्बर, १९६१/१० अग्रहायण, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि—

बड़ी रेल दुर्घटनाओं के बारे में चर्चा तथा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर चर्चा ।

GMGIPND—LS III—1628 (Ai) LSD—3-1-62—125.